वार्षिक रिपोर्ट
2021-22

डाक विभाग
संचार मंत्रालय
भारत सरकार

विषय–सूची

पृष्ठ

I	सिंहावलोकन	11
II	संगठन	15
III	डाक उत्पाद एवं सेवाएं	21
	(क) डाक प्रचालन	21
	(ख) पार्सल उत्पाद	25
	(ग) फुटकर व्यवसाय उत्पाद	31
	(घ) ई–प्रोडक्ट और सेवाएं	33
	(ङ) डाक जीवन बीमा/ग्रामीण डाक जीवन बीमा	36
	(च) अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा	39
	(छ) फिलैटली	43
IV	डाकघर बचत बैंक (पीओएसबी) के तहत वित्तीय सेवाएं	51
	(क) डाकघर बचत बैंक (पीओएसबी) और बचत योजनाएं	51
V	सहयोग और गठबंधन	61
	(क) डाकघर पासपोर्ट सेवा केन्द्र – विदेश मंत्रालय	61
	(ख) डाकघर आधार नामांकन और अद्यतन केन्द्र – यूआईडीएआई	62
	(ग) भारतीय डाक यात्री आरक्षण प्रणाली – भारतीय रेल	65
	(घ) अंतर्राष्ट्रीय धनांतरण – वेस्टर्न यूनियन	66
	(ङ) सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) ई–गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड	66
VI	वित्तीय प्रबंधन	69
VII	अन्य कार्यात्मक डिवीजनों के अंतर्गत कार्यकलाप	73
	(क) नेटवर्क योजना	73
	(ख) ग्रामीण व्यवसाय	79
	(ग) संपदा प्रबंधन	80

	(घ)	आईटी आधुनिकीकरण	85
	(ङ)	कार्मिक प्रबंधन	87
	(च)	मानव संसाधन विकास	91
	(छ)	कर्मचारी कल्याण	97
	(ज)	महिला सशक्तीकरण	104
	(झ)	खेल–कूद और सांस्कृतिक गतिविधियाँ	106
	(ञ)	स्टाफ संबंध	108
	(ट)	कानूनी मामले	109
	(ठ)	सतर्कता प्रशासन	110
	(ड)	धनशोधन रोधी/आतंकवाद के लिए वित्त पोषण का विरोध संबंधी अनुपालन संरचना	113
	(ढ)	लोक शिकायत और सूचना का अधिकार	115
	(ण)	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	122
	(त)	विपणन एवं सोशल मीडिया	126
	(थ)	राजभाषा	129
	(द)	लेखा परीक्षा की टिप्पणियां और लेखा परीक्षा रिपोर्ट के लंबित पैरा	130
	(ध)	डाक एवं वित्त विंग	133
	(न)	नए डाक डिवीजन की स्थापना	134
VIII		पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में विकासात्मक कार्यकलाप	137
IX		इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड	145
X		आजादी का अमृत महोत्सव	154

तालिका

पृष्ठ

1.	डाक नेटवर्क : एक नजर में	7
2.	डाक की मात्रा	28
3.	श्रेणीवार डाक परियात	29
4.	डाक जीवन बीमा/ग्रामीण डाक जीवन बीमा का निष्पादन	37
5.	डाक जीवन बीमा/ग्रामीण डाक जीवन बीमा पर बोनस की दर	37
6.	डाक जीवन बीमा/ग्रामीण डाक जीवन बीमा के अंतर्गत निपटाए गए दावे	37
7.	डाक जीवन बीमा/ग्रामीण डाक जीवन बीमा के अंतर्गत निपटाए गए मृत्यु दावे	38
8.	अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट सेवा के तहत कवर किए गए देश	40
9.	जारी किए गए स्मारक और विशेष डाक टिकट	45
10.	बचत बैंक योजनाओं की प्रोफाइल	55
11.	बचत योजनाओं के खाते	56
12.	बचत योजनाओं का बकाया शेष	57
13.	राजस्व और व्यय	69
14.	एजेंसी सेवाओं के कारण कार्यकारी व्यय की वसूली	70
15.	डाकघरों का वितरण	74
16.	डाकघरों का कार्य–वार वर्गीकृत वितरण	75
17.	पंचायत संचार सेवा केंद्र, फ्रेंचाइजी आउटलेट और मुख्य डाकघर	76
18.	पत्र पेटिकाएं, पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग	77
19.	डाक और रेल डाक सेवा की यूनिटें	78
20.	विभागीय धरोहर भवनों की सूची	80

21.	विभागीय और किराए के भवन	84
22.	कार्मिकों की संख्या	87
23.	कर्मचारियों की संख्या : अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति	89
24.	कर्मचारियों की संख्या : दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व सैनिक (दिव्यांग) महिला और अन्य पिछड़ा वर्ग	90
25.	यौन उत्पीड़न के मामलों का वार्षिक विवरण	105
26.	अनुशासनिक मामले	111
27.	आरटीआई आवेदन और प्रथम अपीलें	118
28.	लोक शिकायतें	121
29.	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा टिप्पणियां	130
30.	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के लंबित पैरा	132
31.	पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में प्रमुख विकासात्मक कार्यकलाप	138
32.	पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में प्रशिक्षण	140

तालिका 1

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार डाक नेटवर्क: एक नज़र में

1		डाक सर्कल	23
2		डाक क्षेत्र	54
3		डाक डिवीजन	450
4		सर्कल टिकट डिपो	1
5		डाक भंडार डिपो	26
6		रेल डाक सेवा डिवीजन	69
7		डाक प्रशिक्षण केंद्र	6
8		डाकघर	1,56,434
क	(i)	ग्रामीण डाकघर	1,41,055
	(ii)	शहरी डाकघर	15,379
ख	(i)	प्रधान डाकघर	810
	(ii)	उप डाकघर	24,313
	(iii)	ग्रामीण डाक सेवक डाकघर	1,31,311
9		वितरण डाकघर	1,48,941
10		रात्रिकालीन डाकघर	115
11		छंटाई हब	91
12		अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट सेवा के तहत कवर किए गए देश (वस्तु और दस्तावेज दोनों)	100
13		अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट सेवा के तहत कवर किए गए देश (केवल दस्तावेज)	6
14		प्रति डाकघर सेवित व्यक्तियों की औसत संख्या*	8,713
15		प्रति ग्रामीण डाकघर सेवित व्यक्तियों की औसत संख्या*	6,336
16		प्रति शहरी डाकघर सेवित व्यक्तियों की औसत संख्या*	30,519
17		एक डाकघर द्वारा सेवित औसत क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर में)	21.36

*अनुमानित

सिंहावलोकन

अध्याय – I

सिंहावलोकन

1,56,434 डाकघरों के अपने नेटवर्क के साथ डाक विभाग विश्व का विशालतम डाक नेटवर्क है। इस विशाल डाक नेटवर्क की उत्पत्ति के तार वर्ष 1727 से जुड़े हैं, जब कोलकाता में पहला डाकघर स्थापित किया गया था। इसके बाद, तीन तत्कालीन प्रेसिडेंसियों नामतः कोलकाता (1774), चेन्नई (1786) और मुम्बई (1793) में जनरल पोस्ट ऑफिस (जीपीओ) स्थापित किए गए। डाक प्रचालनों में एकरूपता लाने के लिए भारतीय डाकघर अधिनियम, 1837 अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम के बाद, अधिक व्यापक भारतीय डाकघर अधिनियम, 1854 अधिनियमित किया गया जिसने देश में आधुनिक काल की डाक प्रणाली की नींव रखी। उसी वर्ष के दौरान रेल डाक सेवा शुरू की गई तथा भारत से ग्रेट ब्रिटेन और चीन तक समुद्री डाक सेवा प्रारंभ की गई। भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 ने देश की डाक प्रणाली को और सुदृढ़ किया।

2. एशिया में चिपकने वाला डाक टिकट पहली बार

भारतीय डाक – यत्र तत्र सर्वत्र
31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार

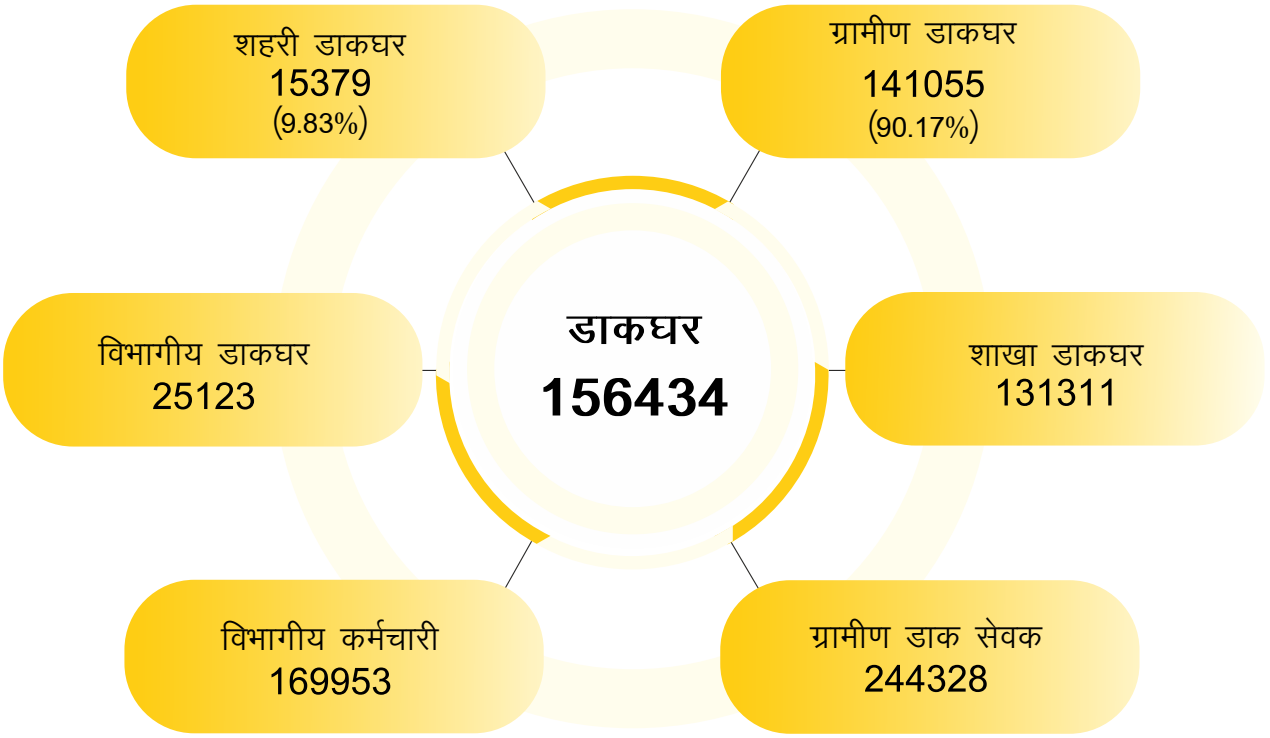

देश में एक डाकघर द्वारा औसतन 8,713 व्यक्तियों को सेवा प्रदान की जाती है; ग्रामीण क्षेत्रों में 6,336 व्यक्तियों को और शहरी क्षेत्रों में 30,519 व्यक्तियों को।

एक डाकघर द्वारा सेवित औसत क्षेत्र 21.36 वर्ग किलोमीटर

1852 में सिंध (शिंदे) प्रांत में जारी किया गया था। इसके बाद ये डाक टिकटें शिंदे डाक के नाम से प्रसिद्ध हो गईं। ये डाक टिकटें जून, 1866 तक चलन में थीं। 18 फरवरी, 1911 को विश्व की पहली हवाई डाक ने इलाहाबाद से नैनी के बीच उड़ान भरी थी। इसने गंगा नदी को पार करके लगभग 18 किलोमीटर की दूरी तय की थी। देशभर में मान्य पहला डाक टिकट को 01 अक्तूबर, 1854 को जारी किया गया था, जिसने वजन के आधार पर सस्ती और एकसमान डाक दर उपलब्ध कराई थी। तब से, डाक विभाग देश के दूरवर्ती हिस्सों को जोड़ते हुए राष्ट्र के सामाजिक–आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है।

3. यद्यपि विभाग का प्रमुख कार्य देशभर में डाक तथा धनप्रेषण की प्रोसेसिंग, पारेषण और वितरण करना है, तथापि विभाग द्वारा एक शताब्दी से अधिक समय से विविध सेवाएं भी प्रदान कराई जा रही हैं, जिनमें बैंकिंग तथा बीमा सेवाएं शामिल हैं। 02 फरवरी, 2006 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के आरंभ होने के बाद से विभाग देश के दूरवर्ती ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में भी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले लाभों का वितरण भी कर रहा है। नए डिजिटल वातावरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए विभाग अपनी सेवाओं का निरंतर उन्नयन तथा नए क्षेत्रों में कदम रख रहा है। इस समय विभाग में एक प्रमुख आईटी समावेशन और आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वित की जा रही है, जिसके अंतर्गत व्यवसाय प्रक्रिया को पुनः व्यवस्थित करने तथा विभाग की प्रचालनात्मक क्षमता में सुधार लाने पर ध्यान दिया जा रहा है।

4. लक्ष्य

भारतीय डाक के उत्पाद और सेवाएं ग्राहकों की पहली पसन्द होंगी।

5. मिशन

- देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन से जुड़ते हुए, विश्व के विशालतम डाक नेटवर्क के रूप में अपनी स्थिति को बनाए रखना।
- तेजी से और विश्वसनीयता के साथ डाक पार्सल, धन अंतरण, बैंकिंग, बीमा और रिटेल सेवाएं प्रदान करना।
- ग्राहकों को किफायती और बेहतर सेवाएं प्रदान करना।
- यह सुनिश्चित करना कि कर्मचारियों को इस बात पर गर्व है कि वे इसकी मुख्य शक्ति हैं और वे अपने ग्राहकों को मानवीयतापूर्वक सेवा प्रदान करते हैं।
- सामाजिक सुरक्षा सेवाओं का वितरण जारी रखना और भारत सरकार के एक मंच के रूप में अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी प्रदान करना।

6. सांविधानिक और विधिक प्रावधान

6.1 भारत के संविधान के अनुच्छेद 246(1) के अनुसार, संसद के पास सातवीं अनुसूची की सूची 1 (अथवा "संघ सूची") में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का अनन्य अधिकार है। "संचार" को भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 में प्रविष्टि संख्या 31 पर सूचीबद्ध किया गया है। इस प्रकार, संचार संघ का विषय है और संसद के पास संचार से संबंधित मामलों पर कानून बनाने के अनन्य अधिकार हैं।

6.2 डाक विभाग भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 द्वारा अभिशासित किया जाता है। भारतीय डाकघर नियमावली, 1933 अधीनस्थ कानून के रूप में कार्य करती है।

6.3 भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 7 में एक संशोधन को वित्तीय विधेयक, 2017 के माध्यम से संसद द्वारा मंजूरी प्रदान की गई, जिसके द्वारा भारतीय डाकघर अधिनियम,1898 की पहली अनुसूची में निहित मूलभूत डाक सेवाओं की दरों और शुल्कों में संशोधन करने का अधिकार, जो पूर्व में संसद के पास था, संचार मंत्रालय को दे दिया गया है।

संगठन

अध्याय – II

संगठन

1. संगठनात्मक ढांचा

डाक विभाग, संचार मंत्रालय का भाग है। श्री अश्विनी वैष्णव संचार मंत्री हैं और श्री देवुसिंह चौहान संचार राज्य मंत्री हैं। सचिव, डाक विभाग, भारत सरकार जो डाक सेवा बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, डाक विभाग के प्रमुख हैं। महानिदेशक (डाक सेवाएं), डाक विभाग भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 और भारतीय डाकघर नियमावली, 1993 के साथ–साथ डाक जीवन बीमा के प्रशासक हैं।

2. योजना एंव नीति निर्माण

डाक सेवा बोर्ड (पीएसबी) डाक विभाग का शीर्ष प्रबंधन निकाय है। इसमें अध्यक्ष, अपर महानिदेशक (समन्वय) और छः सदस्य हैं। बोर्ड के सदस्य कार्मिक प्रबंधन, डाक प्रचालन, प्रौद्योगिकी समावेशन एवं कार्यान्वयन, डाक जीवन बीमा और डाक जीवन बीमा निधि निवेश, बैंकिंग, मानव संसाधन विकास और योजना के क्षेत्रों का कार्य देखते हैं। अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (एएसएंडएफए) विभाग के आंतरिक वित्त विंग के प्रमुख हैं। सचिव (डाक सेवा बोर्ड) डाक सेवा बोर्ड के कामकाज में सहयोग करते हैं। महानिदेशक डाक सेवा (डीजीपीएस), अपर महानिदेशक (समन्वय) और अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार पीएसबी के स्थायी रूप से आमंत्रिती हैं। इसके अलावा, व्यवसाय विकास निदेशालय, पार्सल निदेशालय और डाक जीवन बीमा निदेशालय के मुख्य महाप्रबंधक तथा मुख्यालय में उप महानिदेशक, निदेशक तथा सहायक महानिदेशक बोर्ड को आवश्यक सहयोग प्रदान करते हैं।

3. डाक सर्कल और क्षेत्र

प्रशासनिक सुविधा के लिए देश के डाक नेटवर्क को 23 डाक सर्कलों में विभाजित किया गया है। कुछेक अपवादों को छोड़कर, सर्कल सामान्यतः राज्य के साथ को–टर्मिनस होते हैं। प्रत्येक सर्कल का प्रमुख मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल होता है। इन सर्कलों को क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जिनमें क्षेत्रीय इकाइयों के समूह शामिल हैं जिन्हें डिवीजन (पोस्टल /आरएमएस) कहा जाता है। प्रत्येक क्षेत्र का प्रमुख पोस्ट मास्टर जनरल होता है। सर्कलों और क्षेत्रों में स्टांप डिपो, स्टोर डिपो और मेल मोटर सर्विस जैसी अन्य कार्यात्मक और सहायक यूनिटें होती हैं।

श्रीनगर की डल झील में तैरता डाकघर

4. प्रचालन यूनिटें

देशभर में डाकघरों को प्रधान डाकघरों, उप डाकघरों तथा शाखा डाकघरों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। शाखा डाकघर अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में हैं जिन्हें ग्रामीण डाक सेवक चलाते हैं। उप डाकघर विभागीय डाकघर हैं, जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्थित हैं। प्रधान डाकघर मुख्य रूप से जिला स्तर पर महत्वपूर्ण कस्बों एवं शहरों में स्थित हैं।

5. सेना डाक सेवा कोर

23 डाक सर्कलों के अलावा, सशस्त्र बलों की डाक संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक अलग विंग है जिसे सेना डाक सेवा (एपीएस) कहा जाता है। एपीएस को एक पृथक सर्कल का नाम दिया गया है जिसे बेस सर्कल कहा जाता है। मेजर जनरल की रैंक के अपर महानिदेशक (सेना डाक सेवा) इसके प्रमुख होते हैं। सेना डाक सेवा के अधिकारी संवर्ग में भारतीय डाक सेवा से प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी होते हैं। सेना डाक सेवा की अन्य रैंकों के लिए भी लगभग 75 प्रतिशत कार्मिक डाक विभाग से लिए जाते हैं और शेष कार्मिक सेना द्वारा भर्ती किए जाते हैं।

डाक सेवा बोर्ड	
क्र. सं.	**अधिकारी का नाम एवं पदनाम**
1.	श्री विनीत पाण्डेय सचिव, डाक विभाग और अध्यक्ष, डाक सेवा बोर्ड
2.	श्री आलोक शर्मा महानिदेशक, डाक सेवाएं
3.	श्री अनिल कुमार नायक अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
4.	सुश्री के संध्या रानी सदस्य (बैंकिंग और डीबीटी)
5.	श्री अशोक कुमार पोद्दार अपर महानिदेशक (समन्वय)
6.	सुश्री स्मिता कुमार सदस्य (प्रौद्योगिकी)
7.	श्रीमती अलका झा सदस्य (योजना और एचआरडी)
8.	श्री एस मर्विन अलेक्जेंडर सदस्य (कार्मिक)
9.	श्रीमती ऐंद्री अनुराग सदस्य (प्रचालन)
10.	श्री हरीश चंद अग्रवाल सदस्य (पीएलआई)

स्थायी आमंत्रिती – महानिदेशक डाक सेवा (डीजीपीएस) और अपर महानिदेशक (समन्वय) एवं एएसएंडएफए (अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार)

सचिव, डाक सेवा बोर्ड – श्री अमन शर्मा

समुद्र तल से 14,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित हिक्किम डाकघर (हिमाचल प्रदेश सर्किल)

संगठनात्मक चार्ट

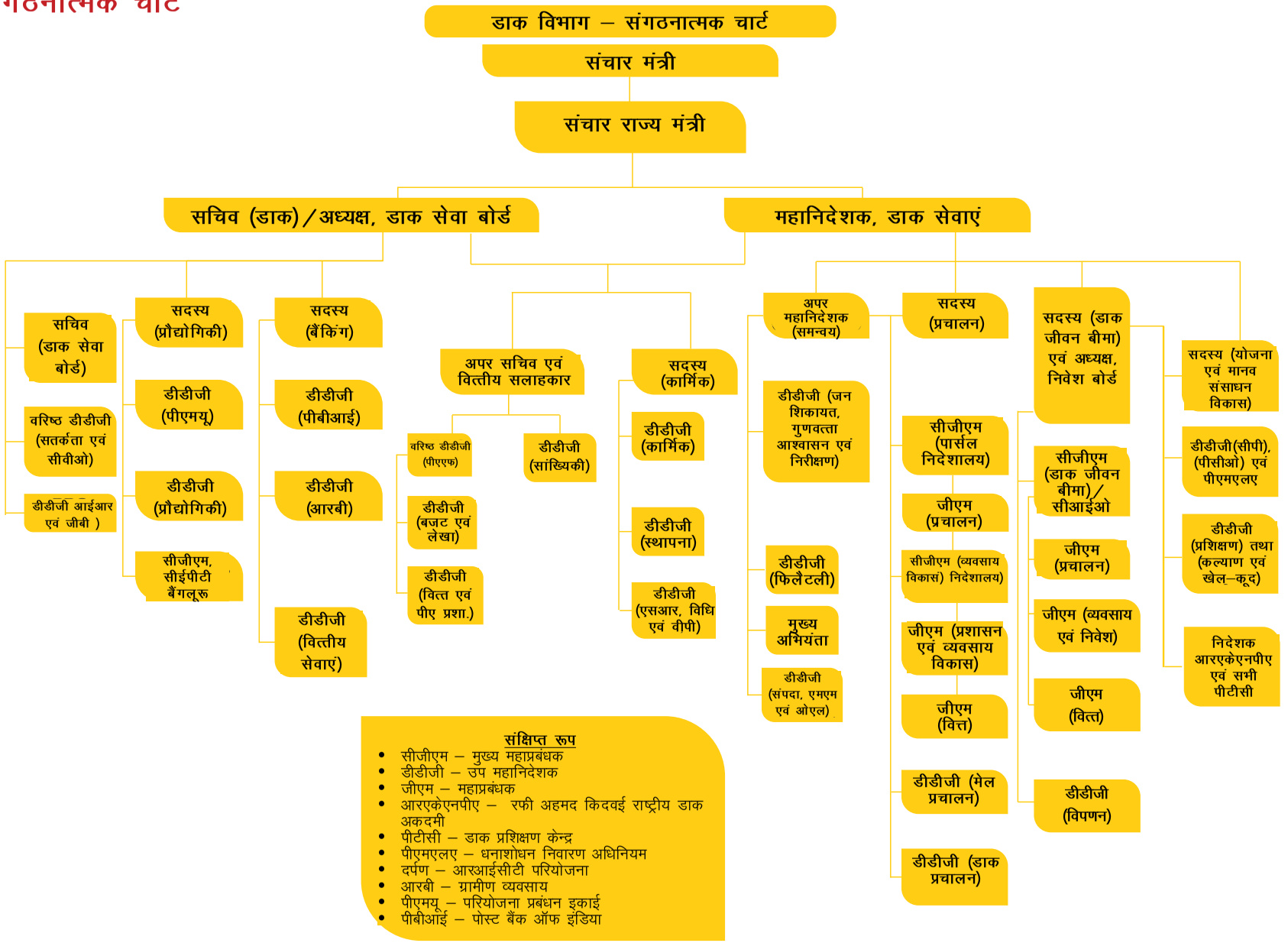
डाक विभाग – संगठनात्मक चार्ट
संचार मंत्री
संचार राज्य मंत्री
सचिव (डाक)/अध्यक्ष, डाक सेवा बोर्ड
महानिदेशक, डाक सेवाएं
सचिव (डाक सेवा बोर्ड)
वरिष्ठ डीडीजी (सतर्कता एवं सीवीओ)
डीडीजी आईआर एवं जीबी)
सदस्य (प्रौद्योगिकी)
डीडीजी (पीएमयू)
डीडीजी (प्रौद्योगिकी)
सीजीएम, सीईपीटी बैंगलूरू
सदस्य (बैंकिंग)
डीडीजी (पीबीआई)
डीडीजी (आरबी)
डीडीजी (वित्तीय सेवाएं)
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
वरिष्ठ डीडीजी (पीएएफ)
डीडीजी (बजट एवं लेखा)
डीडीजी (वित्त एवं पीए प्रशा.)
डीडीजी (सांख्यिकी)
सदस्य (कार्मिक)
डीडीजी (कार्मिक)
डीडीजी (स्थापना)
डीडीजी (एसआर, विधि एवं वीपी)
अपर महानिदेशक (समन्वय)
डीडीजी (जन शिकायत, गुणवत्ता आश्वासन एवं निरीक्षण)
डीडीजी (फिलैटली)
मुख्य अभियंता
डीडीजी (संपदा, एमएम एवं ओएल)
सदस्य (प्रचालन)
सीजीएम (पार्सल निदेशालय)
जीएम (प्रचालन)
सीजीएम (व्यवसाय विकास) निदेशालय)
जीएम (प्रशासन एवं व्यवसाय विकास)
जीएम (वित्त)
डीडीजी (मेल प्रचालन)
डीडीजी (डाक प्रचालन)
सदस्य (डाक जीवन बीमा) एवं अध्यक्ष, निवेश बोर्ड
सीजीएम (डाक जीवन बीमा)/ सीआईओ
जीएम (प्रचालन)
जीएम (व्यवसाय एवं निवेश)
जीएम (वित्त)
डीडीजी (विपणन)
सदस्य (योजना एवं मानव संसाधन विकास)
डीडीजी(सीपी), (पीसीओ) एवं पीएमएलए
डीडीजी (प्रशिक्षण) तथा (कल्याण एवं खेल–कूद)
निदेशक आरएकेएनपीए एवं सभी पीटीसी
संक्षिप्त रूप
सीजीएम – मुख्य महाप्रबंधक
डीडीजी – उप महानिदेशक
जीएम – महाप्रबंधक
आरएकेएनपीए – रफी अहमद किदवई राष्ट्रीय डाक अकदमी
पीटीसी – डाक प्रशिक्षण केन्द्र
पीएमएलए – धनाशोधन निवारण अधिनियम
दर्पण – आरआईसीटी परियोजना
आरबी – ग्रामीण व्यवसाय
पीएमयू – परियोजना प्रबंधन इकाई
पीबीआई – पोस्ट बैंक ऑफ इंडिया

चार्ट– कार्यात्मक यूनिट

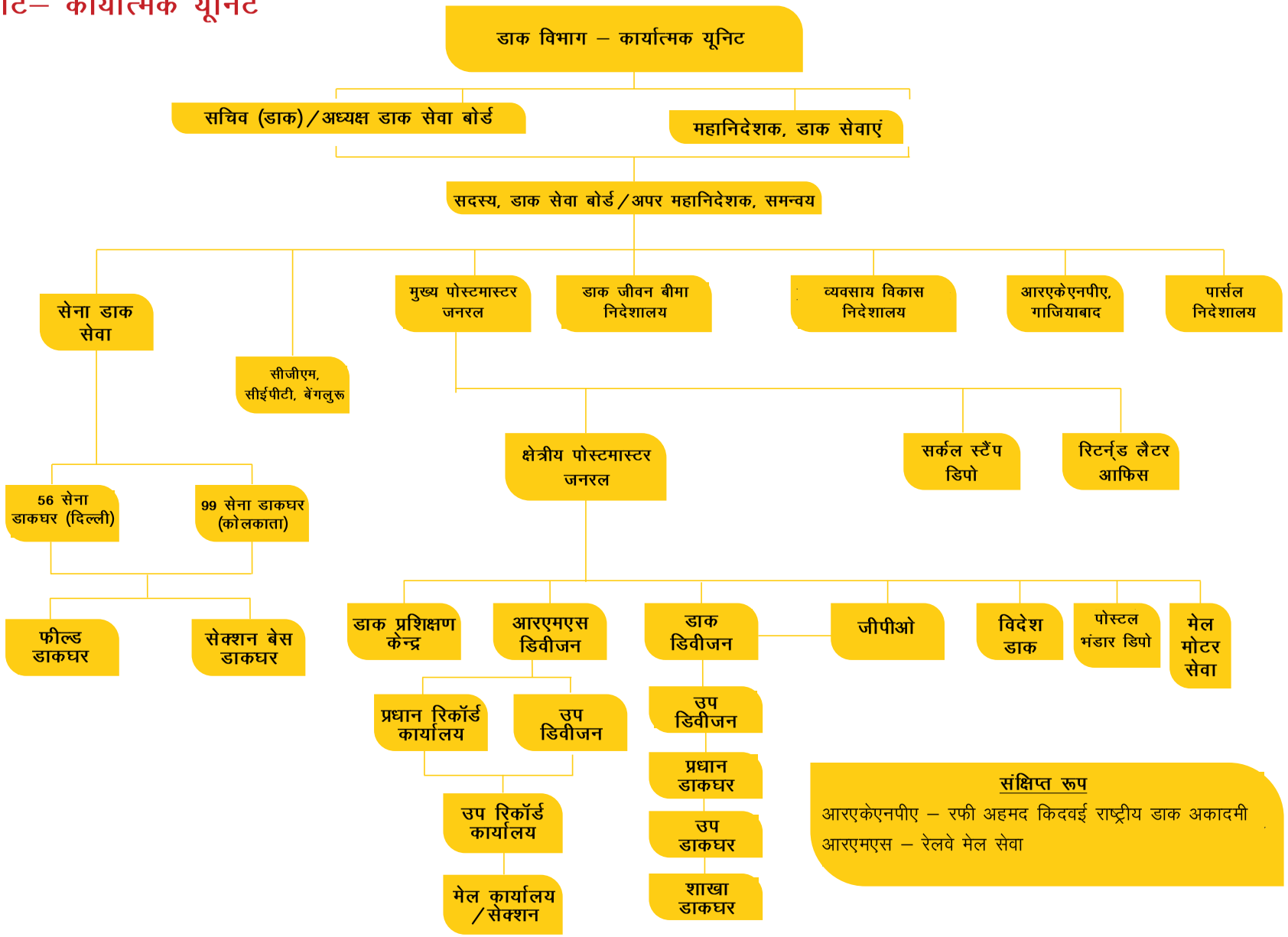

डाक उत्पाद एवं सेवाएं

अध्याय – III

डाक उत्पाद एवं सेवाएं

(क) मेल प्रचालन

1. स्पीड पोस्ट

1.1 भारत में विनिर्धारित स्थानों के बीच पत्रों तथा 35 किग्रा तक वजन वाले पार्सलों की समयबद्ध तथा एक्सप्रेस सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अगस्त 1986 में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत की गई। इसके बाद इस सेवा का ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित शाखा डाकघरों सहित पूरे देश में विस्तार किया गया। स्पीड पोस्ट डाक विभाग का मुख्य उत्पाद है, जो घरेलू एक्सप्रेस उद्योग में अग्रणी है। बुकिंग केंद्र तथा डिलिवरी के स्थानों के मध्य उपलब्ध परिवहन के तीव्रतम साधन को ध्यान में रखते हुए स्पीड पोस्ट के संबंध में वितरण के मानदंड निर्धारित किए जाते हैं।

1.2 भारतीय डाक की वेबसाइट (www.indiapost.gov.in) पर स्पीड पोस्ट की वस्तुओं के पारेषण और सुपुर्दगी संबंधी जानकारी 13 अंकों वाली पहचान संख्या के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती है इसके अतिरिक्त, स्पीड पोस्ट की वस्तुओं को एंड्रॉयड आधारित मोबाइल ऐप 'पोस्ट इंफो' के माध्यम से भी ट्रैक किया जा सकता है।

1.3 स्पीड पोस्ट की मुख्य विशेषताएं

- स्पीड पोस्ट की वस्तुओं का 1 लाख रुपये तक का बीमा किया जा सकता है।
- प्रमुख शहरों के चुनिंदा डाकघरों में चौबीसों घंटे स्पीड पोस्ट की बुकिंग करने की सुविधा उपलब्ध है।
- बुकिंग अभी, भुगतान बाद में (बीएनपीएल) योजना के अंतर्गत ऋण सुविधा
- थोक ग्राहकों के लिए निःशुल्क पिक–अप की सुविधा
- मात्रा (वॉल्यूम) आधारित छूट की सुविधा
- अग्रिम भुगतान पर अतिरिक्त छूट
- ग्राहकों के लिए केंद्रीकृत बिलिंग हेतु राष्ट्रीय खाता सुविधा
- वितरण के समय भुगतान की सुविधा (कैश ऑन डिलिवरी)

1.4 पिछले 7 वर्षों के दौरान स्पीड पोस्ट का परियात एवं राजस्वः

वित्त वर्ष	परियात (करोड़ में)	राजस्व (करोड़ रुपये में)
2015–16	41.43	1605.25
2016–17	46.31	1783.00
2017–18	46.38	1829.80
2018–19	53.73	1922.51
2019–20	43.63	1764.09
2020–21	35.24	1615.30
2021 – 22 (दिसंबर, 2021 तक)	31.18	1257.13

2. रीयल टाइम में सुपुर्दगी (डिलिवरी) संबंधी जानकारी

2.1 डाक की वस्तुओं की डिलीवरी संबंधी सूचना रीयल टाइम में अपडेट करने की ग्राहकों की मांग को पूरा करने से उद्देश्य से डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट, पंजीकृत पत्र / पार्सल, मनी ऑर्डर और कैश ऑन डिलिवरी (सीओडी) के पार्सलों की सुपुर्दगी का कार्य पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन (पीएमए) नामक एक मोबाइल आधारित डिलिवरी एप्लीकेशन

के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया है। यह एप्लीकेशन केंद्रीय प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र (सीईपीटी), मैसूर द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है। पोस्टमैन मोबाइल एप्लिकेशन के उपयोग को बढ़ाने के लिए शहरी क्षेत्रों में डाकियों को 20,000 अतिरिक्त मोबाइल फोन की आपूर्ति की गई है। अब सुपुर्दगी संबंधी अद्यतन सूचना रीयल टाइम में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शहरी क्षेत्रों में डाकियों को 70,000 से अधिक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 1 लाख से अधिक मोबाइल फोन मुहैया कराए गए हैं।

2.2 पीएमए के फलस्वरूप अब लेखादेय डाक वस्तुओं / पार्सलों की सुपुर्दगी संबंधी स्थिति ऑफलाइन मोड में अद्यतन किए जाने की आवश्यकता नहीं रही। पीएमए सुपुर्दगी स्थलों के अक्षांश (लैटीट्यूड) तथा देशांतर रेखा (लांगीट्यूड) के साथ रीयल टाइम सुपुर्दगी संबंधी सूचना मुहैया कराता है। पीएमए ने ग्राहकों को डाक वस्तुओं की सुपुर्दगी संबंधी स्थिति के बारे में जानकारी बेहतर रूप से प्रदान करने में विभाग की मदद की है। देशभर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत डिलिवरी स्टाफ अर्थात डाकियों / ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) को मुहैया कराए गए 1.5 लाख से अधिक मोबाइल फोन में पीएमए को डाउनलोड किया गया है। पीएमए के प्रयोग से लेखादेय डाक वस्तुओं की डिलिवरी में माह–दर–माह सुधार हो रहा है। मई, 2019 में डिलीवर की गई डाक वस्तुओं / पार्सल की संख्या 4.33 लाख थी, जो दिसंबर, 2021 में बढ़कर 3.77 करोड़ हो गई है। वेब टूल (https://mis.cept.gov.in) पर लॉगइन करके थोक ग्राहकों की व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रकार की एमआईएस रिपोर्टें उपलब्ध कराकर पीएमए के अंतर्गत विशिष्ट सुविधाएं प्रदान की गई हैं। ग्राहक इस पहल को काफी पसंद कर रहे हैं क्योंकि इससे डाक की वस्तुओं की तारीख, समय और लोकेशन की जानकारी उपलब्ध होने से डिलिवरी प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी हुई है।

2021–22 में पीएमए के माध्यम से संवितरित डाक वस्तुओं की संख्या (लाख में)

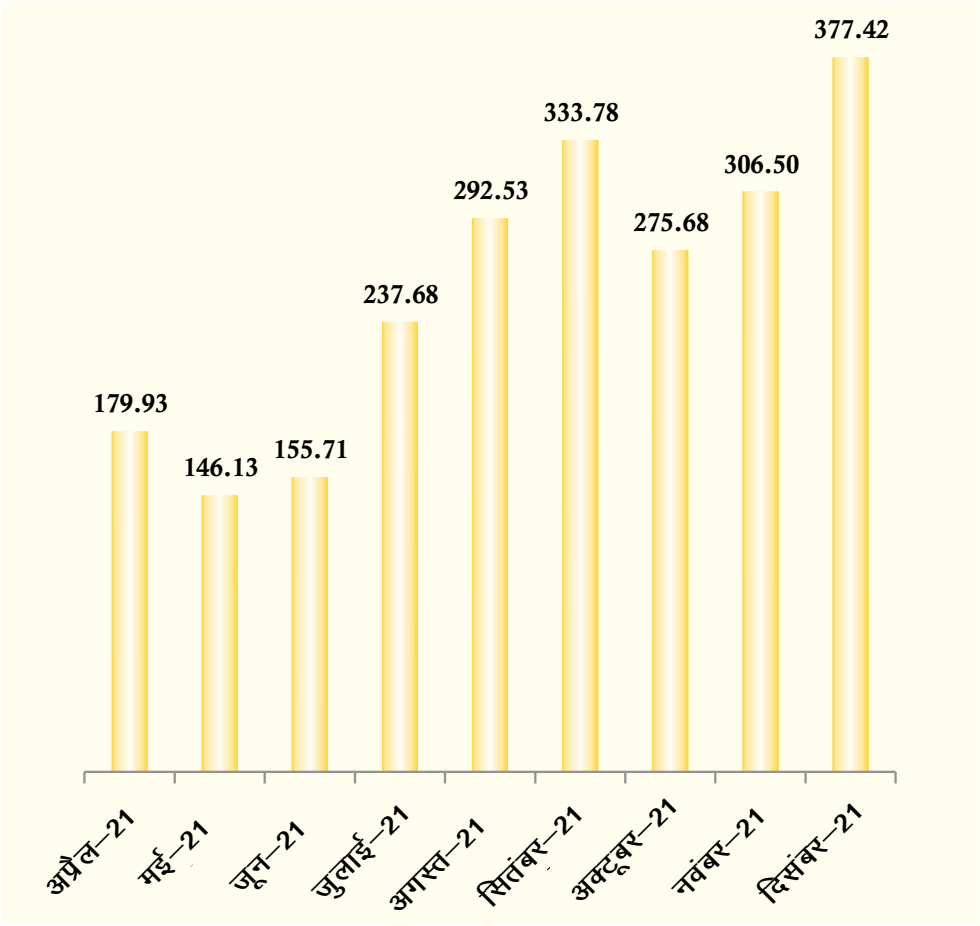

3. पत्र पेटियों का इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस

डाक विभाग ने स्ट्रीट लेटर बॉक्स के क्लियरेंस के डिजिटल प्रमाण के लिए पत्र पेटियों के इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस की प्रणाली आरंभ की है। इसके लिए विभाग द्वारा विकसित 'नन्यथा' सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जा रहा है। पत्र पेटियों के इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस ने इस प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया है और पत्र पेटियों के क्लियरेंस की निगरानी की एक यंत्रावली प्रदान की है। नन्यथा पत्र पेटियों के क्लियरेंस की निगरानी की एक यंत्रावली को भी इनेबल करता है। नन्यथा की मदद से जनसामान्य भी वेब टूल (http://appost.in/nanyatha/) पर लॉग–इन करके किसी क्षेत्र विशेष की पत्र पेटियों के क्लियरेंस की स्थिति जान सकते हैं। दिसंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार, देशभर के 56,561 शहरों/कस्बों में पत्र पेटियों के इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस की सुविधा कार्यान्वित की गई है।

4. स्वचालित मेल प्रोसेसिंग केंद्र

4.1 मेल प्रोसेसिंग के कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से डाक विभाग ने दिल्ली और कोलकाता में स्वचालित प्रोसेसिंग केंद्रों (एएमपीसी) की स्थापना की है। इन केंद्रों में पत्र छंटाई मशीन (एलएसएम) तथा मिश्रित मेल छंटाई (एमएमएस) मशीनों की सुविधा उपलब्ध है, जिनमें से प्रत्येक की छंटाई क्षमता क्रमशः 35,000 और 18,000 डाक वस्तुएं प्रति घंटा है। छंटाई की क्षमता में बढ़ोतरी तथा प्रोसेसिंग की यंत्रीकृत सुविधा से छंटाई के कार्य में तेजी आई है, जिससे इन शहरों में मेल की त्वरित सुपुर्दगी संभव हो पाई है।

5. आधार पत्रों का वितरण

डाक विभाग द्वारा देशभर में स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्तकर्ताओं को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के तीन नए उत्पाद यथा 'आर्डर आधार रीप्रिंट लेटर्स' (ओएआरएल), 'पता प्रमाण पत्र' (एवीएल) तथा 'आर्डर आधार कार्ड' (पीवीसी आधार) संवितरित किए जा रहे हैं। दिसंबर, 2018 से अब तक ओएआरएल, एवीएल तथा पीवीसी आधार की कुल 2.39 करोड़ डाक वस्तुएं देश के कोने–कोने में प्रेषितियों को संवितरित की जा चुकी हैं। विभाग ने अब तक प्रथम श्रेणी के डिलीवरी मेल के माध्यम से 166.73 करोड़ आधार पत्र वितरित किए हैं।

टू–ह्वीलर डिलीवरी क्रू

6. रेल मेल सेवा (आरएमएस) कार्यालयों का ऑनलाइन कार्य संचालन

विभाग के सभी रेल मेल सेवा (आरएमएस) कार्यालयों में कोर सिस्टम इंटीग्रेशन (सीएसआई) समाधान लागू किया गया है, जो ऑनलाइन कार्य संचालन की सुविधा मुहैया कराता है। सीएसआई समाधान का कार्यान्वयन होने से केंद्रीय सर्वर से जुड़े आरएमएस कार्यालयों में सृजित डाटा का रीयल टाइम में आदान–प्रदान संभव हो पाता है, जिससे मेल पारेषण और प्रोसेसिंग की समूची प्रक्रिया में तेजी आई है। इस पहल के फलस्वरूप, ग्राहकों को डाक वस्तुओं की डिलीवरी करने के समय में सुधार हुआ है। सीएसआई समाधान के अंतर्गत 241 स्पीड पोस्ट प्रोसेसिंग हब, 318 कंप्यूटराइज्ड पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), 318 अपंजीकृत मेल कार्यालय, 152 बिजनेस प्रोसेसिंग केंद्र (बीपीसी), 34 बीएनपीएल केंद्र और 280 ट्रांजिट मेल कार्यालय (टीएमओ) अपना प्रचालन कार्य ऑनलाइन कर रहे हैं।

7. मेल मोटर सेवा (एमएमएस)

1. डाक विभाग की मेल की ढुलाई से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से वर्ष 1944 में मेल मोटर सेवा (एमएमएस) अस्तित्व में आई। मेल मोटर सेवा के कार्यों में डाकघरों, आरएमएस कार्यालयों, ट्रांजिट मेल कार्यालयों (टीएमओ), रेलवे स्टेशनों, विमान मेल छंटाई कार्यालयों, बंदरगाहों के बीच डाक थैलों की ढुलाई, नकदी की ढुलाई और स्पीड पोस्ट/थोक डाक का पिक–अप और संवितरण जैसी सेवाएं शामिल हैं। उपरोक्त के अलावा हैदराबाद, बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों में लॉजिस्टिक पोस्ट सेवाओं के लिए एमएमएस शेड्यूल संचालित किए जाते हैं। एमएमएस वर्कशॉप स्टाफ कारों/निरीक्षण वाहनों की मरम्मत और रखरखाव करती हैं।

2. एमएमएस 1469 मेल मोटर वाहनों और 511 निरीक्षण वाहनों/स्टाफ कारों के संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है जो सभी सर्कलों को प्रदान किए गए हैं। इनमें से 200 वाहन ऐसे हैं जो आगरा, अहमदाबाद, दिल्ली और मुंबई में सीएनजी से चलने वाली पर्यावरण हितैषी मेल वैन हैं। मोटर वाहन के बेड़े के संचालन के लिए पूरे देश में 103 एमएमएस यूनिटें हैं, जिनमें से 17 एमएमएस यूनिटों में पूर्णतरू विकसित वर्कशॉप हैं। 1263 एमएमएस वाहनों में जीपीएस की सुविधा प्रदान की गई है और 24x7 नियंत्रण कक्षों के साथ सभी डाक सर्कलों में एमएमएस द्वारा संचालित सभी वाहनों के लिए जीपीएस आधारित ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम भी लागू किया गया है। इन यूनिटों में ऑनलाइन जेनरेट की गई लॉग शीट का उपयोग किया जाता है और मैनुअल लॉग शीट का उपयोग बंद कर दिया गया है।

3. विभाग के बजट अनुभाग ने वर्ष 2021–22 के लिए लेखा शीर्ष 5201–00–101–03–01–51 एमएमवी (गैर योजना) के तहत एमवी अनुभाग के लिए 15 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं तथा खराब हो चुके वाहनों के स्थान पर नए एमएमएस वाहनों की खरीद के लिए यह निधि सर्कलों को वितरित कर दी गई है। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान 40 एमएमएस वाहन समय से पहले खराब हो गए। चालू वित्त वर्ष के दौरान पुराने खराब हो चुके वाहनों को बदलने के लिए सर्कलों को धन आवंटित किया गया है और विभिन्न सर्कलों में 97 वाहनों को बदला गया है।

4. एमवी डिवीजन ने अतिरिक्त 23 नए एमएमएस वाहन खरीदने का भी फैसला किया है। इन 23 वाहनों में से 17 वाहनों को जम्मू एवं कश्मीर सर्कल के लिए निर्धारित किया गया और खरीदने का काम पूरा हो गया है। बिहार सर्कल के लिए 06 वाहन खरीदने की प्रक्रिया चल रही है। लेखा शीर्ष 5201–00–101–03–01–51 एमएमवी (गैर योजना) के तहत निधि आवंटित की जाती है।

5. गुणवत्ता सेवा निधि परियोजना नामक योजना शीर्ष के तहत विभिन्न श्रेणियों के 164 एमएमएस वाहन खरीदने के लिए एमवी अनुभाग को 21,24,96,396/– रुपये की राशि भी आवंटित की गई है।

(ख) पार्सल उत्पाद

1. दुनिया भर में ई–कॉमर्स की घातांकी वृद्धि ने हाल के वर्षों में ऑर्डर पूर्ति सेवा के रूप में कूरियर, एक्सप्रेस और पार्सल (सीईपी) क्षेत्र में डाक विभाग के लिए अवसर का एक नया द्वार खोला है। कई मूल्य वर्धित सेवाओं सहित ऑनलाइन भुगतान या कैश ऑन डिलीवरी (सीओडी) के साथ पार्सल और पैकेट का ई–कॉमर्स संचालित परिवहन और वितरण भारत सहित दुनिया भर में सीईपी बाजार के लिए एक विकास के नए इंजन के रूप में उभरा है।

2. इस पृष्ठभूमि में, पार्सल हैंडलिंग की क्षमता को वर्तमान में लगभग 3.3 लाख डाक वस्तु प्रति दिन से बढ़ाकर 2026 तक 5.7 लाख डाक वस्तु प्रति दिन करने और सीईपी बाजार के अधिक से अधिक हिस्से पर कब्जा करने के लिए अवसंरचना के निर्माण और विशेष रूप से ई–कॉमर्स के व्यवसाय से उत्पन्न पार्सल हैंडलिंग के संचालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए वर्ष 2018 में व्यवसाय यूनिट के रूप में एक समर्पित 'पार्सल निदेशालय' का गठन किया गया है।

3. 2018 में स्थापना के बाद से पार्सल निदेशालय ने भारतीय डाक के पार्सल संचालन की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए कई कदम उठाए हैं और इस तरह आखिरी मील तक भौतिक कनेक्टिविटी प्रदान करके देशभर में, विशेष रूप से भारत के ग्रामीण इलाकों में सेवा की गुणवत्ता और ई–कॉमर्स के वितरण में विश्वसनीयता और सुधार लाया है। इन पहलों में समर्पित पार्सल नेटवर्क का निर्माण, पार्सल हब (पीएच) का उन्नयन, पार्सल की यंत्रीकृत डिलीवरी के लिए नोडल डिलीवरी सेंटर (एनडीसी) की स्थापना और पार्सल का समय पर और सुरक्षित पारेषण सुनिश्चित करने के लिए सड़क परिवहन मार्गों के एक समर्पित नेटवर्क का विकास करना शामिल है जिससे देश के हर हिस्से में पार्सल का सुरक्षित पारेषण और तेजी से वितरण सुनिश्चित होता है।

4. पिछले एक वर्ष के दौरान पार्सल निदेशालय की प्रमुख पहलें:

4.1 बाजार हिस्सेदारी और क्षमता निर्माण में वृद्धि: डाक विभाग ने 2026 तक पार्सल परियात को मौजूदा 3.9 करोड़ प्रति वर्ष से बढ़ाकर 6.8 करोड़ प्रति वर्ष करने और पार्सल हैंडलिंग क्षमता को मौजूदा 9.8 करोड़ प्रति वर्ष से बढ़ाकर 17.1 करोड़ प्रति वर्ष करने का लक्ष्य रखा है। 31 दिसंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार 10.98 करोड़ प्रति वर्ष की पार्सल संचालन क्षमता सृजित की गई है।

4.2. पार्सल हब

4.2.1 पार्सल की हैंडलिंग के लिए 189 पार्सल हब से युक्त एक नया और अलग नेटवर्क चालू किया जा रहा है जिसमें लेवल 1 के 57 और लेवल 2 के 132 हब शामिल हैं। 189 में से 176 पार्सल हब पार्सल नेटवर्क इष्टतमीकरण परियोजना के तहत परिभाषित संशोधित प्रक्रियाओं के अनुसार पार्सल की प्रोसेसिंग कर रहे हैं। 12 शहरों अर्थात दिल्ली, मुंबई, भुवनेश्वर, विजयवाड़ा, जयपुर, अहमदाबाद, कोलकाता, लखनऊ, लुधियाना, कोयंबटूर, गुवाहाटी और हैदराबाद में एकीकृत और अर्ध स्वचालित पार्सल प्रसंस्करण केंद्र चालू किए गए हैं।

4.2.2 संचालन में मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए, अब तक 189 पार्सल हब के लिए मानक उपकरणों का उपयोग करने वाले पार्सल हब के लेआउट को मानकीकृत किया गया है। निम्नलिखित मानचित्र में टियर 1, टियर 2 और टियर 3 के शहरों/कस्बों में इन पार्सल हब का भौगोलिक वितरण दर्शाया गया है:

टियर 1, टियर 2 और टियर 3 के शहरों में पार्सल हब

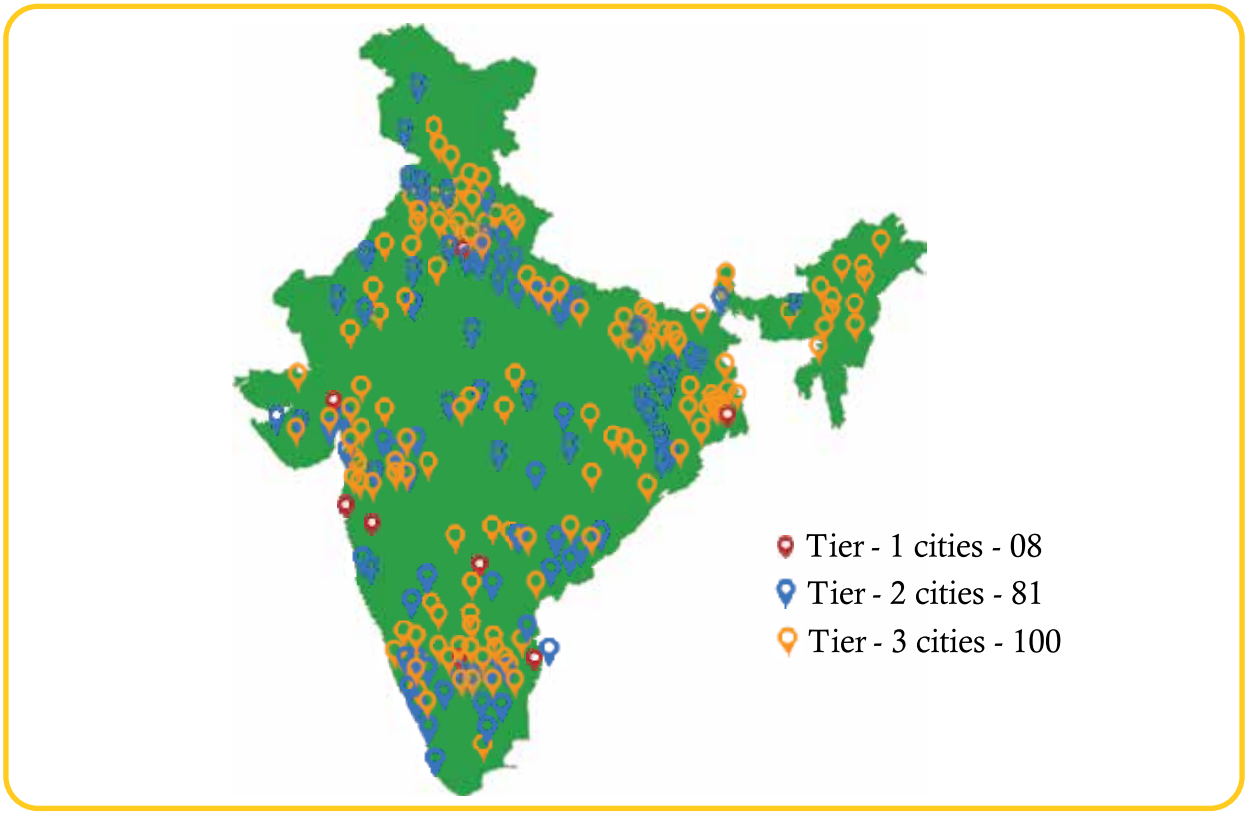

4.2.3 8 स्थानों पर कन्वेयर बेल्ट और गतिशील वजन प्रणाली के साथ स्वचालित छंटाई प्रणाली चालू की गई है। इन अर्ध स्वचालित केंद्रों में प्रति घंटे 2500 पार्सल तक की पार्सल प्रसंस्करण क्षमता है और ये विशेष रूप से ई–कॉमर्स पार्सल की अत्यधिक मात्रा को हैंडल करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

भारतीय डाक ने दुर्गम क्षेत्रों में मेल और पार्सल की ढुलाई करने के लिए जम्मू एवं कश्मीर को 17 नए वाहन प्रदान किये हैं

4.2.4 नोडल डिलीवरी केंद्र

दो पहिया और चार पहिया वाहनों का उपयोग करके यंत्रीकृत वितरण के माध्यम से पार्सल के वितरण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए नोडल वितरण केंद्र (एनडीसी) स्थापित करने के लिए 200 स्थानों की पहचान की गई है। ये केंद्र देशभर के 145 शहरों में फैले हुए हैं तथा इनका उद्देश्य गंतव्य डाकघर में पार्सल प्राप्त होने के दिन ग्राहक के द्वार पर पार्सल की डिलीवरी करने में सुधार लाना है। एनडीसी की स्थापना के लिए शहरों/कस्बों का वितरण निम्नानुसार है:

शहर का प्रकार	एनडीसी की संख्या
टियर I	52
टियर II	82
टियर III	66

4.2.5 पार्सल हब (पीएच) और नोडल डिलीवरी सेंटर (एनडीसी) के लिए विस्तृत विनिर्देशों के साथ मानक उपकरण डिजाइन विकसित किए गए हैं और शिपमेंट की तेजी से प्रोसेसिंग करने की आवश्यकताओं के अनुसार सभी पीएच/एनडीसी पर उपकरण स्थापित किए जा रहे हैं।

5. सड़क परिवहन नेटवर्क

5.1 अखिल भारतीय डाक सड़क परिवहन नेटवर्क (आरटीएन) का कार्यान्वयन सरकार के पास उपलब्ध मौजूदा मल्टीमॉडल आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। विभाग ने एक बड़े डाक सड़क परिवहन नेटवर्क को लागू करने की योजना बनाई है जो पूरे पूरे भारत के 400 शहरों को जोड़ेगा। सभी राज्यों को दैनिक संपर्क प्रदान करने के लिए यह समर्पित डाक सड़क परिवहन नेटवर्क डिज़ाइन किया गया है और इसका उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है।

5.2 डाक सड़क परिवहन नेटवर्क परियोजना की परिकल्पना (i) पार्सल के परिवहन के लिए सुरक्षित और निरापद प्रणाली, (ii) अंतर–शहर मार्गों पर पार्सल के परिवहन के लिए विश्वसनीय डाक सड़क परिवहन नेटवर्क तंत्र और (iii) ई–कॉमर्स पार्सल के शिपमेंट के लिए मजबूत, सुरक्षित और फास्ट लाइन हॉल सिस्टम प्राप्त करने के लिए की गई है।

5.3 डाक सड़क परिवहन नेटवर्क के 68 राष्ट्रीय मार्गों की योजना बनाई गई है, जिसके अंतर्गत प्रतिदिन 45000 किलोमीटर से अधिक का डेली रन तय किया जाएगा। इसे और सुदृढ़ करने के लिए इन्हें हब एंड स्पोक तंत्र के तहत 348 राज्य स्तरीय मार्गों से जोड़ा जाएगा। ज्यादातर मार्ग सार्वजनिक निजी साझेदारी (आउटसोर्स) मोड में चलेंगे। नीचे दिया गया मानचित्र भारतीय डाक के प्रस्तावित राष्ट्रीय डाक सड़क परिवहन नेटवर्क को दर्शाता है। वर्तमान में, 68 (34*2) नियोजित राष्ट्रीय मार्गों में से 44 (22*2) राष्ट्रीय मार्ग चालू हो चुके हैं।

सड़क परिवहन नेटवर्क

5.4 ट्रांसशिपमेंट केंद्र : आरटीएन के एक अंग के रूप में, परियात को संभालने के लिए प्रमुख शहरों के बाहर राजमार्गों के पास पार्सल बैग आदान–प्रदान केंद्र के रूप में 18 ट्रांसशिपमेंट केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है ताकि ट्रक शहर के यातायात में न फंसें और इस प्रकार सामग्री वहन की प्रक्रिया के अंतर्गत आवाजाही में तेजी लाई जा सके। (वर्तमान में गुवाहाटी, सागर, चेन्नई, सिलीगुड़ी और बेंगलुरु में 5 ट्रांसशिपमेंट केंद्र कार्य कर रहे हैं)।

तालिका 2

संख्या (करोड़ में)

मेल की मात्रा		
श्रेणी	**2019–20**	**2020–21**
पंजीकृत डाक	**19.30**	**13.49**
अपंजीकृत डाक	446.66	430.62
प्रीमियम उत्पाद *	44.31	35.24
कुल	**510.27**	**479.35**

*स्पीड पोस्ट और एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट

तालिका 3

2019–2020 और 2020–2021 के दौरान श्रेणीवार डाक परियात (पंजीकृत, अपंजीकृत और प्रीमियम उत्पाद)		
		संख्या (करोड़ में)
मद	**2019–20**	**2020–21**
1. पोस्टकार्ड*	**80.11**	**75.45**
2. पत्र		
i) स्पीड पोस्ट	43.63	35.24
ii) पंजीकृत पत्र	16.47	11.68
iii) बीमित पत्र	0.07	0.04
iv) मूल्य देय पत्र	0.34	0.12
v) अपंजीकृत पत्र#	251.24	243.21
कुल पत्र डाक	**311.75**	**290.29**
3. पंजीकृत समाचार पत्र	**40.99**	**38.22**
4. पार्सल		
i) एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट**	0.68	0.00
ii) पंजीकृत पार्सल	1.47	1.13
iii) बीमित पार्सल	0.09	0.04
iv) मूल्य देय पार्सल	0.17	0.09
v) अपंजीकृत पार्सल#	7.03	10.42
कुल पार्सल डाक	**9.44**	**11.68**
5. पैकेट		
i) पंजीकृत पैकेट	0.52	0.34
ii) मूल्य देय पैकेट	0.17	0.05
iii) अपंजीकृत पैकेट	67.29	63.32
कुल पैकेट डाक	**67.98**	**63.71**
कुल योग (1 से 5)	**510.27**	**479.35**

* इसमें पावतियां शामिल हैं।

इसमें पत्र कार्ड और अपूर्ण भुगतान वाले पत्र शामिल हैं।

**एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट की सेवा 18.11.2019 से बंद कर दी गई है

कर्नाटक सर्कल में सड़क परिवहन नेटवर्क के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जा रहा है

(ग) फुटकर व्यवसाय उत्पाद

1. बिजनेस पोस्ट

डाक विभाग ने सरकारी विभागों / पीएसयू / कॉर्पोरेट घरानों, जिनके पास भारी मात्रा में डाक सामग्री होती है, को एक व्यापक मेलिंग समाधान प्रदान करने के लिए वर्ष 1996 में "बिजनेस पोस्ट" सेवा शुरू की। "बिजनेस पोस्ट" सेवा के तहत, विभाग मोड़ने, डालने, फ्रैंकिंग, पता लिखने और चिपकाने इत्यादि जैसे सभी डाक पूर्व कार्य करता है। बड़ी संख्या में डाक भेजने वाले बड़े संगठनों को इन डाक पूर्व गतिविधियों को पूरा करने में मुश्किल हो रही थी। बिजनेस पोस्ट उन्हें समग्र मेलिंग समाधान प्रदान करता है।

बिजनेस पोस्ट की सेवाएं देशभर के चुनिंदा डाकघरों में बिजनेस पोस्ट केंद्रों पर उपलब्ध हैं। बिजनेस पोस्ट अपने आप में कोई सेवा नहीं है; यह स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट और अपंजीकृत मेल जैसी अन्य सेवाओं के लिए एक मूल्यवर्धन है।

2. डायरेक्ट पोस्ट

भारत में वाणिज्यिक गतिविधियों में वृद्धि होने के साथ, व्यावसायिक संगठनों द्वारा उत्पादों और सेवाओं के प्रत्यक्ष विज्ञापन की आवश्यकता बढ़ रही है। डायरेक्ट मेल को सावधानीपूर्वक चुने गए ग्राहक वर्ग अथवा बाजार खंड से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए डिजाइन किए गए बिक्री संदेश या घोषणा का प्रसार करने वाली मुद्रित सामगी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह आगामी और स्थापित दोनों प्रकार के व्यावसायिक घरानों के लिए विज्ञापन के सबसे प्रभावी माध्यमों में से एक है। इसका उपयोग देश के दूर–दराज के क्षेत्रों में सामाजिक रूप से प्रासंगिक संदेशों के प्रसार के लिए भी किया जा सकता है। डायरेक्ट मेल पता–लिखित तथा गैर पता–लिखित दोनों तरह से हो सकते हैं। भारतीय डाक द्वारा प्रदान की जा रही डायरेक्ट मेल सेवा के अंतर्गत पत्र, कार्ड, सूचना विवरणिकाएं, प्रश्नावली, पैंफलेट, सैंपल जैसी गैर पता लिखित डाक वस्तुएं और सीडी आदि जैसी प्रचार प्रसार सामग्री, कूपन, पोस्टर, मेलर अथवा किसी भी अन्य प्रकार के ऐसे मुद्रित संचार शामिल होते हैं, जो किसी कानून के अंतर्गत प्रतिबंधित न हों।

3. मीडिया पोस्ट

भारतीय डाक कॉर्पोरेट जगत और सरकारी संगठनों को "मीडिया पोस्ट" के माध्यम से अपने संभावित ग्राहक वर्ग तक पहुंच बनाने का एक अनूठा मीडिया मंच प्रदान करता है। संख्या तथा पहुंच के परिप्रेक्ष्य में कोई भी अन्य माध्यम भारतीय डाक के व्यापक विस्तार का मुकाबला नहीं कर सकता। मीडिया पोस्ट कई तरह के विज्ञापन माध्यम प्रदान करता है, जैसे कि डाक लेखन सामग्री, डाक परिसर में पोस्टरों का प्रदर्शन आदि।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की ओर से डाक विभाग ने देश में 9178 डाकघरों के माध्यम से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति योजना जागरूकता अभियान चलाया।

4. रिटेल पोस्ट

ग्राहकों को उनके इलाकों के आसपास उपयोगी सेवाएं प्रदान करने के लिए डाकघरों को वन स्टॉप शॉप के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। भारतीय डाक "रिटेल डाक" के तहत सेवाएं प्रदान करके देशभर में अपने डाकघरों के विशाल नेटवर्क का लाभ उठा रहा है जिसमें बिजली बिल, टेलीफोन बिल, कर, शुल्क आदि का संग्रहण शामिल है।

भारत सरकार की पहल के अंग के रूप में, डाक विभाग "सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड" की बिक्री की सुविधा प्रदान करता है, जिसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नई श्रृंखला के बॉन्ड जारी किए जाने पर, विभाग के सभी प्रधान डाकघरों के माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जाते हैं।

5. गंगा जल का वितरण

जुलाई 2016 से, विभाग ने देशभर में स्थित डाकघरों के माध्यम से 200 मिली और 500 मिली की बोतलों में गंगोत्री से प्राप्त 'गंगा जल' की आपूर्ति और वितरण की व्यवस्था प्रारंभ की है।

इस परियोजना का उद्देश्य आम आदमी को उनके निकटतम डाकघर में और ग्राहकों के दरवाजे पर भी "गंगा जल" उपलब्ध कराना है। प्रारंभ में "गंगा जल" की बोतलों का वितरण प्रधान डाकघरों के माध्यम से शुरू किया गया था। यह वर्तमान में इसका वितरण देशभर में स्थित 4116 डाकघरों के माध्यम से वितरित किया जाता है और यह ऑनलाइन पोर्टल यानी "ePostoffice.gov.in" और "ecom.indiapost.gov.in" पर भी उपलब्ध है।

(घ) ई–प्रोडक्ट और सेवाएं

1. ई–पोस्ट

ई–पोस्ट एक गैर पंजीकृत हाइब्रिड डाक सेवा है जिसके तहत संदेशों का इलेक्ट्रॉनिक पारेषण किया जाता है जिसमें टेक्स्ट संदेश, स्कैन की गई छवियां, चित्र इत्यादि शामिल हो सकते हैं और डाकिया/डिलीवरी स्टाफ के माध्यम से गंतव्य पर हार्ड कॉपी में उनकी डिलीवरी की जा सकती है। वर्तमान में, पूरे भारत में 1.56 लाख से अधिक डाकघरों के नेटवर्क के माध्यम से 13531 से अधिक डाकघरों में ई–पोस्ट की बुकिंग और भौतिक वितरण की सुविधा उपलब्ध है। ई–पोस्ट सेवा खुदरा और कॉर्पोरेट दोनों प्रकार के ग्राहकों के लिए प्रदान की जाती है। ई–पोस्ट का प्रयोग मुख्य रूप से व्यक्तिगत ग्राहकों द्वारा सीमित संख्या में ई–पोस्ट संदेश भेजने के लिए किया जाता है। ग्राहक ई–पोस्ट सक्षम डाकघरों में जाकर इस सेवा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं या वे ई–पोस्ट रिटेल के प्रीपेड उपयोगकर्ता के रूप में अपने आपको पंजीकृत कराकर इसे अपने परिसर से भी भेज सकते हैं। प्री–पेड सुविधा का लाभ उठाने के लिए, ग्राहक को ई–पोस्ट यूआरएल www.epost-indiapost.gov.in पर पहुंचकर खुद को ऑनलाइन पंजीकृत करवाना होगा। ई–पोस्ट कॉर्पोरेट सेवा सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, छोटे और मध्यम उद्यमों, कंपनियों आदि सहित कॉर्पोरेट ग्राहकों को इंटरनेट का उपयोग करके अपने कार्यालय परिसर से अपनी व्यावसायिक आवश्यकता के अनुसार संदेशों का मसौदा तैयार करने, डिजाइन करने और भेजने में सक्षम बनाती है। संदेश को सॉफ्ट कॉपी के रूप में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित किया जाता है और गंतव्य स्थल पर प्रेषिती को हार्ड कॉपी के रूप में वितरित किया जाता है।

2. ई–भुगतान

देशभर के ग्राहकों से बिलों और अन्य भुगतानों के संग्रहण की व्यावसायिक आवश्यकताओं के आधार पर, डाकघर व्यावसायिक यूनिटों और संगठनों के लिए डाकघर नेटवर्क के माध्यम से अपने बिल या अन्य भुगतान एकत्र करने के लिए ई–भुगतान के रूप में एक सरल, सुविधाजनक और स्मार्ट समाधान प्रस्तुत करता है। यह एक 'अनके से एक' किस्म का समाधान है जिसके तहत किसी भी संगठन की ओर से धन (टेलीफोन बिल, बिजली बिल, परीक्षा शुल्क, कर, विश्वविद्यालय शुल्क, स्कूल शुल्क आदि) का संग्रहण किया जाता है। जमा की गई धनराशि को वेब आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से समेकित किया जाता है और बिलर द्वारा चुने गए डाकघर से चेक के माध्यम से केंद्रीय रूप से इस धनराशि का भुगतान किया जाता है।

उपरोक्त व्यवसाय विकास उत्पादों के माध्यम से वित्त वर्ष 2021–22 में 31 दिसंबर 2021 तक अर्जित राजस्वः

क्र. सं.	उत्पाद	अवधि	अर्जित राजस्व (लाख रुपये में)
1	बिजनेस पोस्ट	01.04.2021 से 31.12.2021	4901
2	डायरेक्ट पोस्ट	01.04.2021 से 31.12.2021	78
3	मीडिया पोस्ट	01.04.2021 से 31.12.2021	–1146*
4	रिटेल पोस्ट	01.04.2021 से 31.12.2021	2728
5	ई–पोस्ट	01.04.2021 से 31.12.2021	142
6	ई–भुगतान	01.04.2021 से 31.12.2021	710

*इस वित्त वर्ष अर्थात 2021–2022 में वित्त वर्ष 2020–21 की प्राप्तियों का समायोजन किया गया है।

3. इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर (ई–एमओ)

इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर (ई–एमओ) वर्ष 2008 से डाक विभाग द्वारा प्रदान की जा रही एक वेब आधारित त्वरित धन अंतरण सेवा है। वर्तमान में, यह सेवा देशभर के सभी विभागीय डाकघरों के माध्यम से उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर (ई–एमओ) के माध्यम से भेजी गई धनराशि का भुगतान प्राप्तकर्ता को उसके द्वार पर किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर (ई–एमओ) सेवा के ग्राहकों के लिए www.indiapost.gov.in पर ट्रैकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है।

01 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 के बीच बुक किए गए और भुगतान किए गए अंतर्देशीय इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डरों का आंकड़ा (27 जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसार बीआई की रिपोर्टों के अनुसार)

बुक किए गए ई–एमओ			भुगतान किए गए ई–एमओ	
संख्या (लाख में)	राशि (करोड़ रुपये में)	कमीशन (करोड़ रुपये में)	संख्या (लाख में)	राशि (करोड़ रुपये में)
137.06	1355.70	81.29	114.83	1375.83

4. जीवन प्रमाण केंद्र (जेपीसी)

I. जीवन प्रमाण सेवा पेंशनरों के लिए अपना जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल रूप में जमा करने के लिए एक बायोमीट्रिक समर्थित डिजिटल सेवा है। विभाग द्वारा यह सेवा 30 जून, 2015 को प्रारंभ की गई। इस सेवा के अंतर्गत, पेंशनरों द्वारा पूर्व में मैनुअल रूप में जमा किए जा रहे सभी जीवन प्रमाण पत्रों को अब आधार नंबर का प्रयोग कर डिजिटल रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) के लिए पंजीकरण में पेंशनरों को सहायता प्रदान करने के लिए विभाग ने देशभर के 810 प्रधान डाकघरों में जीवन प्रमाण केन्द्र स्थापित किए हैं।

II. विभाग ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के सृजन के पश्चात पेंशनरों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस भेजने की सुविधा भी शुरू की है। विभाग द्वारा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से बहुत मामूली शुल्क के भुगतान पर किसी भी पेंशनर को डीएलसी जमा कराने की सुविधा उनके द्वार पर भी उपलब्ध कराई जा रही है। पेंशनर अपने द्वार पर डीएलसी बनवाने की सुविधा प्राप्त करने के लिए 'पोस्ट इंफो ऐप' पर अपना अनुरोध दर्ज करा सकते हैं।

III. 01 अक्तूबर, 2021 से 31 दिसंबर, 2021 तक प्रधान डाकघरों में कुल 2,60,432 डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) पंजीकृत किए गए हैं (यह 27 जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसार एनआईसी के जीवन प्रमाण पोर्टल से लिया गया है)।

2. ऊपर उल्लिखित गतिविधियों के अलावा, विशेष रूप से कोविड–19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान पीओ प्रभाग में निम्नलिखित कार्य भी शुरू किए गए हैं:

क. कोविड–19 महामारी की दूसरी लहर के प्रकोप के दौरान पंजीकृत समाचार पत्रों को अपनी सुविधा के अनुसार संयुक्त संस्करण, अलग संस्करण मुद्रित करके या कुछ संस्करणों को न छापकर और 31 अगस्त 2021 तक किसी भी तारीख को उन्हें पोस्ट करके मार्च 2021 से जुलाई 2021 तक छूट अवधि प्रदान की गई।

ख. महामारी के दौरान प्रयोक्ताओं / मेलर को फ्रैंक मेल की पोस्टिंग के लिए लॉकडाउन से पहले / लॉकडाउन के दौरान लंबित डाक को पोस्ट करने के लिए 7 कार्य दिवस की छूट प्रदान की गई।

ग. पोस्ट इनफो ऐप ने मुख्य रूप से आवश्यक डाक सेवाओं जैसे कि आवश्यक माल, दवा,

धन अंतरण, आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (एईपीएस) और अन्य सेवाओं जैसे कि मेल की बुकिंग, बैंकिंग सेवा, बीमा सेवा आदि से संबंधित ग्राहकों की आवश्यकताओं को उनके द्वार पर पूरा किया जिसके लिए उन्होंने पोस्ट इनफो ऐप के माध्यम से ऑनलाइन अनुरोध भेजा। पिछले वित्त वर्ष के लिए विभाग ने लगभग 3.7 लाख सेवा अनुरोध पर कार्रवाई की है, जबकि अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक विभाग द्वारा सेवा के लिए लगभग 1,74,000 अनुरोधों को पूरा किया है (यह 27 जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसार https://mis.cept.gov.in से लिया गया है)।

जीवन प्रमाण केन्द्रों की सुविधाओं का लाभ उठाते हुए वरिष्ठ नागरिक

पडरी बीओ, इंदरगढ़, दतिया, ग्वालियर में 12 जुलाई 2021 से 30 अक्टूबर 2021 तक सुकन्या समृद्धि खाता अभियान

(ङ) डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा

1. पृष्ठभूमि

1.1 डाक विभाग दो प्रकार की जीवन बीमा योजनाओं अर्थात डाक जीवन बीमा (पीएलआई) तथा ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आरपीएलआई) की पेशकश करता है।

डाक जीवन बीमा

1.2 वर्ष 1884 में प्रारंभ की गई डाक जीवन बीमा (पीएलआई) योजना केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों सैन्य तथा अर्ध सैन्य सेवा, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, बैंकों शैक्षणिक संस्थाओं, स्थानीय निकायों के कर्मचारियों, पेशेवरों (जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, सनदी लेखाकार, एमबीए, अधिवक्ता आदि) तथा राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के साथ सूचीबद्ध कंपनियों के कर्मचारियों के हितलाभ के लिए देश की सबसे पुरानी जीवन बीमा योजनाओं में से एक है।

1.3 पीएलआई निम्नलिखित प्रकार की 6 पॉलिसियों की पेशकश करती है:

(i) आजीवन बीमा (सुरक्षा)
(ii) परिवर्तनीय आजीवन बीमा (सुविधा)
(iii) बंदोबस्ती बीमा (संतोष)
(iv) प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमा (सुमंगल)
(v) संयुक्त जीवन बीमा (युगल सुरक्षा)
(vi) चिल्ड्रेन पॉलिसी (बाल जीवन बीमा)

ग्रामीण डाक जीवन बीमा

1.4 ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को बीमा सुविधा का लाभ प्रदान करने के लिए वर्ष 1995 में ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आरपीएलआई) योजना शुरू की गई।

1.5 आरपीएलआई निम्नलिखित प्रकार की 6 पॉलिसियों की पेशकश करती है:

(i) आजीवन बीमा (ग्राम सुरक्षा)
(ii) परिवर्तनीय आजीवन बीमा (ग्राम सुविधा)
(iii) बंदोबस्ती बीमा (ग्राम संतोष)
(iv) प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमा (ग्राम सुमंगल)
(v) 10 वर्षीय आरपीएलआई (ग्राम प्रिया)
(vi) चिल्ड्रेन पॉलिसी (बाल जीवन बीमा)

पीएलआई/आरपीएलआई के अंतर्गत बीमा (बीमित राशि) की अधिकतम सीमा

पीएलआई के अंतर्गत बीमा (बीमित राशि) की न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा क्रमशः 20 हजार रुपये एवं 50 लाख रुपये है, जबकि आरपीएलआई के अंतर्गत यह सीमा क्रमशः 10 हजार रुपये एवं 10 लाख रुपये है।

2. शुरू की गई नई पहलें

2.1 डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, भीम/यूपीआई, वॉलेट तथा रूपे कार्ड के माध्यम से ग्राहक पोर्टल पर पीएलआई/आरपीएलआई के प्रीमियम का भुगतान किया जा सकता है। प्रीमियम का भुगतान डाक विभाग की मोबाइल बैंकिंग (मोबाइल ऐप), ई–बैंकिंग (पीओएसबी के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग) के माध्यम से भी किया जा सकता है और स्थायी निर्देश देकर पीओएसबी खाते के माध्यम से प्रीमियम के ऑटो भुगतान प्राप्त किए जा सकते हैं।

2.2 अब डिजिलॉकर के माध्यम से पॉलिसीधारकों के लिए डिजिटल प्रारूप में पीएलआई और आरपीएलआई बांड उपलब्ध हैं।

3. महत्वपूर्ण सर्किल / क्षेत्रीय / स्थानीय पहलें, यदि कोई हो

3.1 कोरोना वायरस (कोविड–19) के प्रकोप से उत्पन्न खतरे को देखते हुए, पूरे भारत में पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया था। तथापि, पीएलआई और आरपीएलआई पॉलिसीधारकों को सुविधा प्रदान करने के उपाय के रूप में, मई 2021 से जुलाई 2021 के महीनों के लिए प्रीमियम भुगतान अवधि को किसी डिफ़ॉल्ट शुल्क (जुर्माना राशि) के बगैर तीन महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था।

4. सांख्यिकीय तालिकाएँ और ग्राफ

4.1 पीएलआई/आरपीएलआई का निष्पा दन

पीएलआई/आरपीएलआई के अंतर्गत वर्ष 2021–22 के दौरान अप्रैल 2021 से दिसंबर 2021 तक (वास्तविक) और जनवरी 2022 से मार्च 2022 तक (प्रत्याशित) किया गया व्यरवसाय और कुल बीमित रकम इस प्रकार है:

तालिका 4

डाक जीवन बीमा/ग्रामीण डाक जीवन बीमा का निष्पादन										
योजना का नाम	वर्ष 2021–22 में खरीदी गई नई पॉलिसियों की संख्या (लाख में) (गैर लेखा परीक्षित)		बीमित राशि (करोड़ रुपये में) (गैर लेखा परीक्षित)		पॉलिसियों की कुल संख्या (लाख में) (गैर लेखा परीक्षित)		सकल बीमित राशि (करोड़ रुपये में) (गैर लेखा परीक्षित)		प्रीमियम आय (करोड़ रुपये में)	
	अप्रैल 2021 से नवंबर, 2021	जनवरी 2022 से मार्च 2022 (प्रत्याशित)	अप्रैल 2021 से नवंबर, 2021	जनवरी 2022 से मार्च 2022 (प्रत्याशित)	अप्रैल 2021 से नवंबर, 2021	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (प्रत्याशित)	अप्रैल 2021 से नवंबर, 2021	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (प्रत्याशित)	अप्रैल 2021 से नवंबर 2021	जनवरी 2022 से मार्च 2022 (प्रत्याशित)
पीएलआई	3.08	1.19	18546.32	7675	63.57	64.00	212546.59	220220	6576.10	2192
आरपीएलआई	6.58	3.20	11423.74	5155	256.75	259	153558.02	158710	2299.02	766

4.2 पीएलआई और आरपीएलआई की पॉलिसियों को जारी रखने पर निम्नेलिखित दरों पर बोनस की घोषणा की गई है:

तालिका 5

डाक जीवन बीमा/ग्रामीण डाक जीवन बीमा पर बोनस की दर			
योजना	प्रति हजार रुपये की बीमित राशि के लिए प्रति वर्ष बोनस की दरें		
	आजीवन बीमा	बंदोबस्ती बीमा	प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमा
31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार पीएलआई	76 रुपये	52 रुपये	48 रुपये
31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार आरपीएलआई	60 रुपये	48 रुपये	45 रुपये

4.3 वर्ष 2021–22 के दौरान पीएलआई और आरपीएलआई पॉलिसियों के निपटाए गए दावे इस प्रकार हैं:

तालिका 6

2021–22 के दौरान डाक जीवन बीमा/ग्रामीण डाक जीवन बीमा के अंतर्गत निपटाए गए दावे				
विवरण	पीएलआई		आरपीएलआई	
अवधि	अप्रैल से दिसंबर 2021	जनवरी 2022 से मार्च 2022 (प्रत्याशित)	अप्रैल से दिसंबर 2021	जनवरी 2022 से मार्च 2022 (प्रत्याशित)
दावों की संख्या	258998	106737	302764	101274
भुगतान की गई राशि (करोड़ रुपये में)	5322.46	2113	1879.94	634

4.4 वर्ष 2021–22 के दौरान पीएलआई और आरपीएलआई पॉलिसियों के निपटाए गए मृत्यु दावे इस प्रकार हैं:

तालिका 7

2021–22 के दौरान डाक जीवन बीमा/ग्रामीण डाक जीवन बीमा के अंतर्गत निपटाए गए मृत्यु दावे				
विवरण	पीएलआई		आरपीएलआई	
अवधि	अप्रैल से दिसंबर 2021	जनवरी 2022 से मार्च 2022 (प्रत्याशित)	अप्रैल से दिसंबर 2021	जनवरी 2022 से मार्च 2022 (प्रत्याशित)
दावों की सख्या	16742	3980	15913	4296
भुगतान की गई राशि (करोड़ रुपये में)	544.68	119	156	38.24

4.5 ग्राहक पोर्टल का प्रदर्शनः

प्रीमियम के ऑनलाइन भुगतान के लिए पीएलआई ग्राहक पोर्टल का प्रयोग करने वाले पॉलिसी धारकों की संख्याा में वृद्धि हुई है। ग्राहक पोर्टल का प्रयोग करने वाले पॉलिसी धारकों की संख्या दिसंबर 2020 में 139788 से बढ़कर दिसंबर 2020 में 2,10,408 हो गई है और ऑनलाइन जमा किए गए प्रीमियम की राशि दिसंबर 2020 में 51.84 करोड़ रुपये से बढ़कर नवंबर 2021 में 87.25 करोड़ रुपये हो गई है।

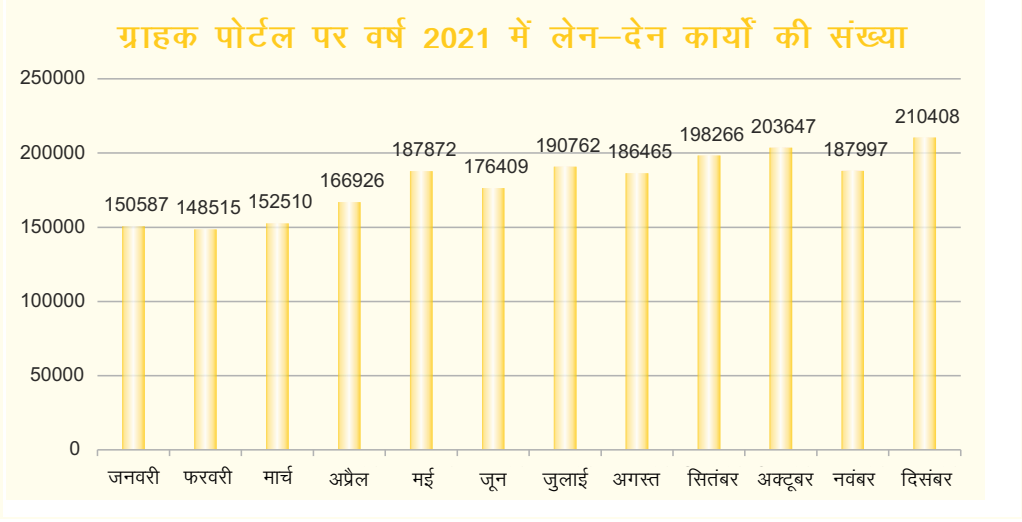

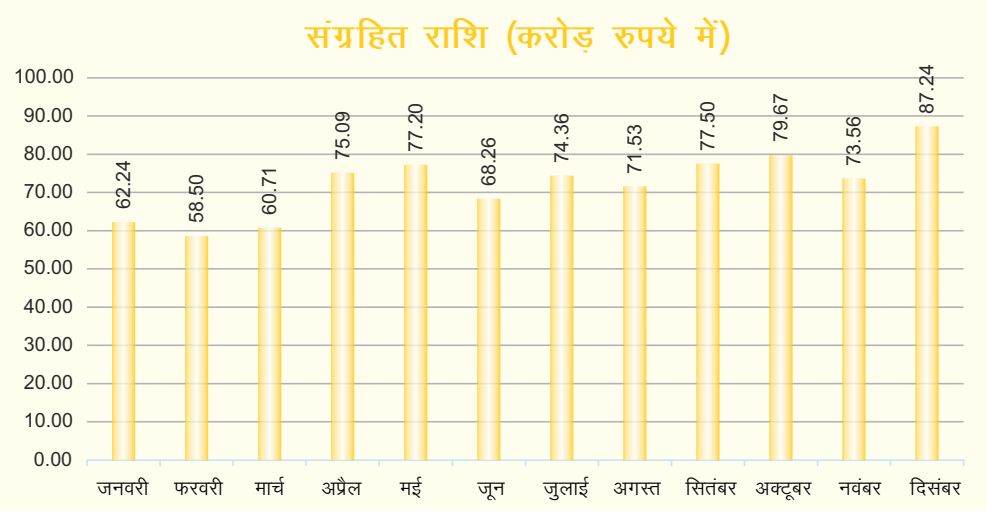

(च) अंतर्राष्ट्रीय मेल सेवा

1.1 अंतर्राष्ट्रीय ईएमएस सेवा: अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट के नाम से भी विख्यात ईएमएस सेवा डाक विभाग की अंतर्राष्ट्रीय पेशकशों में प्रीमियम एवं समयबद्ध सेवा है। ग्राहकों को एंड–टु–एंड ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान की जाती है और निर्धारित मानदंडों के अनुसार वितरण में विलंब तथा नुकसान /क्षति के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होता है। वर्तमान में यह सेवा 106 देशों में के लिए उपलब्ध है।

1.2 अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट सर्विस (आईटीपीएस): आईटीपीएस को सीमापारीय लेनदेन के लिए ई–कामर्स के ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। तथापि, व्यक्तिगत ग्राहक भी इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं। यह 2 किलो तक के भार की श्रेणी में प्रदान की जाने वाली प्रतिस्पर्धी सेवा है। ट्रैकिंग की सुविधा भी प्रदान की जाती है। वर्तमान में यह सेवा एशिया प्रशांत क्षेत्र के 15 देशों के लिए उपलब्ध है।

1.3 पत्र डाक: "पत्र डाक" शब्द डाक वस्तुओं की निम्नलिखित श्रेणियों पर लागू होता है:

मदें जिसमें दस्तावेज रखे जाते हैं: 2 किलो तक के पत्र, एयरोग्राम, पोस्ट कार्ड, मुद्रित पेपर (पुस्तक और पंजीकृत समाचार पत्र सहित); अंधों के लिए साहित्य, (7 किलो तक) और 30 किलो तक बल्क बैग (एम बैग)।

मदें जिनमें सामान रखे जाते हैं: लघु पैकेट (2 किलो तक)

ये सेवाएं पूरी दुनिया के 213 गंतव्य देशों और क्षेत्रों के लिए उपलब्ध हैं तथा इसके तहत सभी प्रमुख गंतव्य शामिल हैं।

1.4 एयरोग्राम: एयरोग्राम पेपर की एक शीट होती है जिसे उपयुक्त ढंग से मोड़कर चिपकाया जाता है। एयरोग्राम केवल हवाई माध्यम से भेजने के लिए आशयित श्रेणी है और सर्फेस मेल में इसकी कोई समरूप श्रेणी नहीं है (जब किसी कारण से सर्फेस द्वारा इसे भेजा जाता है तो इसे पत्र माना जाता है)।

1.5 पोस्टकार्ड: डाकघर विदेशों में भेजने के लिए एयरमेल पोस्टकार्ड जारी करते हैं। स्थल मार्ग से भेजने के लिए अतिरिक्त आसंजक स्टाम्प के साथ अंतर्देशीय पोस्ट कार्ड या निजी तौर पर निर्मित पोस्टकार्ड का प्रयोग किया जा सकता है। निजी तौर पर निर्मित पोस्टकार्ड आयताकार होने चाहिए तथा उस सामग्री से बनाए जाने चाहिए जो डाकघर द्वारा जारी किए गए पोस्टकार्ड के लिए उपयुक्त सामग्री के समान हो। वे पत्र की तुलना में पतले या अधिक लचीले होने चाहिए। उनमें बहिर्विष्ट या ऊपर उठे पार्ट नहीं होंगे। शीर्ष "पोस्टकार्ड" को पोस्टकार्ड के फ्रंट (एड्रेस साइड) पर दर्शाया जाना चाहिए। पिक्चर पोस्टकार्ड के मामले में यह शीर्ष आवश्यक नहीं है।

1.6 मुद्रित पेपर: विदेशी डाक में "मुद्रित पेपर" सेवा शर्तों में कुछ अंतर के साथ अंतर्देशीय डाक में "बुक पैकेट" सेवा के अनुरूप है। तथापि, अंतर्देशीय डाक में चार श्रेणियों के स्थान पर विदेशी डाक में केवल दो श्रेणियां हैं अर्थात साधारण तौर पर मुद्रित पेपर और समाचार पत्र जिन्हें सर्कल के प्रमुख के साथ इस रूप में पंजीकृत किया गया है, जैसे कि अंतर्देशीय पंजीकृत समाचार पत्र। जो मदें बुक पैकेट के रूप में अंतर्देशीय डाक में स्वीकार्य नहीं हैं वे विदेशी डाक में मुद्रित पेपर के रूप में स्वीकार्य नहीं हैं।

1.7 लघु पैकेट: इस सेवा का उद्देश्यपत्र डाक द्वारा कम मात्रा में सामान भेजने के कार्य को संभव बनाना है। लघु पैकेट सेवा द्वारा उपहार, बिक्री योग्य मूल्य के सामान और व्यापारिक माल के नमूने भेजे जा सकते हैं। तथापि, लघु पैकेट पर कोई उत्कीर्णन नहीं होना चाहिए या इसमें वर्तमान एवं निजी पत्राचार की प्रकृति के दस्तावेज और निजी पत्राचार या प्रेषक और प्रेषिती को छोड़कर अन्य व्यक्तियों के बीच संवाद का कोई दस्तावेज नहीं होना चाहिए। उनमें कोई डाक टिकट या पुनर्भुगतान फार्म, निरस्त किए गए हों या न किए गए हों, या मौद्रिक मूल्य को दर्शाने वाले कोई पेपर नहीं होने चाहिए। तथापि, लघु पैकेट में खुला बीजक डालने की अनुमति है जिसका आकार उसके आवश्यक घटकों के अनुरूप होना चाहिए।

1.8 बल्क बैग: बल्क बैग, जो एम बैग के नाम से भी विख्यात है, विशेष बैग हैं जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें तथा अन्य मुद्रित पेपर होते हैं, जो विदेशों में उसी पते पर उसी प्रेषिती को संबोधित किए जाते हैं।

1.9 अंध साहित्य: अंध साहित्य ("नेत्रहीन साहित्य" या "सीकोग्राम") के अंतर्गत सभी प्रकार के कागज (पत्रों सहित), आवधिक प्रकाशन, पुस्तकें तथा ब्रेल लिपि अथवा नेत्रहीन व्यक्तियों के इस्तेमाल के लिए किसी अन्य विशेष प्रकार की प्लेट शामिल होती हैं। नेत्रहीनों के लिए साहित्य के रूप में साउंड रिकॉर्ड को तभी स्वीकार किया जाता है, जब वे नेत्रहीनों के लिए आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा भेजे जा रहे हों या ऐसी संस्था को भेजे गए हों। भारत में इस तरह की संस्थाओं की सूची महानिदेशक के परिपत्रों और डाक नोटिसों के माध्यम से प्रकाशित की जाएगी।

1.10 अंतर्राष्ट्रीय विमान पार्सल: अंतर्राष्ट्रीय विमान पार्सल सेवा किफायती एवं तेजी से व्यापार सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से कारपोरेट और रिटेल ग्राहकों के लिए एक समर्पित सेवा है। देशभर में सभी विभागीय डाकघरों में अंतर्राष्ट्रीय विमान पार्सल बुक किए जा सकते हैं। भारतीय डाक विमान पार्सल के लिए ऑनलाइन ट्रैक एंड ट्रेस की सुविधा प्रदान करता है।

तालिका 8

8 अक्टूबर 2021 की स्थिति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट सेवा के तहत शामिल देश			
1	अफगानिस्तान	51	कुवैत
2	अर्जेंटीना	52	लातविया
3	आस्ट्रेलिया	53	लिथुआनिया
4	आस्ट्रिया	54	लक्समबर्ग
5	बहरीन	55	मकाओ
6	बांग्लादेश	56	मालावी
7	बारबाडोस	57	मलेशिया
8	बेलारूस	58	मालदीव
9	बेल्जियम	59	मॉरीशस
10	बरमूडा	60	मेक्सिको
11	भूटान	61	मंगोलिया
12	बोत्सवाना	62	मोरक्को
13	बोस्निया और हर्जेगोविना	63	नामीबिया
14	ब्राजील	64	नौरू
15	ब्रूनेई दारुस्लम	65	नेपाल
16	बुल्गारिया	66	नीदरलैंड
17	कंबोडिया	67	न्यूजीलैंड
18	कनाडा	68	नाइजर
19	केप वर्डे	69	नार्थ मेसेडोनिया
20	केमैन टापू	70	नॉर्वे
21	चीन (जनवादी गणराज्य)	71	ओमान
22	क्यूबा	72	पाकिस्तान

8 अक्टूबर 2021 की स्थिति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट सेवा के तहत शामिल देश			
23	साइप्रस	73	पनामा
24	डेनमार्क	74	पपुआ न्यू गीनिया
25	इक्वाडोर	75	फिलीपींस
26	मिस्र	76	पोलैंड
27	अल सल्वाडोर	77	पुर्तगाल
28	एरिट्रिया	78	कतर
29	एस्टोनिया	79	रोमानिया
30	इथियोपिया	80	रुसी परिसंघ
31	फिजी	81	सऊदी अरब
32	फिनलैंड	82	सेनेगल
33	फ्रांस	83	सिंगापुर
34	जॉर्जिया	84	दक्षिण अफ्रीका
35	जर्मनी	85	स्पेन
36	घाना	86	श्रीलंका
37	ग्रीस	87	सूडान
38	हांगकांग	88	स्वीडन
39	हंगरी	89	स्विटजरलैंड
40	आइसलैंड	90	ताइवान
41	इंडोनेशिया	91	तंजानिया
42	ईरान	92	थाईलैंड
43	आयरलैंड	93	ट्यूनिशिया
44	इजरायल	94	तुर्की
45	इटली	95	युगांडा
46	जापान	96	यूक्रेन
47	जॉर्डन	97	संयुक्त अरब अमीरात
48	कजाकिस्तान	98	यूनाइटेड किंग्डम (यूनाइटेड किंग्डम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन तथा उत्तरी आयरलैंड)
49	कीनिया	99	संयुक्त राज्य अमेरिका
50	कोरिया गणराज्य	100	वियतनाम
केवल दस्तावेजों के लिए			
1	कांगो जनवादी गणराज्य (जैरे)		
2	गुयाना		
3	इराक		
4	नाइजीरिया		
5	रवांडा		
6	यमन		

डाक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए वियतनाम समाजवादी गणराज्य के सूचना एवं संचार मंत्री महामहिम श्री नगुयेन मंह हुंग के साथ "मंशा पत्र" का आदान–प्रदान करते हुए माननीय संचार राज्य मंत्री

(छ) फिलैटली

1. फिलैटली डाक टिकटों का संग्रह करने और डाक इतिहास एवं फिलैटली की अन्य वस्तुओं का अध्ययन करने के शौक का नाम है। यह राष्ट्रीय विरासत, संस्कृति, आयोजनों और महान हस्तियों की यादों को संजोने, जश्न मनाने और उनका संवर्धन करने का एक माध्यम है। डाक टिकट तस्वीर के रूप में दूत होते हैं। वे किसी राष्ट्र की संप्रभुता को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं।

2. आजादी के बाद डाक टिकट के माध्यम का शुरू में प्रयोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में देश की उपलब्धियों के साथ–साथ इसके सामाजिक – आर्थिक विकास को पंचवर्षीय योजनाओं, इस्पात संयंत्रों, बांधों आदि जैसी थीमों को चित्रित करके दर्शाने के लिए किया गया। इसके बाद देश की समृद्ध सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत को दर्शाने का काम शुरू हुआ और कला, वास्तुशिल्प, दस्तकारी, समुद्री विरासत, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, रक्षा और सिनेमा पर विषय आधारित सेटों में अनेक आकर्षक डाक टिकट जारी किए गए। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के अनेक महान नेताओं के सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किए गए हैं। चित्रकला, साहित्य, विज्ञान, संगीत तथा सामाजिक उत्थान आदि जैसे क्षेत्रों की विख्यात हस्तियों के सम्मान में भी स्मारक डाक टिकट जारी किए गए हैं।

3. "डाक शुल्क के पूर्व भुगतान के प्रतीक" तथा "सांस्कृतिक दूत" के रूप में उनकी भूमिका को ध्यान में रखते हुए, डाक टिकट दो श्रेणियों में विभाजित हैं, नामतः नियत तथा स्मारक डाक टिकट। नियत श्रृंखला के डाक टिकट डाक वस्तुओं पर डाक शुल्क के पूर्व भुगतान के संकेत स्वरूप प्रयोग हेतु समय–समय पर जारी किए जाते हैं। इनकी डिजाइन के इनपुट कम जटिल होते हैं जिससे इनके निर्माण पर न्यूनतम व्यय होता है और ये लंबी अवधियों में बड़ी मात्रा में मुद्रित किए जाते हैं। दूसरी ओर स्मारक डाक टिकट अधिक सौंदर्यपरक इनपुट के साथ अभिकल्पित और मुद्रित किए जाते हैं। ये सीमित मात्रा में निर्मित किए जाते हैं और फिलैटली के प्रेमियों और संग्राहकों में गहरी रुचि पैदा करते हैं।

4. विभाग की फिलैटली से संबंधित गतिविधियों में शामिल हैं:

- फिलैटली ब्यूरो तथा काउंटरों, ई–डाकघरों आदि के जरिए स्मारक डाक टिकटों की डिजाइनिंग, वितरण और बिक्री।
- नियत डाक टिकटों एवं डाक लेखन सामग्री जैसे कि लिफाफा, अंतर्देशीय पत्र कार्ड, पोस्टकार्ड, एयरोग्राम, रजिस्टर्ड कवर आदि की डिजाइनिंग, प्रिंटिंग और वितरण।
- फिलैटली का संवर्धन और फिलैटली की प्रदर्शनी का आयोजन एवं निगरानी।
- राष्ट्रीय फिलैटली संग्रहालय, डाक भवन, नई दिल्ली का रखरखाव।

5. फिलैटली सलाहकार समिति (पीएसी)

संचार मंत्री की अध्यक्षता में और संचार राज्य मंत्री की सह अध्यक्षता में गठित फिलैटली सलाहकार समिति (पीएसी) में लोक सभा से एक संसद सदस्य, राज्य सभा से एक संसद सदस्य तथा प्रख्यात फिलैटलिस्ट को सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है। यह समिति डाक टिकट तथा फिलैटली से संबंधित मामलों तथा ऐसे अन्य मामलों पर सरकार को सलाह देती है जो उसे समय समय पर संदर्भित किए जा सकते हैं। यह नागरिकों और सरकार के बीच इंटर्फेस के लिए एक महत्वपूर्ण फोरम है।

जहां विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल करने वाले व्यक्ति ऐसे मुद्दों या घटनाओं, संस्थाओं, हस्तियों और थीमों की पहचान करने और उजागर करने की प्रक्रिया में योगदान दे सकते हैं जिनका डाक टिकटों के माध्यम से स्मरण वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को निखारने में मददगार होगा।

6. डाक टिकट जारी करना

विभिन्न हस्तियों, समारोहों/अवसरों की याद में 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक की अवधि के दौरान कुल 10 मुद्दों पर कुल 10 डाक टिकट जारी

किए गए (तालिका 9)। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण स्मारक डाक टिकट निम्नलिखित विषयों पर थे – राजयोगिनी दादी जानकी, भारत और जर्मनी के बीच राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष, स्वर्णजयंती वर्ष – गायत्री तीर्थ, शांतिकुंज, मा. चमनलाल, राव जयमल राठौर, सोलापुर के शहीद नामतः मल्लप्पा धनशेट्टी, श्रीकृष्ण सारदा, जगन्नाथ शिंदे और अब्दुल रसूल कुर्बान हुसैन, डेक्कन कॉलेज की द्विशताब्दी समारोह, दत्तोपंत ठेंगड़ी, एससीबी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, कटक और महिंद्रा ग्रुप के 75 वर्ष।

7. फिलैटली की प्रदर्शनियां

फिलैटली की प्रदर्शनियां डाक टिकट संग्राहकों को एक मंच पर लाती हैं तथा उनको अपना संग्रह प्रदर्शित करने का प्लेटफार्म प्रदान करती हैं। वे फिलैटली समुदाय को विचारों के सार्थक आदान प्रदान का अवसर प्रदान करती हैं। वे फिलैटली के सदियों पुराने और सदाबहार शौक का प्रसार करने का माध्यम हैं तथा युवाओं को फिलैटली से जोड़ने के लिए प्रेरक के रूप में काम करती हैं। विभाग समय समय पर विभिन्न स्तरों पर फिलैटली की प्रदर्शनियों का आयोजन करता है। इस साल 'आजादी के 75 वर्ष' समारोह की तर्ज पर 31 दिसंबर 2021 तक सर्कलों द्वारा फिलैटली की 19 प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया है। कई प्रदर्शनियां वर्चुअल मोड में आयोजित की गई हैं।

8. माय स्टांप

माय स्टांप भारतीय डाक के डाक टिकटों की निजीकृत/अनुकूलित शीट है। चयनित स्मारक डाक

डाक विभाग द्वारा स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सहयोग से 1 दिसंबर से 31 दिसंबर, 2021 तक 'माननीय प्रधानमंत्री को 75 लाख पोस्ट कार्ड' के तहत लुहरदा, हिमाचल प्रदेश सर्कल में पोस्टकार्ड अभियान।

टिकट के साथ ग्राहक की लघु (थंब नेल) फोटो/इमेज और संस्थाओं के लोगो, कलाकृतियों, विरासत भवनों, प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों, ऐतिहासिक नगरों, वन्य जीवों, अन्य पशु–पक्षियों आदि के चित्र का मुद्रण करके निजीकरण/अनुकूलन किया जाता है।

(i) निजीकृत माय स्टांप

निजीकृत माय स्टांप डाक टिकटों की एक निजीकृत शीट है। इन निजीकृत थीम स्टांप के साथ ग्राहक अपनी तस्वीर, अपने माता पिता, परिवार आदि की तस्वीर मुद्रित करवा सकते हैं। निजीकृत माय स्टांप

की कुछ थीमें इस प्रकार हैं – ताज महल, हवा महल, मैसूर पैलेस, गेटवे ऑफ इंडिया, लाल किला, गुलाब, हैपी एनिवर्सरी, हैपी बर्थडे, रिटायरमेंट आदि।

(ii) अनुकूलित माय स्टांप

अनुकूलित माय स्टांप डाक टिकटों की एक निजीकृत शीट है जिसमें निगमों, संगठनों और संस्थाओं को मुद्रित शीटों में अनुकूलित किया जा सकता है। इन अनुकूलित थीम्ड स्टांप के साथ संगठन अपना लोगो, अपने संगठन/संस्थान का चित्र मुद्रित करवा सकते हैं।

विशेष लिफाफे

'आजादी का अमृत महोत्सव' के अंग के रूप में (1) गुमनाम नायक और (2) जीआई टैग्ड उत्पाद पर विशेष लिफाफों के 2 सेट जारी किए गए हैं। अक्टूबर 2021 में डाक सप्ताह समारोह के दौरान विभिन्न सर्कलों द्वारा गुमनाम नायकों पर लगभग 103 विशेष लिफाफे जारी किए गए हैं। ये विशेष लिफाफे ऐसे योद्धाओं के चरणों में श्रद्धांजलि हैं जिन्होंने आजादी के लिए संघर्ष किया था और राष्ट्र के लिए अपनी सुख सुविधाओं और जीवन की कुर्बानी दी थी। भारत के जीआई टैग्ड उत्पादों पर भी 200 से अधिक विशेष लिफाफे जारी किए गए हैं। फिलैटलिस्ट और आम लोगों द्वारा इन विशेष लिफाफों की खूब सराहना की गई है। इन विशेष लिफाफों ने भारत के स्थानीय शिल्प एवं उत्पादों का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया तथा वे स्थानीय कारीगरों एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आर्थिक उन्नति को बढ़ावा देंगे।

1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक की अवधि के दौरान जारी किए गए स्मारक डाक टिकटों का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 9

क्र. सं.	स्टांप का नाम	जारी करने की तारीख	श्रेणी
1	राजयोगिनी दादी जानकी	12 अप्रैल, 2021	व्यक्तित्व
2	भारत और जर्मनी के बीच राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष	10 जून, 2021	अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा
3	स्वर्णजयंती वर्ष – गायत्री तीर्थ, शांतिकुंज	20 जून, 2021	संस्था
4	मा. चमनलाल	07 अगस्त, 2021	व्यक्तित्व
5	राव जयमल राठौर	17 सितंबर, 2021	व्यक्तित्व
6	सोलापुर के शहीद नामतः मल्लप्पा धनशेट्टी, श्रीकृष्ण सारदा, जगन्नाथ शिंदे एवं अब्दुल रसूल कुर्बान हुसैन	02 अक्टूबर, 2021	व्यक्तित्व
7	डेक्कन कॉलेज द्विशताब्दी समारोह	06 अक्टूबर, 2021	संस्था
8	दत्तोपंत ठेंगड़ी	10 नवंबर, 2021	व्यक्तित्व
9	एससीबी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, कटक	27 नवंबर, 2021	संस्था
10	महिंद्रा समूह के 75 वर्ष	01 दिसंबर, 2021	संस्था
11	स्वर्णिम विजय वर्ष	16 दिसंबर, 2021	रक्षा

आज़ादी का अमृत महोत्सव

भारतीय डाक
India Post

MY STAMP

गोवा मुक्ति का हीरक जयंती वर्ष
Diamond Jubilee Year of Liberation of Goa

पत्रादेवी हुतात्मा स्मारक
Patradevi Hutatma Smarak

गोवा मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय सेना द्वारा गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। पत्रादेवी हुतात्मा स्मारक, गोवा मुक्ति संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को नमन करता है। यह माई स्टैंप गोवा मुक्ति के हीरक जयंती वर्ष के अवसर पर जारी किया जा रहा है।

Goa Liberation Day is celebrated on 19 December every year in Goa to mark the Indian armed forces freeing Goa from Portuguese rule. Patradevi Hutatma Smarak salutes the great sacrifices made by the martyrs of Goa Liberation Movement. This My Stamp is issued in the commemoration of Diamond Jubilee Year of Liberation of Goa.

Department of Information and Publicity

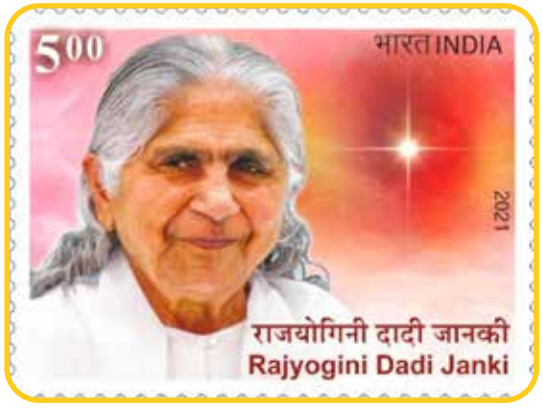

राजयोगिनी दादी जानकी
12.04.2021

भारत और जर्मनी के बीच राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष
10.06.2021

स्वर्ण जयंती वर्ष – गायत्री तीर्थ, शांतिकुंज
20.06.2021

मा. चमन लाल
07.08.2021

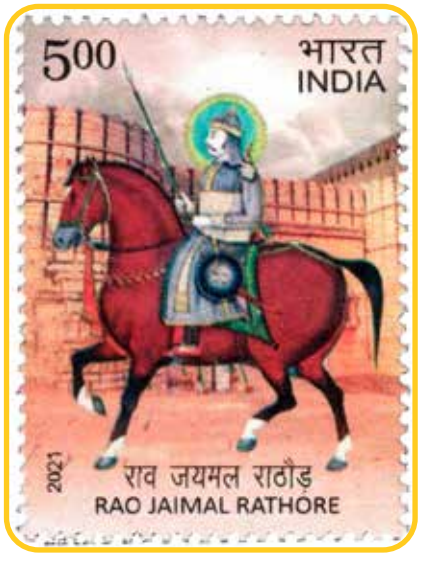

राव जयमल राठौड़
17.09.2021

सोलापुर के चार हुतात्मा
02.10.2021

डेक्कन कॉलेज की द्विशताब्दी
06.10.2021

दत्तोपंत ठेंगड़ी
10.11.2021

एस.सी.बी. मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, कटक
27.11.2021

स्वर्णिम विजय वर्ष
16.12.2021

महिंद्रा समूह के 75 वर्ष
01.12.2021

वित्तीय सेवाएं / डाकघर बचत बैंक

अध्याय IV

वित्तीय सेवाएं/डाकघर बचत बैंक

I. प्रस्तावना :

डाकघर बचत बैंक (पीओएसबी) की सुविधा देश के दूरवर्ती क्षेत्रों के लिए सन् 1882 से उपलब्ध है। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से डाक विभाग पीओएसबी योजना का संचालन करता है। यह सुविधा देशभर में स्थित 1.57 लाख डाकघरों के नेटवर्क के माध्यम से प्रदान की जाती है। यह प्रचालन अब पूर्णतः मैनुअल मोड से आगे बढ़कर पूर्णतः इंटरकनेक्टेड मोड में पहुंच गया है जिसके माध्यम से कहीं भी कभी भी बैंकिंग संभव है।

II. पहलें जो वर्तमान में चल रही हैं :

1. डाक घर बचत खाता (एसबी): डाक घर बचत बैंक खाता 500 रुपये के न्यूनतम बैलेंस के साथ एकल या संयुक्त धारकों (दो वयस्क) द्वारा खोला सकता है। इस खाते के अंतर्गत नियमित रूप से धन जमा करने और निकालने की सुविधा है। इस खाते के साथ एटीएम, ई–बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। यह 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से आकर्षक ब्याज दर की पेशकश करता है। किसी खास वित्त वर्ष में अर्जित 10000 रुपये तक के ब्याज के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80 टीटीए के तहत कराधेय आय से छूट प्रदान की गई है।

2. राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा खाता (आरडी): 100 रुपये प्रतिमाह के न्यूनतम जमा या 10 रुपये के गुणक में किसी राशि के साथ 5 साल की अवधि के लिए एकल या संयुक्त (3 वयस्क तक) धारकों द्वारा डाकघर आवर्ती जमा खाता खोला जा सकता है। इसे अगले 5 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। खाता खोलने की तारीख से तीन साल पूरे हो जाने के बाद इसे बंद किया जा सकता है और खाता खोलने के एक साल बाद लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। वर्तमान में ब्याज दर 5.8 प्रतिशत प्रतिवर्ष है।

3. राष्ट्रीय बचत सावधि जमा खाता (टीडी): अधिकतम निवेश की किसी सीमा के बगैर न्यूनतम 1000 रुपये के साथ शुरू में एक, दो, तीन या पांच साल की अवधि के लिए एक नियत रकम जमा करके एकल व्यक्ति द्वारा या संयुक्त खाता (3 वयस्क तक) के रूप में डाकघर सावधि जमा खाता खोला जा सकता है। एक, दो, तीन साल के लिए वर्तमान ब्याज दर 5.5 प्रतिशत और पांच वर्ष के लिए 6.7 प्रतिशत है। खाता खोलने की तारीख से 6 माह पूरे हो जाने के बाद टीडी खाते बंद किए जा सकते हैं।

4. राष्ट्रीय बचत मासिक आय खाता (एमआईएस): एकल खाते में न्यूनतम 1000 रुपये और अधिकतम 4.50 लाख रुपये तथा संयुक्त खाते में 9.00 लाख रुपये के साथ एक नियत राशि जमा करके पांच साल की अवधि के लिए एकल व्यक्ति द्वारा या संयुक्त खाता (तीन वयस्क तक) के रूप में डाकघर मासिक आय योजना खाता खोला जा सकता है। वर्तमान ब्याज दर 6.6 प्रतिशत प्रतिवर्ष है जिसका भुगतान उसके डाकघर बचत बैंक खाते में मासिक ब्याज के स्वतः अंतरण की सुविधा के साथ मासिक आधार पर किया जाता है। खाता खोलने की तारीख से एक साल पूरे हो जाने के बाद इन खातों को बंद किया जा सकता है।

5. वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता (एससीएसएस): न्यूनतम 1000 रुपये और अधिकतम 15 लाख रुपये के साथ 5 साल की नियत रकम के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर 55 वर्ष की आयु से ऊपर लेकिन 60 वर्ष से कम अथवा सेवानिवृत्त रक्षा सेवा कार्मिक द्वारा 50 वर्ष की आयु

प्राप्त कर लेने पर एकल अथवा संयुक्त खाते (केवल पति/पत्नी के साथ) के रूप में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता खोला जा सकता है। वर्तमान ब्याज दर 7.4 प्रतिशत प्रतिवर्ष है जिसका भुगतान उसके डाकघर बचत बैंक खाते में तिमाही ब्याज के स्वतः अंतरण की सुविधा के साथ तिमाही आधार पर किया जाता है। इसमें भी परिपक्वता से पूर्व बंद करने की सुविधा उपलब्ध है।

6. सार्वजनिक भविष्य निधि लेखा (पीपीएफ): न्यूनतम 500 रुपये के साथ 15 साल की अवधि के लिए एकल खाता के रूप में डाकघर सार्वजनिक भविष्य निधि खाता खोला जा सकता है। यह एक दीर्घकालीन जमा योजना है जिसमें किसी वित्त वर्ष में न्यूनतम 500 रुपये की जमा राशि पर और अधिकतम 150000 रुपये की जमा राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत छूट का प्रावधान है। डाकघर या बैंक में केवल एक व्यक्तिगत पीपीएफ खाता खोला जा सकता है। पीपीएफ खाते में अर्जित ब्याज के लिए आयकर से छूट प्रदान की गई है। तीसरे वित्त वर्ष से छठें वित्त वर्ष तक पीपीएफ खाते पर ऋण लिया जा सकता है। खाता खोलने की तारीख से 7वें वित्त वर्ष से आंशिक आहरण की अनुमति है। वर्तमान में ब्याज दर 7.1 प्रतिशत प्रतिवर्ष है।

7. सुकन्या समृद्धि खाता (एसएसए) : खाता खोलने की तारीख से अधिकतम 15 साल की अवधि के लिए किसी वित्त वर्ष में 250 रुपये की न्यूनतम जमा राशि और 150000 रुपये की अधिकतम जमा राशि के साथ सुकन्या समृद्धि खाता किसी भी कन्या शिशु के संरक्षक द्वारा उसके जन्म की तिथि से 10 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक खोला जा सकता है। वर्तमान में ब्याज दर 7.6 प्रतिशत प्रतिवर्ष है। एसएसए खाते में अर्जित ब्याज के लिए आयकर से छूट प्रदान की गई है। कन्या शिशु द्वारा 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद अथवा 10वीं कक्षा पास कर लेने के बाद 50 प्रतिशत तक का आहरण किया जा सकता है। परिपक्वता अवधि खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष है। तथापि, 18 साल की आयु प्राप्त कर लेने के बाद कन्या शिशु के विवाह के समय खाता बंद किया जा सकता है।

8. राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (एनएससी) (VIIIवां निर्गम) : राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (VIIIवां निर्गम) व्यक्तिगत रूप से अथवा नाबालिग/मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति की ओर से अथवा किसी अन्य वयस्क के साथ संयुक्त खाते के रूप में न्यूनतम 1000/– रुपये के निवेश के साथ और अधिकतम निवेश की किसी सीमा के बगैर खरीदे जा सकते हैं। 150000 रुपये की वार्षिक जमा राशि के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत छूट प्रदान की गई है। वर्तमान में ब्याज दर 6.8 प्रतिशत (वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज) है।

9. किसान विकास पत्र (केवीपी) : किसान विकास पत्र अधिकतम राशि की किसी सीमा के बगैर न्यूनतम 1000 रुपये के साथ एकल व्यक्ति द्वारा या संयुक्त (तीन वयस्क तक) धारकों द्वारा किसान विकास पत्र खरीदे जा सकते हैं। वर्तमान में ब्याज दर 6.9 प्रतिशत (वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज) है। जमा राशि 124 माह में अर्थात 10 वर्ष और 4 माह में दोगुनी हो जाती है। खरीदने की तारीख से 2 साल और 6 माह के बाद किसान विकास पत्रों को परिपक्वता से पूर्व भुनाया जा सकता है।

श्री बजरंगलाल सोनी, बीपीएम, दबरेला बीओ, बेवर डिवीजन, राजस्थान सर्कल एईपीएस लेनदेन के माध्यम से ग्राहकों का नकदी का वितरण कर रहे हैं

III. **शुरू की गई नई पहलें:**

1. कोर बैंकिंग समाधान : कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) भारतीय डाक की आईटी आधुनिकीकरण परियोजना का अंग है और इसका उद्देश्य डाकघरों में अपेक्षित आईटी अवसंरचना के साथ विभिन्न आईटी समाधान लाना है। विभाग सभी विभागीय डाकघरों में कोर बैंकिंग को लागू कर रहा है। ग्रामीण डाकघरों में हस्तचालित उपकरणों के माध्यम से कोर बैंकिंग की सुविधा प्रदान की जाती है। 31 दिसंबर 2021 की स्थिति के अनुसार 25018 डाकघर सीबीएस प्लेटफॉर्म पर कार्य कर रहे हैं।

1(क) एटीएम : विभाग की पहली एटीएम सेवा का उद्घाटन 25 फरवरी 2014 को चेन्नई के त्यागराज नगर प्रधान डाकघर में हुआ था। इस समय पूरे देश में 1000 एटीएम काम कर रहे हैं। 31 दिसंबर 2016 से ये एटीएम बैंकों के साथ अंतःप्रचालनीय हो गए हैं।

1(ख) ई–बैंकिंग : विभाग ने 14 दिसंबर 2018 से अपने ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा प्रदान की है और यह सुविधा शाखा डाकघर बचत खाता धारकों को प्रदान की गई है तथा इस समय 3.74 लाख से अधिक ग्राहक इस सुविधा का उपयोग कर रहे हैं।

1(ग) मोबाइल बैंकिंग : डाक विभाग के ग्राहकों को 15 अक्टूबर 2019 से मोबाइल बैंकिंग की सुविधा भी प्रदान की जा रही है तथा यह सुविधा शाखा डाकघर बचत खाता धारकों को प्रदान की गई है। वर्तमान में 2.34 लाख से अधिक ग्राहक इस सुविधा का उपयोग कर रहे हैं।

2. जन सुरक्षा योजनाएं: सभी सीबीएस डाकघरों में जन सुरक्षा योजनाएं अर्थात प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) 7 सितंबर 2015 से शुरू की गई हैं। ये योजनाएं सभी डाकघर बचत खाता धारकों के लिए उपलब्ध हैं। 1 दिसंबर 2015 से 808 सीबीएस प्रधान डाकघरों में अटल पेंशन योजना (एपीवाई) शुरू की गई जिसे अब 20000 से अधिक सीबीएस उप डाकघरों में भी शुरू किया गया है।

3. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (सभी नागरिक मॉडल): भारतीय डाक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) (सभी नागरिक मॉडल) के लिए प्वाइंट ऑफ प्रजेंस है। 18 से 70 साल का कोई भी भारतीय नागरिक एनपीएस से जुड़ सकता है। पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा नियुक्त विभिन्न पेंशन निधि प्रबंधकों द्वारा अभिदाताओं की पसंद के अनुसार विभिन्न योजनाओं में पेंशन अंशदान का निवेश करते हैं। इस योजना के तहत पेंशन खाता खोलने की सुविधा देश के सभी प्रधान डाकघरों में उपलब्ध है।

4. अन्य गतिविधियां

(i) शाखा डाकघरों में पीओएसबी की सभी योजनाओं का कार्यान्वयन: 23 जुलाई 2020 से डाकघर बचत बैंक (पीओएसबी) की सभी योजनाओं को 1.31 लाख शाखा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। अब शाखा डाकघर खाते में एक दिन में 50000 रुपये तक की नकदी जमा की जा सकती है और 20000 रुपये तक की नकदी निकाली जा सकती है।

(ii) फार्मों और प्रक्रियाओं का सरलीकरण: सीबीएस और गैर सीबीएस डाकघरों में प्रयोग के लिए सामान्य फार्म उपलब्ध कराए गए हैं। मृत व्यक्ति के दावा मामलों के निपटान की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अब अधिकांश मामले स्वयं डाकघर के स्तर तक निपटाए जाएंगे।

(iii) बुनियादी बचत खातों की बहाली : वित्त मंत्रालय की दिनांक 9 अप्रैल 2021 की गजट अधिसूचना के माध्यम से बुनियादी बचत खातों को बहाल किया गया है जहां किसी सरकारी कल्याण योजना का कोई पंजीकृत प्रौढ़ सदस्य जीरो बैलेंस के साथ जीडीएस शाखा डाकघरों सहित किसी भी डाकघर में बुनियादी बचत खाता खोल सकता है।

(iv) पीएम केयर्स बाल योजना, 2021 की शुरुआत: वित्त मंत्रालय की गजट अधिसूचना संख्या जीएसआर 723 (ई) दिनांक 6 अक्टूबर 2021 के माध्यम से भारत सरकार द्वारा पीएम केयर्स बाल योजना, 2021 शुरू की गई है। इस योजना के

माध्यम से ऐसे बच्चों (लाभार्थी) का खाता खोला जाएगा जिन्होंने 11 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2021 की अवधि के दौरान 18 साल की आयु प्राप्त नहीं की है और कोविड–19 महामारी के कारण अपने माता–पिता में से दोनों या आखिरी उत्तरजीवी माता–पिता या दत्तक माता–पिता में से दोनों या एकल कानूनी अभिभावक को खो दिया है।

(v) जावक ईसीएस सुविधा का कार्यान्वयनः मई 2021 के महीने से ईसीएस जावक क्रेडिट फंक्शनलिटी के माध्यम से फिनाकल में एमआईएस/एससीएसएस/टीडी खातों के ब्याज के भुगतान तथा टीडीए प्रकार के खातों (एमआईएस/एससीएसएस/टीडी/आरडी/केवीपी/एनएससी) के लिए खाता धारक के बैंक खाते में परिपक्वता मूल्य को जमा करने का प्रावधान लागू किया गया है।

(vi) आईवीआर सुविधा का कार्यान्वयन : पीओएसबी के ग्राहकों के लिए इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस (आईवीआर) की सुविधा शुरू की गई है जिसके माध्यम से ग्राहक भारतीय डाक के टोल फ्री नंबर 18002666868 पर पंजीकृत मोबाइल नंबर से कॉल करके पीओएसबी की योजनाओं में बैलेंस की पूछताछ, एटीएम कार्ड बंद करना, लेनदेन से संबंधित पूछताछ आदि जैसी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं।

(vii) सीबीएस – सीटीएस एकीकरण की शुरुआत : सीबीएस – सीटीएस एकीकरण से पूर्व सभी एचओ तीन नोडल ग्रिड एचओ अर्थात नई दिल्ली जीपीओ, चेन्नई जीपीओ और मुंबई जीपीओ के माध्यम से अपने चेक क्लियरेंस को प्रोसेस कर रहे थे। परंतु सीबीएस – सीटीएस एकीकरण के कार्यान्वयन के बाद एचओ और ग्रिड नोडल कार्यालयों के बीच मैनुअल रेमिटेंस एडवाइज (आरए) बंद हो गया है और निर्बाध रूप से चेक क्लियरेंस के लिए केन्द्रीयकृत लेखांकन प्रक्रिया का विकास किया गया है। चेक क्लियरेंस की प्रक्रिया को प्रभावी बनाया गया है तथा यह चेक क्लियरेंस में कम समय लेगी।

(viii) एटीएम/इंटरनेट बैंकिंग का विस्तारः 1 अगस्त 2021 से डाकघर बचत खातों के खाता धारक आरआईसीटी – सीबीएस शाखा डाकघरों में जाकर एटीएम, ई–बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं।

5. 31 दिसंबर, 2021 तक की स्थिति के अनुसार प्राप्त उपलब्धियां

क्र. सं.	योजना का नाम	संख्या
1.	सीबीएस प्लेटफार्म में माइग्रेट किए गए डाकघर	25,018
2.	कार्यशील कंप्यूटरीकृत डाक घरों की संख्या	1,000
3.	सुकन्या समृद्धि खाता (सक्रिय खाते)	2.32 करोड़
4.	पीएमएसबीवाई (नया/आटो रिन्यूअल) नामांकन	20.16 लाख
5.	पीएमजेजेबीवाई (नया/आटो रिन्यूअल) नामांकन	1.46 लाख
7.	एपीवाई (नया/आटो रिन्यूअल) नामांकन	3.53 लाख
8.	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली	30 हजार

कोरोना से युद्ध : कोविड–19 के कारण पिछले साल लगाए गए लॉकडाउन के बाद दिसंबर 2021 तक भूमिकाः

i) पीओएसबी खातों के माध्यम से 23.14 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 124 करोड़ डाकघर बचत बैंक लेनदेन किए गए।

ii) 7,295 करोड़ रुपये मूल्य के 2.09 करोड़ पीओएसबी एटीएम लेनदेन किए गए।

6. सांख्यिकीय तालिकाएँ

बचत बैंक योजनाओं तथा बचत प्रमाण पत्रों की प्रोफाइल इस प्रकार है:

तालिका 10

बचत बैंक योजना : प्रोफाइल (31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार)		
योजनाओं का नाम	**खातों की संख्या**	**मार्च तक जमा–राशि (करोड़ रुपये में)**
बचत खाता (मनरेगा राशि सहित)	120556499	136205.78
आरडी खाता	110965624	132031.16
टीडी खाता	21680826	207558.72
एमआईएस खाता	10997461	221381.52
पीपीएफ खाता	3171485	105228.33
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस)	2555775	97046.74
सुकन्या समृद्धि खाता	20460097	69683.92
कुल	**290387767**	**969136.17**
बचत प्रमाण पत्र		
राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (8वां निर्गम)		136555.36
किसान विकास पत्र		**147941.99**
कुल		**284497.35**
कुल योग		**1253633.52**

तालिका 11

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार बचत योजनाओं के खाते

(संख्या में)

सर्कल	बचत बैंक	आवर्ती जमा	सावधि जमा	मासिक आय योजना	वरिष्ठ नागरिक	सुकन्या समृद्धि खाता	सार्वजनिक भविष्य निधि	कुल
आंध्र प्रदेश	4461071	8956933	611627	267330	78935	968116	71952	**15415964**
असम	6314831	2358203	308072	390441	17275	405327	48094	**9842243**
बिहार	6032565	5001218	2447960	352426	19237	1100740	57678	**15011824**
छत्तीसगढ़	1675458	946557	161277	76691	20213	614946	47403	**3542545**
दिल्ली	1218415	750122	305887	379063	89903	314761	214814	**3272965**
गुजरात	4832514	4819025	1771512	925171	262069	696809	216078	**13523178**
हरियाणा	1640070	1856505	703703	199779	51944	580270	84903	**5117174**
हिमाचल प्रदेश	2106466	1956657	525619	155757	16994	299929	37421	**5098843**
जम्मू एवं कश्मीर	1192750	194631	249366	57412	4416	151243	11854	**1861672**
झारखंड	4121923	2276116	607084	214834	37470	315282	34006	**7606715**
कर्नाटक	7211564	4271979	533728	376765	234315	1863178	173933	**14665462**
केरल	3392830	4189625	403544	195760	86863	772630	98572	**9139824**
मध्य प्रदेश	13038362	10524387	800641	402110	74255	1507510	68653	**26415918**
महाराष्ट्र	6096370	11811910	1459511	954392	439389	1694925	500900	**22957397**
पूर्वोत्तर क्षेत्र	1513680	661135	84739	48710	9000	108899	7430	**2433593**
ओडिशा	6290464	5389407	954287	290013	57966	783118	41891	**13807146**
पंजाब	1818483	2095517	965047	343372	89775	511699	173398	**5997291**
राजस्थान	2949450	4861729	782594	328041	106316	1190732	296021	**10514883**
तमिलनाडु	7977970	13402265	2205363	483561	321169	2328129	455985	**27174442**
उत्तर प्रदेश	15841846	14911959	2199757	1127936	98476	2136978	231185	**36548137**
उत्तराखंड	1872872	2134367	526808	169883	22915	505843	51774	**5284462**
पश्चिम बंगाल	9609312	4538786	2897622	3102085	339732	955344	198042	**21640923**
तेलंगाना	9344046	3037645	175072	155899	77148	653675	49495	**13492980**
बेस डाकघर	**3187**	**18946**	**6**	**30**	**0**	**14**	**3**	**22186**
कुल	**120556499**	**110965624**	**21680826**	**10997461**	**2555775**	**20460097**	**3171485**	**290387767**

तालिका 12

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार बचत योजनाओं के बकाया बैलेंस (करोड़ रुपये में)								
सर्कल	**बचत बैंक**	**आवर्ती जमा**	**सावधि जमा**	**मासिक आय योजना**	**वरिष्ठ नागरिक**	**सुकन्या समृद्धि खाता**	**सार्वजनिक भविष्य निधि**	**कुल**
आंध्र प्रदेश	3601.36	6242.92	7127.63	10401.13	4149.13	5024.03	2407.38	**38953.58**
असम	4825.96	2980.51	2447.85	4058.39	689.48	726.34	1216.58	**16945.11**
बिहार	8439.94	6668.70	12940.74	8153.81	700.32	2265.90	1474.75	**40644.16**
छत्तीसगढ़	2454.25	3148.11	2347.65	2448.86	1190.51	936.95	1008.69	**13535.02**
दिल्ली	4556.07	4153.12	8906.22	6752.69	4891.62	2309.47	16128.14	**47697.33**
गुजरात	7791.86	4138.53	20224.58	15251.05	9596.33	1878.15	9822.46	**68702.96**
हरियाणा	4283.24	5545.43	6965.17	4434.09	2547.98	3228.47	4783.37	**31787.75**
हिमाचल प्रदेश	4440.98	5226.86	3434.54	4481.76	998.55	1260.08	1907.99	**21750.76**
जम्मू एवं कश्मीर	1421.81	862.62	2834.92	1287.73	382	641.84	393.77	**7824.69**
झारखंड	962.96	1615.34	4179.03	6274.99	1508.08	1242.08	579.77	**16362.25**
कर्नाटक	–4114.45	6160.55	7489.06	7838.13	10274.85	8321.27	6332.23	**42301.64**
केरल	4769.65	10605.40	2371.16	3278.91	2877.65	2810.81	1242.67	**27956.25**
मध्य प्रदेश	8136.86	7403.13	5337.65	5223.44	2938.23	2265.02	2252.94	**33557.27**
महाराष्ट्र	13988.46	6629.8	16501.42	31672.6	15568.04	6137.42	13245.39	**103743.13**
पूर्वोत्तर क्षेत्र	1855.81	1428.21	1297.81	1362.85	416.32	259.56	178.84	**6799.40**
उड़ीसा	5823.67	5405.95	6337.54	4682.65	2260.76	2223.44	830.86	**27564.87**
पंजाब	5848.3	5971.01	13206.61	7309.11	3902.44	2228.36	10827.29	**49293.12**
राजस्थान	6434.8	9631.9	8119.2	7735.94	4337.03	3294.6	7625.06	**47178.53**
तमिलनाडु	17147.15	7925.61	9355.48	12588.51	10317.67	8924.2	6644.9	**72903.52**
उत्तर प्रदेश	14412.29	17471.51	22713.59	19724.06	4260.29	6983.09	7778.28	**93343.11**
उत्तराखंड	3982.95	4069.52	3727.53	4220.39	1141.61	1662.23	1581.62	**20385.85**
पश्चिम बंगाल	19599.36	7997.56	36513.63	51463.17	10014.71	2396.63	6165.28	**134150.34**
तेलंगाना	–4593.6	459.56	2950.71	452.85	2038.5	2595.6	702.71	**4606.33**
बेस डाकघर	136.1	289.31	229	284.41	44.64	68.38	97.36	**1149.20**
कुल	**136205.78**	**132031.16**	**207558.72**	**221381.52**	**97046.74**	**69683.92**	**105228.33**	**969136.17**

सहयोग और गठबंधन

अध्याय – V

सहयोग और गठबंधन

(क) डाकघर पासपोर्ट सेवा केन्द्र (पीओपीएसके) – विदेश मंत्रालय

1. नागरिकों को बड़े पैमाने पर पासपोर्ट सेवाएं प्रदान करने तथा नागरिकों के लाभ के लिए व्यापक क्षेत्र का कवरेज सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डाक विभाग (डीओपी) और विदेश मंत्रालय (एमईए) पासपोर्ट सेवा केन्द्र के रूप में डाकघरों के नेटवर्क का फायदा उठाने के लिए परस्पर सहमत हुए हैं। इस संयुक्त उद्यम के लिए प्रायोगिक परियोजना मेटागली डाकघर मैसूर, कर्नाटक और दाहोद प्रधान डाकघर, गुजरात में 25 जनवरी, 2017 को शुरू हुई थी। चरणबद्ध ढंग से 491 पीओपीएसके स्थापित करने के लिए परस्पर सहमति से निर्णय लिए गए हैं। इनमें से कुल 428 पीओपीएसके कार्यशील हो गए हैं जिसमें आकांक्षी जिलों में 65 पीओपीएसके शामिल हैं।

2. आकांक्षी जिलों में 65 डाकघर पासपोर्ट सेवा केन्द्र खोले गए हैं। स्थान की व्यवहार्यता और विदेश मंत्रालय की सहमति के अधीन शेष 50 आकांक्षी जिलों में पीओपीएसके खोलने पर ध्यान दिया जा रहा है जहां वर्तमान में कोई पीओपीएसके कार्यशील नहीं है।

3. वर्ष 2021 में डाक विभाग द्वारा डोंबीवली (महाराष्ट्र) और एकमा (बिहार) में दो नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केन्द्र खोले गए हैं। जनवरी, 2017 में शुरुआत के बाद से दिसंबर, 2021 तक 428 पीओपीएसके द्वारा लगभग 67.27 लाख पासपोर्ट आवेदन प्रोसेस किए गए हैं जिससे विभाग के लिए 222.01 करोड़ रुपये के राजस्व का सृजन हुआ है।

अवधि	पासपोर्ट के लिए प्राप्त ऐसे आवेदनों की संख्या जो प्रोसेस किए गए हैं	प्राप्त राजस्व (रुपये में)
01 अप्रैल, 2021 से 31 दिसंबर, 2021	11,65,769	38,47,03,770 रुपये

माननीय संचार राज्य मंत्री गुवाहाटी में एक बालिका को सुकन्या समृद्धि खाता प्रदान करते हुए

(ख) डाकघर आधार अपडेशन और नामांकन केन्द्र – यूआईडीएआई

1. वर्ष 2017 में भारत सरकार ने आधार सेवाएं प्रदान करने वाली सभी निजी एजेंसियों को बंद करने तथा बैंकों एवं डाकघरों में आधार नामांकन एवं पंजीकरण केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया। तद्नुसार, डाक विभाग को भारत सरकार द्वारा डाकघरों में आधार नामांकन सह अपडेशन केन्द्र स्थापित करने का कार्य सौंपा गया। पहला आधार नामांकन सह अपडेशन केन्द्र 30 जून, 2017 को लखनऊ में खोला गया था। वर्तमान में निवासियों को उनके निवास के आसपास आधार सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से देशभर में डाकघरों में 13352 आधार नामांकन सह अपडेशन केन्द्र काम कर रहे हैं। 13352 आधार केन्द्रों में से 1166 आधार केन्द्र आकांक्षी जिलों में कार्यशील हैं। आधार केन्द्र की सुविधा ने नए आधार नामांकन का सृजन करने में और किसी परिवर्तन /मिसमैच की स्थिति में अपने आधार कार्ड के अपडेशन में भी निवासियों को काफी सहूलियत प्रदान की है।

2. डाकघर के आधार केन्द्रों में दो प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं:

i. आधार नामांकनः पंजीकरण प्रक्रिया में निवासियों की जनांकिक एवं बायोमेट्रिक सूचना इलेक्ट्रानिक रूप से प्राप्त करना शामिल है।

ii. आधार अपडेशनः (क) जनांकिक अपडेशन जैसे कि नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पता, जन्मतिथि आदि (ख) बायोमेट्रिक अपडेशन, फेशियल इमेज, 10 फिंगर प्रिंट और आइरिस को डाकघरों के माध्यम से अपडेट किया जाता है।

3. देश के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक भी पहुंचने के उद्देश्य से भारतीय डाक ने अपने डाकघरों को मोबाइल/लैपटॉप आधार किट का वितरण किया है। इन आधार मोबाइल/लैपटॉप किट के परिणामस्वरूप अब आधार अपडेशन/ नामांकन का कार्य कैंप मोड में भी किया जा सकता है, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले, विशेष रूप से डीबीटी लाभार्थी विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त कर सकेंगे। 14 अक्टूबर, 2021 को राष्ट्रीय डाक सप्ताह में व्यवसाय विकास दिवस के दौरान दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों, अनाथालयों आदि में 1646 कैंप आयोजित किए गए और 1.16 लाख लेनदेन किए गए।

4. जून, 2017 में इसकी शुरुआत के बाद से नवंबर 2021 तक डाकघर आधार केन्द्रों द्वारा लगभग 97.79 लाख नामांकन और 348.81 लाख अपडेशन किए गए हैं जिससे विभाग के लिए लगभग 170.30 करोड़ रुपये का राजस्व सृजित हुआ है।

अवधि	आधार नामांकन की संख्या	आधार अपडेशन की संख्या
01 अप्रैल, 2021 से 30 नवंबर, 2021	20,61,951	72,05,178

"मानसिक रोगी अंबालय वृद्धाश्रम" में मानसिक रोगियों के लिए आयोजित आधार कैंप

देशभर में भारतीय डाक के द्वारा आयोजित आधार पंजीकरण शिविरों की झलकियां

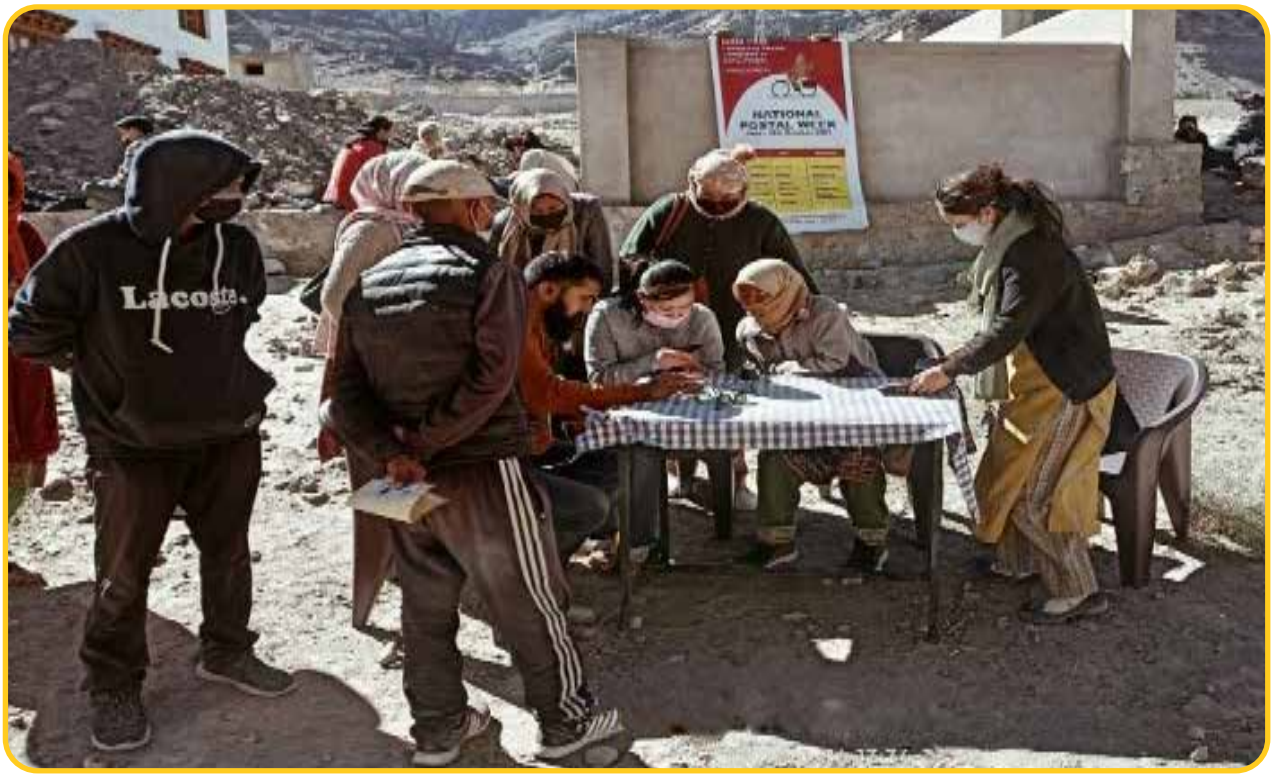

DEPARTMENT OF POSTS
DARRANG DIVISION, TEZPUR
BUSINESS DEVELOPMENT DAY
Aadhaar Enrolment / Updation Camp

(ग) भारतीय डाक यात्री आरक्षण प्रणाली (आईपी – पीआरएस) – भारतीय रेलवे

1. देशभर में डाकघरों के नेटवर्क के माध्यम से रेल टिकट आरक्षण की बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से 31 जुलाई, 2007 को डाक विभाग और रेल मंत्रालय के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। वर्तमान में देशभर में 323 आईपी – पीआरएस केन्द्र उपलब्ध हैं।

2. आईपी – पीआरएस के तहत कमीशन की संरचना इस प्रकार है:

क्र. सं.	श्रेणी	प्रति टिकट सेवा शुल्क
1	सेकंड क्लास स्लीपर और सेकंड क्लास सिटिंग (2एस)	15 रुपये*
2	थर्ड एसी और एसी चेयर कार	20 रुपये*
3	सेकंड एसी, फर्स्ट एसी और फर्स्ट क्लास	30 रुपये*
4	निरसन शुल्क (सभी श्रेणियों के लिए)	10 रुपये*

*प्रभारों में सेवा कर/जीएसटी शामिल है।

3. आईपी – पीआरएस के माध्यम से 1 अप्रैल, 2021 से 30 अक्टूबर, 2021 तक सृजित राजस्व :

माह	लेनदेन की संख्या (सर्कलों से प्राप्त आईपी – पीआरएस की मासिक रिपोर्ट के अनुसार)		अर्जित राजस्व (लाख रुपये में)
	बुक किए गए रेल टिकट	निरस्त किए गए रेल टिकट	
1 अप्रैल, 2021 से 30 अक्टूबर, 2021	306528	22980	24

(घ) अंतर्राष्ट्रीय धनांतरण – वेस्टर्न यूनियन

यह सेवा लगभग 195 देशों से भारत में रहने वाले ग्राहकों को भेजे गए अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण को रियल टाइम आधार पर तुरंत संभव बनाती है। वेस्टर्न यूनियन के सहयोग से भारतीय डाक पूरे देश में स्थित 9955 से अधिक डाकघरों से इस सेवा का संचालन कर रहा है।

(ङ) सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) ई–गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड

- डाकघरों के माध्यम से सीएससी सेवा 11 सर्कलों के 22 डाकघरों के साथ मई, 2020 में प्रायोगिक आधार पर शुरू हुई थी। 31 दिसंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार डाकघर सामान्य सेवा केन्द्र (पीओ सीएससी) के रूप में 106006 डाकघरों और 115425 संचालकों को शामिल किया गया है। 31 दिसंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार 75.5 करोड़ रुपये के कारोबार के साथ तकरीबन 9.21 लाख सीएससी लेनदेन किए गए हैं। डाकघर सीएससी से 100 से अधिक सीएससी सेवाएं प्रदान की जाएंगी।
- पीओ सीएससी से जी2सी सेवाएं जैसे कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना (पीएम स्वनिधि), आयुष्मान भारत, पीएम मानधन योजना, ई–डिस्ट्रिक्ट सर्विस, पैन कार्ड, पासपोर्ट सेवा, इलेक्शन कार्ड सेवा और फसल बीमा योजना आदि उपलब्ध होंगी।
- इन डाकघरों के सीएससी काउंटरों से बी2सी सेवाएं जैसे कि बिजली, गैस, पानी के बिल का भुगतान, जीवन बीमा और सामान्य बीमा के प्रीमियम संग्रहण, थर्ड पार्टी ईएमआई संग्रहण तथा हवाई जहाज, ट्रेनों और बसों के टिकट जैसी यात्रा सेवाएं उपलब्ध होंगी।

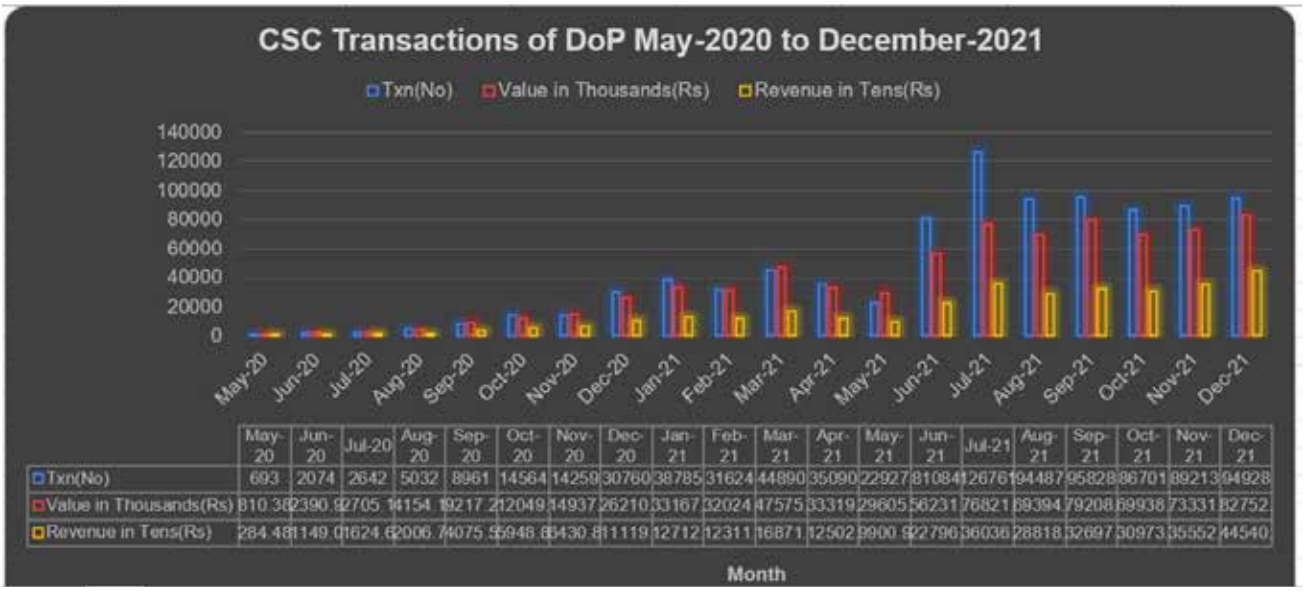

वित्तीय प्रबंधन

अध्याय – VI

वित्तीय प्रबंधन

जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक बचत बैंक बचत प्रमाण पत्र के कार्य के लिए पारिश्रमिक सहित कुल अर्जित राजस्व 10542.25 करोड़ रुपये था और एजेंसी शुल्क के रूप में दूसरे मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त राशि 938.53 करोड़ रुपये थी। सकल कार्यकारी व्यय 30211.10 करोड़ रुपये था। विभाग का घाटा 18730.32 करोड़ रुपये था।

तालिका 13

2020–21 और 2021–22 के दौरान राजस्व एवं व्यय

(करोड़ रुपये में)

विवरण	वास्तविक	वास्तविक			प्रत्याशित
	2020–21	जनवरी 2021 से मार्च, 2021	अप्रैल 2021 से दिसंबर 2021	कुल (जनवरी 2021 से दिसंबर 2021)	जनवरी 2022 से मार्च, 2022
राजस्व					
डाक टिकटों की बिक्री	153.28	55.30	110.73	166.03	36.91
नकद डाक शुल्क	2746.39	1005.52	2362.65	3368.17	787.55
मनी ऑर्डर और इंडियन पोस्टल ऑर्डर आदि पर कमीशन	193.89	46.23	83.16	129.39	27.72
बचत बैंक/बचत प्रमाण पत्र के कार्य के लिए पारिश्रमिक $	7055.79	831.32	5283.90	6115.22	1761.30
* अन्य प्राप्तियां	483.15	154.70	608.74	763.44	202.91
कुल	10632.50	2093.07	8449.18	10542.25	2816.39
व्यय					
सामान्य प्रशासन	1661.72	339.63	1299.30	1638.93	433.10
ऑपरेशन	16549.57	3370.38	13737.69	17108.07	4579.23
एजेंसी सेवाएं	496.29	139.43	305.01	444.44	101.67
**अन्य	10553.88	2130.44	8889.22	11019.66	2963.07
कुल सकल व्यय	**29261.46**	**5979.88**	**24231.22**	**30211.10**	**8077.07**
घटाएं – वसूलियां	933.87	315.27	623.26	938.53	207.75
निबल व्यय	**28327.59**	**5665.88**	**23607.96**	**29272.57**	**7869.32**
घाटा (निवल व्यय – राजस्व)	**17695.09**	**3572.81**	**15158.78**	**18730.32**	**5052.93**

* इसमें पासपोर्ट आवेदन फार्म, पासपोर्ट शुल्क स्टांप, केन्द्रीय भर्ती शुल्क स्टांप की बिक्री से डाक विभाग द्वारा अपने पास रखे गए सेवा शुल्क, अन्य डाक प्रशासन आदि से प्राप्तियां शामिल हैं। स्टांप की बिक्री में डाक टिकटों, सेवा टिकटों की बिक्री शामिल है।

** इसमें लेखा परीक्षा एवं लेखा, सिविल इंजीनियरिंग, स्टाफ के लिए सुविधाएं, लेखन सामग्री और मुद्रण आदि शामिल हैं।

$ यह आंकड़ा अनंतिम है तथा वित्त मंत्रालय के आदेश के बाद बुनियादी बचत खाता के संबंध में सर्कलों में पारिश्रमिक की दर और मेलमिलाप की गतिविधियों में संशोधन के अधीन है।

पीएलआई दिवस (12.10.2021) पर विरुधुनगर डिवीजन में राष्ट्रीय डाक सप्ताह के दौरान नए व्यवसाय प्रीमियम प्राप्त करने के लिए मेला/विशेष अभियान

तालिका–14

एजेंसी सेवाओं के कारण कार्यकारी व्यय की वसूली

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	वास्तविक				प्रत्याशित
		2020–21	जनवरी 2021 से मार्च, 2021 (अंतिम)	अप्रैल 2021 से दिसंबर 2021	कुल (जनवरी 2021 से दिसंबर 2021)	जनवरी 2022 से मार्च, 2022
1	कोयला खदानों तथा ईपीएफ / परिवार पेंशन और विविध सेवाएं (डीओटी / बीएसएनएल/एमटीएनएल) का भुगतान	10.73	7.46	9.94	17.40	3.31
2	रेलवे पेंशन का भुगतान	3.97	2.19	1.35	3.54	0.45
3	डाक जीवन बीमा	864.38	265.41	591.74	857.15	197.25
4	वसूला गया सीमा शुल्क	5.64	5.62	0.01	5.63	0.01
5	***अन्य**	**49.15**	**34.59**	**20.22**	**54.81**	**6.74**
	कुल	**933.87**	**315.27**	**623.26**	**938.53**	**207.76**

* इसमें दिल्ली प्रशासन के गैर डाक टिकटों की बिक्री पर कमीशन, सेना डाक सेवा खातों तथा अन्य सरकारी विभागों से वसूली आदि शामिल हैं।

10.2 विभाग की आय वसूली और राजस्व प्राप्ति के रूप में है। तालिका में उल्लिखित मद 'वसूली' दूसरे विभागों एवं संगठनों की ओर से किए गए एजेंसी कार्य के लिए विभाग द्वारा अर्जित कमीशन की राशि को दर्शाती है और राजस्व प्राप्तियां डाक वस्तुओं की बिक्री, मनी ऑर्डर और इंडियन पोस्टल ऑर्डर पर कमीशन के कारण हैं।

पूंजी परिव्यय

10.3 वर्ष 2020–21 के लिए अचल परिसंपत्तियों पर व्यय 677.41 करोड़ रुपये था जिसमें से 7.22 प्रतिशत व्यय भूमि एवं भवन पर, 90.17 प्रतिशत डाक सेवाओं के यंत्रीकरण एवं आधुनिकीकरण पर और 2.61 प्रतिशत व्यय मेल मोटर वाहन और अन्य पर था।

अन्य कार्यात्मक डिवीजनों के अंतर्गत कार्यकलाप

अध्याय – VII

अन्य कार्यात्मक डिवीजनों के अंतर्गत कार्यकलाप

(क) नेटवर्क योजना

1. डाक विभाग 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार 156434 डाकघरों के अपने नेटवर्क के साथ विश्व का विशालतम डाक नेटवर्क है।

2. जनवरी, 2021 से दिसंबर, 2021 की अवधि के दौरान 957 नए डाकघर खोले गए (जिसमें वामपंथी अतिवाद से प्रभावित जिलों में खोले गए 691 शाखा डाकघर शामिल हैं) और इस अवधि के दौरान 876 डाकघरों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं।

3. यद्यपि विश्व में भारत के पास सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है फिर भी डाकघर खोलने की मांग बनी हुई है। जब निर्धारित मानदंड नए डाकघर खोलने का औचित्य स्थापित नहीं करते हैं तो ऐसे क्षेत्र में डाक सेवाओं की मांग को विभाग की फ्रेंचाइजी योजना और पंचायत संचार सेवा योजना (पीएसएसवाई) योजना के माध्यम से प्रभावी ढंग से पूरा किया जाता है। शामिल न किए गए क्षेत्रों में बुनियादी काउंटर सुविधाएं प्रदान करने के लिए देश में फ्रेंचाइजी योजना के तहत 1692 फ्रेंचाइजी आउटलेट और 1195 पोस्टल एजेंट तथा पीएसएसवाई योजना के तहत 1076 पंचायत संचार सेवा केन्द्र (पीएसएसके) काम कर रहे हैं।

4. डाकघरों की संख्या, पंचायत संचार सेवा केन्द्रों (पीएसएसके), फ्रेंचाइजी आउटलेट (एफओ), मुख्य डाकघर (एमडीजी) की संख्या और शहरी एवं ग्रामीण पत्र पेटियों की संख्या के संबंध में सूचना निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत की गई है:

अहमदाबाद जीपीओ द्वारा राष्ट्रीय डाक सप्ताह 2021 के दौरान बैंकिंग दिवस समारोह

तालिका 15

सर्कल	डाकघरों का वितरण														
	विभागीय डाकघर									ग्रामीण डाक सेवक डाकघर			कुल डाकघर		
	प्रधान डाकघर			उप डाकघर			कुल			शाखा डाकघर					
	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल
आंध्र प्रदेश	5	52	57	957	556	1513	962	608	1570	8891	134	9025	9853	742	10595
असम	0	19	19	369	235	604	369	254	623	3298	85	3383	3667	339	4006
बिहार	0	33	33	663	373	1036	663	406	1069	7994	46	8040	8657	452	9109
छत्तीसगढ़	0	11	11	104	237	341	104	248	352	3510	46	3556	3614	294	3908
दिल्ली	0	12	12	6	361	367	6	373	379	75	57	132	81	430	511
गुजरात	0	33	33	620	560	1180	620	593	1213	7500	133	7633	8120	726	8846
हरियाणा	0	16	16	184	306	490	184	322	506	2143	47	2190	2327	369	2696
हिमाचल प्रदेश	3	15	18	349	104	453	352	119	471	2311	13	2324	2663	132	2795
जम्मू एवं कश्मीर	0	9	9	90	168	258	90	177	267	1404	29	1433	1494	206	1700
झारखंड	0	13	13	269	185	454	269	198	467	3348	37	3385	3617	235	3852
कर्नाटक	0	58	58	844	793	1637	844	851	1695	7768	161	7929	8612	1012	9624
केरल	3	49	52	956	501	1457	959	550	1509	3202	352	3554	4161	902	5063
मध्य प्रदेश	0	43	43	318	653	971	318	696	1014	7155	109	7264	7473	805	8278
महाराष्ट्र	1	60	61	1021	1132	2153	1022	1192	2214	10684	101	10785	11706	1293	12999
उत्तर पूर्व	0	9	9	179	153	332	179	162	341	2475	96	2571	2654	258	2912
ओडिशा	0	35	35	676	498	1174	676	533	1209	6981	68	7049	7657	601	8258
पंजाब	0	22	22	332	414	746	332	436	768	3082	18	3100	3414	454	3868
राजस्थान	1	46	47	725	541	1266	726	587	1313	8948	27	8975	9674	614	10288
तमिलनाडु	1	93	94	1329	1177	2506	1330	1270	2600	8929	338	9267	10259	1608	11867
तेलंगाना	1	35	36	397	394	791	398	429	827	4805	162	4967	5203	591	5794
उत्तर प्रदेश	0	72	72	893	1586	2479	893	1658	2551	14867	247	15114	15760	1905	17665
उत्तराखंड	0	13	13	181	201	382	181	214	395	2267	60	2327	2448	274	2722
पश्चिम बंगाल	0	47	47	784	939	1723	784	986	1770	7157	151	7308	7941	1137	9078
कुल	**15**	**795**	**810**	**12246**	**12067**	**24313**	**12261**	**12862**	**25123**	**128794**	**2517**	**131311**	**141055**	**15379**	**156434**

तालिका 16

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार डाकघरों का वर्गीकृत कार्यवार वितरण					
सर्कल	**कुल डाकघर**	**रात्रिकालीन डाकघर**	**सेवाओं की पूरी रेंज वाले डाकघर**	**डिलीवरी के बगैर डाकघर**	**वितरण डाकघर**
आंध्र प्रदेश	10595	12	10163	432	10163
असम	4006	1	623	104	3903
बिहार	9109	6	1069	213	8896
छत्तीसगढ़	3908	2	351	85	3823
दिल्ली	511	17	379	283	228
गुजरात	8846	8	4936	232	8614
हरियाणा	2696	1	314	206	2490
हिमाचल प्रदेश	2795	0	2756	39	2756
जम्मू एवं कश्मीर	1700	1	267	78	1622
झारखंड	3852	1	0	97	3743
कर्नाटक	9624	1	4437	490	9135
केरल	5063	6	4803	258	4805
मध्य प्रदेश	8278	5	8278	293	7985
महाराष्ट्र	12999	7	61	517	12343
उत्तर पूर्व	2912	1	498	41	2875
ओडिशा	8258	0	1209	286	7967
पंजाब	3868	4	546	224	3640
राजस्थान	10288	5	9960	327	9961
तमिलनाडु	11867	14	11867	1029	10838
तेलंगाना	5794	8	827	210	5584
उत्तर प्रदेश	17665	9	2635	1061	16604
उत्तराखंड	2722	0	395	107	2614
पश्चिम बंगाल	9078	6	1132	726	8352
कुल	**156434**	**115**	**67506**	**7338**	**148941**

तालिका 17

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार पंचायत संचार सेवा केन्द्र और फ्रेंचाइजी आउटलेट (संख्या में)		
सर्कल	**पंचायत संचार सेवा केन्द्र**	**फ्रेंचाइजी आउटलेट**
आंध्र प्रदेश	2	67
असम	16	11
बिहार	458	149
छत्तीसगढ़	2	23
दिल्ली	0	206
गुजरात	2	35
हरियाणा	19	71
हिमाचल प्रदेश	17	4
जम्मू एवं कश्मीर	18	27
झारखंड	37	231
कर्नाटक	2	30
केरल	0	0
मध्य प्रदेश	69	53
महाराष्ट्र	24	95
उत्तर पूर्व	11	36
ओडिशा	68	84
पंजाब	1	58
राजस्थान	1	22
तमिलनाडु	6	76
तेलंगाना	1	41
उत्तर प्रदेश	299	272
उत्तराखंड	18	55
पश्चिम बंगाल	5	46
कुल	**1076**	**1692**

तालिका 18

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार पत्र पेटी, डाक बॉक्स और पोस्ट बैग (संख्या में)						
सर्कल	पत्र पेटी			लोगों को किराए पर दिए गए पोस्ट बॉक्स	लोगों को किराए पर दिए गए पोस्ट बैग	लोगों को किराए पर दिए गए पोस्ट बॉक्स सह बैग
	शहरी	ग्रामीण	कुल			
आंध्र प्रदेश	4254	23744	27998	416	22	0
असम	1123	11931	13054	201	1	0
बिहार	1907	15645	17552	27	8	2
छत्तीसगढ़	2991	12488	15479	76	3	1
दिल्ली	790	36	826	213	18	38
गुजरात	4320	19578	23898	2713	33	3
हरियाणा	1070	5129	6199	200	7	1
हिमाचल प्रदेश	686	5794	6480	57	2	0
जम्मू एवं कश्मीर	580	3661	4241	1717	96	0
झारखंड	1028	8850	9878	37	0	0
कर्नाटक	5792	21088	26880	1215	54	29
केरल	2672	7880	10552	3368	217	39
मध्य प्रदेश	3861	29211	33072	362	101	25
महाराष्ट्र	6444	32243	38687	5318	154	5
पूर्वोत्तर क्षेत्र	909	2726	3635	3254	0	197
उड़ीसा	1912	14185	16097	270	2	0
पंजाब	2547	12168	14715	526	6	0
राजस्थान	3335	23639	26974	1146	37	0
तमिलनाडु	8104	25294	33398	2606	231	1498
तेलंगाना	2629	11521	14150	232	41	88
उत्तर प्रदेश	6447	42070	48517	395	17	18
उत्तराखंड	1829	7631	9460	164	6	0
पश्चिम बंगाल	4416	22615	27031	798	23	2
कुल	**69646**	**359127**	**428773**	**25311**	**1079**	**1946**

तालिका 19

31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार डाक और रेलवे मेल सेवा की कार्यशील यूनिटें (संख्या में)						
सर्कल	**डाक डिवीजन**	**रेल डाक सेवा डिवीजन**	**डाक भंडार डिपो**	**सर्कल टिकट डिपो**	**रेलवे मेल सेवा छंटाई कार्यालय**	**रेलवे मेल सेवा रिकार्ड कार्यालय**
आंध्र प्रदेश	28	4	1	0	14	15
असम	9	2	1	0	23	10
बिहार	24	4	1	0	17	17
छत्तीसगढ़	5	1	1	0	4	4
दिल्ली	6	3	1	0	6	3
गुजरात	25	3	1	0	19	19
हरियाणा	9	2	1	0	12	12
हिमाचल प्रदेश	9	1	1	0	6	6
जम्मू एवं कश्मीर	6	1	1	0	2	2
झारखंड	8	2	1	0	10	10
कर्नाटक	31	3	1	0	27	24
केरल	24	3	1	0	24	21
मध्य प्रदेश	21	3	1	0	10	11
महाराष्ट्र	41	7	2	1	48	33
उत्तर पूर्व	7	0	1	0	0	0
ओडिशा	22	3	1	0	17	18
पंजाब	13	2	1	0	8	9
राजस्थान	24	3	1	0	16	18
तमिलनाडु	43	6	2	0	38	33
तेलंगाना	16	2	1	0	13	9
उत्तर प्रदेश	44	7	2	0	40	37
उत्तराखंड	7	1	1	0	3	3
पश्चिम बंगाल	28	6	1	0	26	26
कुल	**450**	**69**	**26**	**1**	**383**	**340**

(ख) ग्रामीण व्यवसाय

1. नए भारत के लिए ग्रामीण डाकघर की डिजिटल उन्नति (दर्पण) परियोजना के तहत, 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार डाक विभाग ने डाक और वित्तीय लेनदेन आनलाइन करने के लिए पूरे देश में 1,29,238 शाखा डाकघरों को एसआईएम आधारित हस्तचालित डिवाइसें प्रदान की हैं। हैंड हेल्ड प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) डिवाइसों के माध्यम से कोर बैंकिंग सिस्टम पर आनलाइन धन जमा करने और निकालने, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) तथा सामाजिक क्षेत्र की अन्य भुगतान योजनाओं सहित 275 योजनाओं के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के लाभों का वितरण करने, पंजीकृत एवं स्पीड पोस्ट की डाक वस्तुओं और मनी आर्डर की बुकिंग करने, डाक जीवन बीमा (पीएलआई)/ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आरपीएलआई) के प्रीमियम एकत्र करने का कार्य किया जा रहा है जिससे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा मिल रहा है। 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार इन डिवाइसों के माध्यम से 66.43 करोड़ आनलाइन लेनदेन किए गए हैं जिनमें 90039 करोड़ रुपए की राशि शामिल है।

2. डाकघर पीओएसबी खातों के माध्यम से केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की 275 से अधिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए डीबीटी के भुगतानों का संवितरण भी उनके लाभार्थियों को कर रहे हैं। शुरुआत से लेकर 31.12.2021 तक डाकघरों के माध्यम से डीबीटी के 17.53 करोड़ लेनदेन का संवितरण किया गया है जिनमें 16462 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। मनरेगा के तहत मजदूरी भुगतान, वृद्धा पेंशन भुगतान जैसी योजनाओं तथा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना, पीएम किसान योजना आदि के तहत अन्य सामाजिक योजनाओं के लिए ये सामाजिक सुरक्षा डीबीटी भुगतान किए जाते हैं।

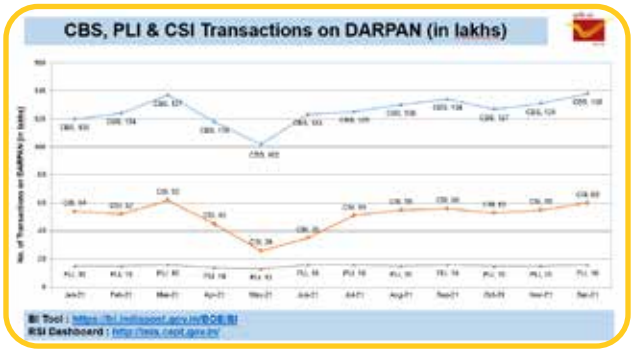

श्री रंजन दास ने, जो सिलीगुड़ी में चाय बेचते हैं, आईपीपीबी में चालू खाता खोला और भुगतान प्राप्त करने के लिए क्यूआर कोड का प्रयोग कर रहे हैं

(ग) संपदा प्रबंधन

1. 23 डाक सर्कलों में कुल 25,123 विभागीय डाकघर हैं जो देश भर में फैले हुए, जिनमें से 4,521 डाकघर विभागीय भवनों में, 19,541 डाकघर किराए के भवनों में तथा शेष विभागीय डाकघर किराया मुक्त आवासों में चल रहे हैं।

2. वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान 27 नए डाक भवनों के निर्माण, 111 डाक कार्यालयों के जीर्णोद्धार, 7 विरासत भवनों के अनुरक्षण/नवीनीकरण, 19 सोलर पावर पैक लगाने तथा 105 वर्षा जल संचयन प्रणालियों के निर्माण का काम पूरा किया गया। इनके अलावा, वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान सुगम्य भारत अभियान के तहत 69 रैंप एंड रेल के निर्माण का काम भी पूरा किया गया। स्वच्छता कार्य योजना के तहत चल रही कोविड–19 महामारी पर विशेष ध्यान देते हुए पेयजल प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सैनिटाइजेशन और कार्यालय परिसर के विसंक्रमणीकरण से संबंधित कार्य नियमित रूप से किए जा रहे हैं।

3. वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान (1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक) 32 नए डाकघर भवनों के निर्माण और 49 डाकघरों के जीर्णोद्धार का कार्य पूरा किया गया है और उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2021–22 के अंत तक 42 और भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा।

4. विभाग डाक प्रचालन के लिए नए भवनों का निर्माण, मौजूदा भवनों का रखरखाव और धरोधर भवनों का सुधार करते हुए सक्रियता से अपनी अवसंरचना का विकास कर रहा है। स्थायी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विभाग नए और मौजूदा भवनों में सौर ऊर्जा तथा वर्षा जल संचयन की प्रणालियां स्थापित करने पर भी समुचित ध्यान दे रहा है। सुगम्य भारत अभियान के तहत दिव्यांग व्यक्तियों तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए रैंप एंड रेल तथा महिलाओं के लिए अलग शौचालयों, क्रेच और विश्रामालयों का निर्माण किया जा रहा है।

5. इसके अलावा, वर्ष 2020–21 के दौरान निम्नलिखित पहलें शुरू की गईं : प्लास्टिक बैग के प्रयोग पर प्रतिबंध के बारे में जागरूकता पैदा करना, वर्षा जल संचयन की तकनीकों का प्रचार प्रसार, सोलर ऊर्जा आदि का प्रयोग, जागरूकता फैलाने के लिए स्थानीय प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ स्वच्छता मार्च / पद यात्रा निकालना और स्वच्छता के महत्व का संदेश घर घर पहुंचाने के लिए स्वच्छता दूत के रूप में पोस्ट मैन / पोस्ट वुमेन का नामांकन, प्लास्टिक बैग के प्रयोग पर प्रतिबंध, भारत को खुले में शौच मुक्त बनाना आदि। स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान विभिन्न कार्य किए गए, जैसे कि विशेष स्वच्छता अभियान, जल संरक्षण पर कार्यशाला, स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए डाक भवनों एवं वाहनों पर बैनर और पोस्टर चिपकाना आदि। स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए डाक कर्मचारियों और स्कूली छात्रों के बीच निबंध, क्विज और पोस्टर निर्माण जैसी विभिन्न ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया।

श्री नीरज चोपड़ा के पिता द्वारा उनके गांव खंडरा में लेटर बॉक्स का उद्घाटन

हाल ही में निर्मित कुछ डाकघरों के फोटोग्राफ

बोरखला डाकघर, असम

असरवा एक्सटेंशन साउथ उप डाकघर, गुजरात

तालिका 20

विभागीय धरोहर भवनों की सूची		
क्र. सं.	धरोहर भवन का नाम	सर्कल का नाम
1	पटना जनरल पोस्ट ऑफिस (जीपीओ)	बिहार
2	भागलपुर प्रधान डाकघर (एचपीओ)	
3	डाक प्रशिक्षण केन्द्र (पीटीसी), दरभंगा	
4	नई दिल्ली जनरल पोस्ट ऑफिस (जीपीओ)	दिल्ली
5	दिल्ली जनरल पोस्ट ऑफिस (जीपीओ)	
6	अहमदाबाद जनरल पोस्ट ऑफिस	गुजरात
7	अंबेडकर चौक डाकघर	
8	छोटा शिमला डाकघर	हिमाचल प्रदेश
9	कसौली डाकघर	
10	मंडी प्रधान डाकघर	
11	शिमला जनरल पोस्ट ऑफिस (जीपीओ)	
12	समर हिल डाकघर	
13	सर्कल कार्यालय, बंगलौर	कर्नाटक
14	डिविजनल कार्यालय, बेल्लारी	
15	किट्टूर चन्नम्मा पार्क डाकघर	
16	डाक प्रशिक्षण केंद्र, मैसूर	
17	सर्किल कार्यालय, त्रिवेंद्रम	केरल
18	कोच्चि प्रधान डाकघर	
19	त्रिवेंद्रम फोर्ट डाकघर	
20	उदयंपरूर (पुराना डाकघर)	
21	लस्कर प्रधान डाकघर	मध्य प्रदेश
22	लेखा निदेशालय (डाक), नागपुर	महाराष्ट्र
23	मुंबई जनरल पोस्ट ऑफिस (जीपीओ)	
24	नागपुर जनरल पोस्ट ऑफिस (जीपीओ)	
25	पणजी प्रधान डाकघर	
26	पुणे जनरल पोस्ट ऑफिस (जीपीओ)	
27	तलबंग डाकघर	पूर्वोत्तर
28	अमृतसर प्रधान डाकघर	पंजाब
29	संबलपुर प्रधान डाकघर	ओडिशा

विभागीय धरोहर भवनों की सूची		
क्र. सं.	**धरोहर भवन का नाम**	**सर्कल का नाम**
30	चेन्नई जनरल पोस्ट ऑफिस	तमिलनाडु
31	नागापट्टनम प्रधान डाकघर	
32	फिलैटली ब्यूरो, अन्ना रोड प्रधान डाकघर	
33	उधगमंडलम प्रधान डाकघर	
34	आगरा प्रधान डाकघर	उत्तर प्रदेश
35	सर्कल कार्यालय, लखनऊ	
36	लखनऊ जनरल पोस्ट ऑफिस (जीपीओ)	
37	वाराणसी सिटी डाकघर	
38	वाराणसी प्रधान डाकघर	
39	अलीपुर प्रधान डाकघर	पश्चिम बंगाल
40	बेहरामपुर प्रधान डाकघर	
41	बरुईपुर प्रधान डाकघर	
42	कूच बिहार डाकघर	
43	डायमंड हार्बर प्रधान डाकघर	
44	दार्जिलिंग प्रधान डाकघर	
45	कोलकाता जनरल पोस्ट ऑफिस (जीपीओ)	
46	रिटर्न लेटर ऑफिस (आरएलओ), कोलकाता	

तालिका 21

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार विभागीय और किराए पर लिए गए भवन												
	विभागीय भवन			किराए पर लिए गए भवन			किराया मुक्त भवन			कुल		
सर्कल	डाक	रेलवे मेल सेवा	अन्य यूनिटें	डाक	रेलवे मेल सेवा	अन्य यूनिटें	डाक	रेलवे मेल सेवा	अन्य यूनिटें	विभागिय	किराए पर लिए गए भवन	किराया मुक्त भवन
आंध्र प्रदेश	169	1	4	1325	29	6	77	0	0	174	1360	77
तेलंगाना	154	7	3	611	9	0	67	6	0	164	620	73
असम	162	11	4	440	13	4	23	8	0	177	457	31
बिहार	175	2	15	783	37	3	108	5	1	192	823	114
छत्तीसगढ़	43	0	2	285	4	1	24	0	0	45	290	24
दिल्ली	122	2	6	203	7	0	36	2	0	130	210	38
गुजरात	292	3	5	885	13	8	29	1	0	300	906	30
दमन एवं दादरा और नगर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र)	3	0	0	3	0	0	0	0	0	3	3	0
दीव (संघ राज्य क्षेत्र)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
हरियाणा	83	0	0	361	12	0	63	1	0	83	373	64
हिमाचल प्रदेश	77	1	5	376	6	3	21	0	0	83	385	21
झारखंड	69	2	0	337	10	2	63	0	0	71	349	63
जम्मू एवं कश्मीर	34	1	0	202	0	0	25	0	0	35	202	25
कर्नाटक	406	19	4	1230	18	0	85	0	0	429	1248	85
लक्षदीप सहित केरल	251	4	3	1210	21	15	47	0	0	258	1246	47
मध्य प्रदेश	197	2	0	715	8	2	100	0	1	199	725	101
महाराष्ट्र	356	37	13	1652	38	0	119	1	0	406	1690	120
गोवा	17	0	3	78	0	3	9	0	0	20	81	9
मेघालय	19	0	5	36	0	0	12	0	0	24	36	12
मिजोरम	12	0	0	25	0	0	3	0	0	12	25	3
मणिपुर	8	0	0	44	0	0	3	0	0	8	44	3
नागालैंड	11	0	0	25	0	0	6	0	0	11	25	6
अरुणाचल प्रदेश	23	0	0	14	0	0	14	0	0	23	14	14
त्रिपुरा	21	0	0	48	0	0	14	0	0	21	48	14
उड़ीसा	162	3	0	929	24	0	126	6	0	165	953	132
पंजाब	108	1	5	483	11	1	83	0	0	114	495	83
चंडीगढ़	30	0	1	46	0	0	18	0	0	31	46	18
राजस्थान	360	13	7	817	22	1	141	5	0	380	840	146
तमिलनाडु	282	4	10	2153	27	6	84	0	0	296	2186	84
पांडिचेरी	9	0	0	70	0	0	5	0	0	9	70	5
उत्तर प्रदेश	316	8	5	2014	53	6	220	0	0	329	2073	220
उत्तराखंड	53	0	2	299	2	6	41	0	0	55	307	41
पश्चिम बंगाल	**210**	**10**	**38**	**1358**	**9**	**21**	**110**	**9**	**1**	**258**	**1388**	**120**
सिक्किम	**6**	**0**	**0**	**12**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**6**	**12**	**5**
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	**10**	**0**	**0**	**7**	**3**	**0**	**5**	**2**	**0**	**10**	**10**	**7**
कुल	**4250**	**131**	**140**	**19077**	**376**	**88**	**1786**	**46**	**3**	**4521**	**19541**	**1835**

टिप्पणी : (i) यदि किसी समान भवन में दो या अधिक डाकघर चल रहे हैं तो उसे केवल एक भवन माना गया है।

(ii) डाकघर/आरएमएस कार्यालय से भिन्न सभी प्रशासनिक कार्यालयों तथा अन्य कार्यालयों जैसे कि सीओ/आरओ/डीएपी/पीएसडी/सीएसडी और एमएमएस यूनिटों को "अन्य यूनिट" के तहत दर्शाया गया है।

(घ) आईटी आधुनिकीकरण

I. पृष्ठभूमि

1. डाक विभाग की आईटी आधुनिकीकरण परियोजना को सरकार द्वारा नवंबर 2012 में 4909 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मिशन मोड ई–गवर्नेंस परियोजना के रूप में मंजूरी प्रदान की गई। इस परियोजना में देश में 1,55,000 डाकघरों का कंप्यूटरीकरण एवं आधुनिकीकरण एवं नेटवर्किंग शामिल है जिसमें ग्रामीण डाक सेवकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में चलाए जा रहे 1,30,000 शाखा डाकघर शामिल हैं। परियोजना में मेल, मानव संसाधन, बैंकिंग, बीमा तथा वित्त एवं लेखा सहित डाक विभाग के सभी प्रचालनों के लिए केंद्रीय सर्वर आधारित एकीकृत, माड्यूलर और मापेय समाधान प्रदान करना शामिल है। इसमें डाटा केंद्र, आपदा समुत्थान केंद्र जैसी आईटी अवसंरचना का सृजन, वाइड एरिया नेटवर्क (वैन) की स्थापना और सभी शाखा डाकघरों को सौर ऊर्जा से चलने वाले और पोर्टेबल हैंड हेल्ड कंप्यूटिंग डिवाइसें (माइक्रो एटीएम अनुपालक) प्रदान करना भी शामिल है।

2. डाक विभाग की आईटी आधुनिकीकरण परियोजना का उद्देश्य विश्व के सबसे बड़े डाक नेटवर्क के लिए मजबूत डिजिटल अवसंरचना उपलब्ध कराना है। विभाग द्वारा यह परियोजना निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ शुरू की गई है:

i ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण डाक सेवक (जी डी एस) द्वारा संचालित शाखा डाकघरों, मेल कार्यालयों, प्रशासनिक एवं अन्य कार्यालयों सहित देश में सभी गैर कंप्यूटरीकृत डाकघरों का आधुनिकीकरण एवं कंप्यूटरीकरण;

ii. डाक विभाग के सभी प्रचालनों को शामिल करते हुए मापेय, एकीकृत एवं माड्यूलर साफ्टवेयर का विकास;

iii. डाटा केंद्र सहित अपेक्षित आईटी अवसंरचना की स्थापना, विभागीय डाकघरों की वाइड एरिया नेटवर्क (वैन) आधारित नेटवर्किंग; और

iv. ग्रामीण सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ग्रामीण आईसीटी) अवसंरचना का सृजन।

3. यह परियोजना 8 अलग – अलग खंडों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। डेटा केन्द्र सुविधा (डीसीएफ), नेटवर्क इंटीग्रेटर (एनआई), वित्तीय सेवा प्रणाली इंटीग्रेटर (एफएसआई), कोर सिस्टम इंटीग्रेटर (सीएसआई), नए भारत के लिए ग्रामीण डाकघरों की डिजिटल उन्नति (दर्पण) – ग्रामीण सिस्टम इंटीग्रेटर (आरएसआई) और ग्रामीण हार्डवेयर (आरएच), मेल ऑपरेशन हार्डवेयर (एमओएच) और परिवर्तन प्रबंधन (सीएम)।

II. वर्तमान स्थिति:

1. विभाग ने स्टैंडअलोन स्थानीय सर्वर आधारित प्रचालन से आगे बढ़कर एकसमान केन्द्रीय सर्वर आधारित प्रचालन शुरू किया है। प्राथमिक डेटा केन्द्र 03 अप्रैल, 2013 से नवी मुंबई में काम कर रहा है। डिजास्टर रिकवरी सेंटर 15 मई 2015 को मैसूर में चालू किया गया है।

2. 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार 26,708 विभागीय लोकेशन पर वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) के माध्यम से नेटवर्क कनेक्टिविटी स्थापित की गई है जिससे ये डाकघर केन्द्रीयकृत एप्लीकेशन के माध्यम से लोगों की सेवा करने में समर्थ हुए हैं जो केन्द्रीय डेटा केन्द्र के साथ डेटा का आदान प्रदान करते हैं।

3. 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार कुल 25,046 डाकघर ऐसे हैं जो डाकघर बचत बैंक (पीओएसबी) के ग्राहकों को कोर बैंकिंग सेवा (सीबीएस) प्रदान कर रहे हैं। प्रत्येक जिला मुख्यालय में कम से कम एक एटीएम के साथ 1000 एटीएम लगाए गए हैं। ये एटीएम अन्य बैंकों के साथ परस्पर संचालनीय हैं। 14 दिसंबर 2018 से पीओएसबी के ग्राहकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग सेवा (ई–बैंकिंग) उपलब्ध कराई गई है। ई–बैंकिंग सुविधा के माध्यम से पीओएसबी खाता धारक अपने पीओएसबी बचत खाते से सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) और डाकघर सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) के खातों में ऑनलाइन धन जमा कर सकते हैं। पीओएसबी के ग्राहकों को 15 अक्टूबर 2019 से मोबाइल बैंकिंग की सुविधा भी प्रदान की गई है।

4. कोर बीमा समाधान (सीआईएस) के माध्यम से डाक जीवन बीमा (पीएलआई) की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं जो 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार 25,581 डाकघरों में शुरू की गई है।

5. कोर सिस्टम इंटीग्रेटर (सीएसआई) सेगमेंट ने एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) समाधान कार्यान्वित किया है। सीएसआई के माध्यम से विभाग ने एकल, केन्द्रीय सर्वर आधारित प्लेटफार्म पर डाकघरों के सभी डाक, मेल और काउंटर प्रचालनों का डिजिटलीकरण किया है। इसके अलावा, इसने एसएपी आधारित प्लेटफार्म पर विभाग के वित्त एवं लेखा तथा मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित कार्यों का भी डिजिटलीकरण किया है। 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार 505 डाक एवं आरएमएस डिवीजनों (कुल 511 डिवीजनों में से) + 12 स्वतंत्र प्रधान डाकघरों/जीपीओ को सीएसआई में लाया गया है।

6. नए भारत के लिए ग्रामीण डाकघरों की डिजिटल उन्नति (दर्पण) के अंग के रूप में शाखा डाकघरों को साइलो, सौर संचालित, माइक्रो एटीएम अनुपालक, एसआईएम आधारित हस्तचालित डिवाइसों की आपूर्ति की गई है। 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार 1,29,380 शाखा डाकघरों को इन डिवाइसों की आपूर्ति की गई है तथा ग्रामीण सिस्टम इंटीग्रेटर (आरएसआई) के तहत विभिन्न उत्पादों एवं सेवाओं के लिए ग्राहकों के आवेदनों को 1,29,380 शाखा कार्यालयों में ऑनलाइन किया गया है।

7. इस परियोजना के अंग के रूप में सभी विभागीय डाकघरों का कंप्यूटरीकरण किया गया है।

8. विभाग ने मेल प्रचालन हार्डवेयर परियोजना के तहत मेल कार्यालयों को कंप्यूटर, हार्डवेयर और पेरिफरल की आपूर्ति की है तथा डाकिया स्टाफ को स्मार्ट फोन की आपूर्ति की है।

9. विभाग के कामकाज में व्यापक परिवर्तन के अनुरूप ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) सहित कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता महसूस की गई। इस परियोजना के 'परिवर्तन प्रबंधन' खंड के तहत जीडीएस सहित विभाग के सभी कर्मचारियों को तैयार करने के लिए विभिन्न कार्यशालाओं, प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया ताकि वे आईटी परिवेश में प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें। यह परियोजना पूरी हो गई है।

मार्च 2022 के बाद विभाग ने डाक विभाग की आईटी आधुनिकीकरण 2.0 परियोजना के माध्यम से आईटी अवसंरचना अनुरक्षण, उन्नयन एवं प्रौद्योगिकी को नए सिरे से आगे बढ़ाने का प्रस्ताव किया है।

छत्तीसगढ़ सर्कल के बस्तर डिवीजन में विवेकानंद आश्रम (स्कूल) में राष्ट्रीय डाक सप्ताह के दौरान व्यवसाय विकास दिवस (14 अक्टूबर 2021) के अवसर पर बच्चों के लिए आयोजित विशेष आधार शिविर

(ङ) कार्मिक प्रबंधन

1.1 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार डाक विभाग में कुल 414281 कर्मचारी हैं जिनमें से 169953 विभागीय कर्मचारी हैं और 244328 ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) हैं। श्रेणीवार विवरण इस प्रकार है:

तालिका 22

कार्मिक : 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार संख्या			
I. विभागीय			
क. राजपत्रित	**समूह 'क'**	**समूह 'ख'**	**कुल**
भारतीय डाक सेवा समूह 'क'			
सचिव (डाक)	1		1
महानिदेशक, डाक सेवाएं	1		1
सदस्य, डाक सेवा बोर्ड	7		7
वरिष्ठ डीडीजी/मुख्य पीएमजी	26		26
वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	74		74
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	55		55
वरिष्ठ समयमान	101		101
प्रोबेशनर सहित कनिष्ठ समयमान	69		69
डाक सेवा समूह 'ख'		734	734
सहायक अधीक्षक		1735	1735
भारतीय पीएंडटी लेखा एवं वित्त सेवाएं			
उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड	1		1
वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	14		14
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	7		7
वरिष्ठ समयमान	18		18
कनिष्ठ समयमान	20		20
वरिष्ठ लेखा अधिकारी/लेखा अधिकारी		104	104
सहायक लेखा अधिकारी		628	628
केन्द्रीय सचिवालय सेवा	75	55	130
सिविल विंग			
मुख्य अभियंता	33		33
अन्य		146	146
अन्य सामान्य केन्द्रीय सेवाएं	13	14	27
कुल (राजपत्रित)	**515**	**3416**	**3931**
ख. समूह 'ख' (अराजपत्रित)		**5730**	**5730**
ग. अराजपत्रित	**समूह 'ग' (एमटीएस को छोड़कर)**	**समूह 'ग' एमटीएस**	**कुल**
निदेशालय	96	100	196
सर्कल कार्यालय, लेखा, स्टांप डीपो, कैंटीन स्टाफ सहित डाकघर	120642	16236	136878
रेलवे डाक सेवा	13820	6741	20561
मेल मोटर सेवा	1160	184	1344
अन्य (आरएलओ, स्टोर, प्रशिक्षण, सिविल, प्रिंटिंग प्रेस)	836	477	1313
कुल (अराजपत्रित) समूह ग	136554	23728	160292
I. कुल विभागीय (क+ख+ग)			**169953**
II. ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस)			**244328**
कुल योग (I+II)			**414281**

1.2 2016–17 से समूह 'क' और समूह 'ख' में वर्गीकृत राजपत्रित स्टाफ को निम्नलिखित ग्राफ में दर्शाया गया है:

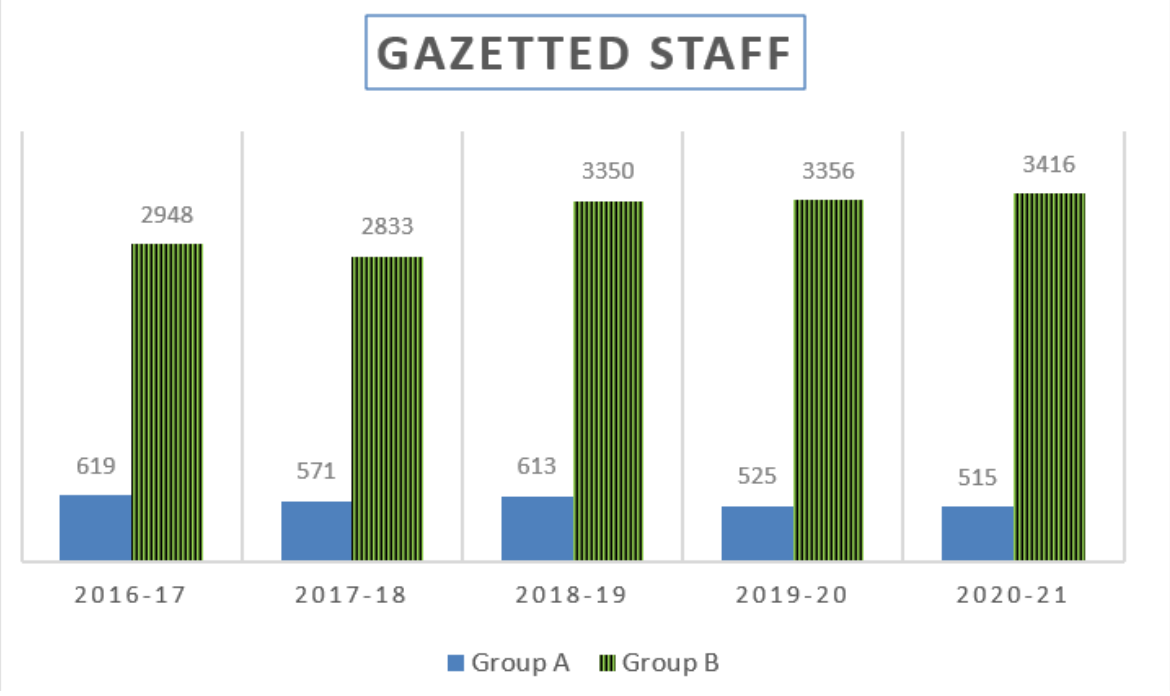

1.3 2016–17 से बहु कार्य स्टाफ (एमटीएस) को छोड़कर समूह 'ग' में वर्गीकृत अराजपत्रित विभागीय स्टाफ (समूह 'ख' अराजपत्रित सहित) को निम्नलिखित ग्राफ में दर्शाया गया है:

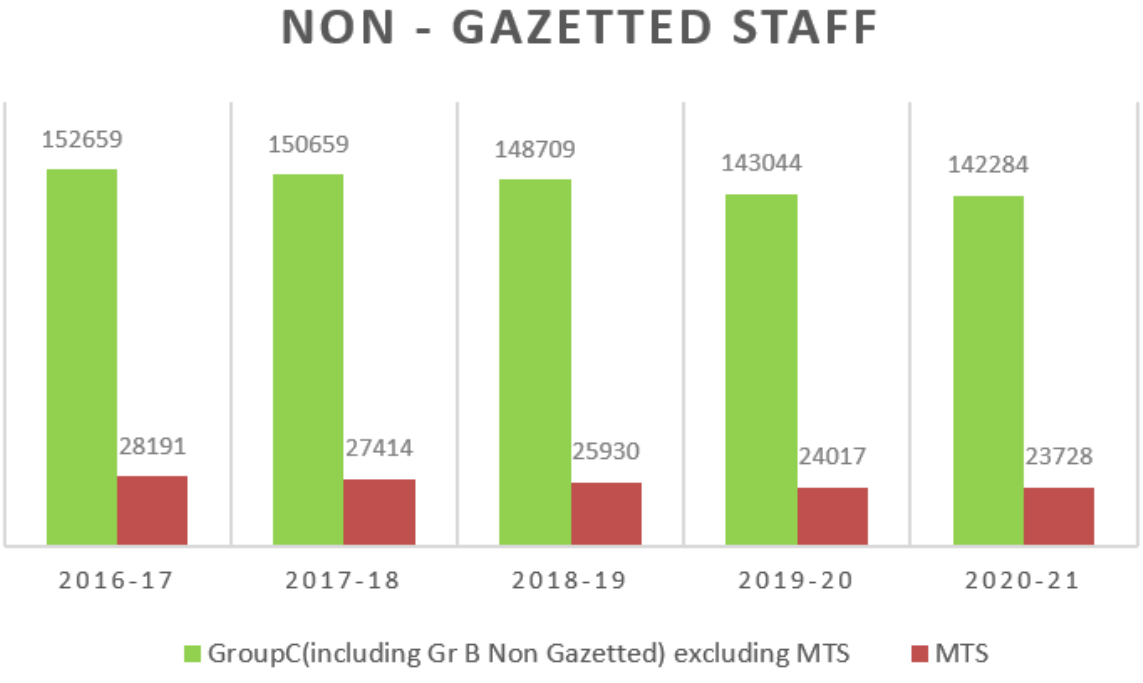

2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

2.1 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार विभाग में विभिन्न ग्रेडों में अनुसूचित जाति के 27557 और अनुसूचित जनजाति के 12696 कर्मचारी थे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का समूहवार विवरण तथा संबंधित समूह में कुल कर्मचारियों में उनका प्रतिशत इस प्रकार है:

तालिका 23

कर्मचारियों की संख्या 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या				
समूह	**अनुसूचित जाति**	**कर्मचारियों की कुल संख्या में इनका प्रतिशत**	**अनुसूचित जनजाति**	**कर्मचारियों की कुल संख्या में इनका प्रतिशत**
समूह 'क'	97	18.83	50	9.71
समूह 'ख' (राजपत्रित)	631	18.47	238	6.97
समूह 'ख' (अराजपत्रित)	905	15.79	344	6.00
समूह 'ग' (एमटीएस को छोड़कर)	21518	15.76	10145	7.43
समूह 'ग' बहु कार्य स्टाफ	4406	18.57	1919	8.09
कुल	**27557**	**16.21**	**12696**	**7.47**

2.2 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार 'अनुसूचित जाति', 'अनुसूचित जनजाति' और 'अन्य' के तहत वर्गीकृत विभागीय स्टाफ को निम्नलिखित ग्राफ में दर्शाया गया है:

31.03.2021 (विभागीय) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी

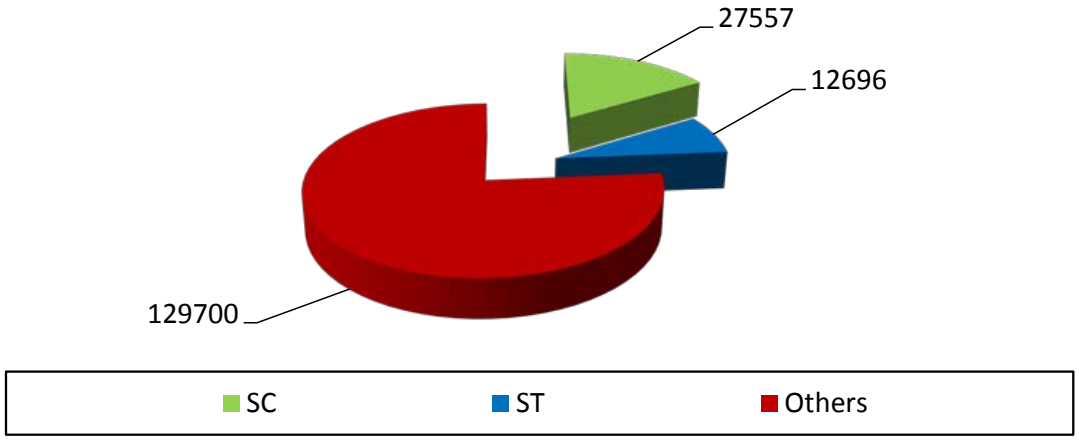

3. दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक, महिलाएं और ओबीसी कर्मचारी

3.1 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार विभाग में विभिन्न ग्रेडों में 2694 दिव्यांग कर्मचारी, 2147 भूतपूर्व सैनिक, 25 भूतपूर्व सैनिक (दिव्यांग), 31773 महिलाएं और 35862 ओबीसी कर्मचारी थे। ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

तालिका 24

कर्मचारियों की संख्या : 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व सैनिक (दिव्यांग), महिलाएं और ओबीसी					
समूह	**दिव्यांग**	**भूतपूर्व सैनिक**	**भूतपूर्व सैनिक (दिव्यांग)**	**महिलाएं**	**अन्य पिछड़ा वर्ग**
समूह 'क'	10	1	0	152	91
समूह 'ख' (राजपत्रित)	25	9	0	563	318
समूह 'ख' (अराजपत्रित)	69	19	0	830	632
समूह 'ग' (एमटीएस को छोड़कर)	2298	1922	23	27002	29278
समूह 'ग' बहु कार्य स्टाफ	292	196	2	3226	5543
कुल	**2694**	**2147**	**25**	**31773**	**35862**

3.2 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार 'पुरुष' और 'महिला' के रूप में वर्गीकृत विभागीय स्टाफ को निम्नलिखत ग्राफ में दर्शाया गया है:

31.03.21 (विभागीय) के अनुसार पुरुष और महिला कर्मचारी

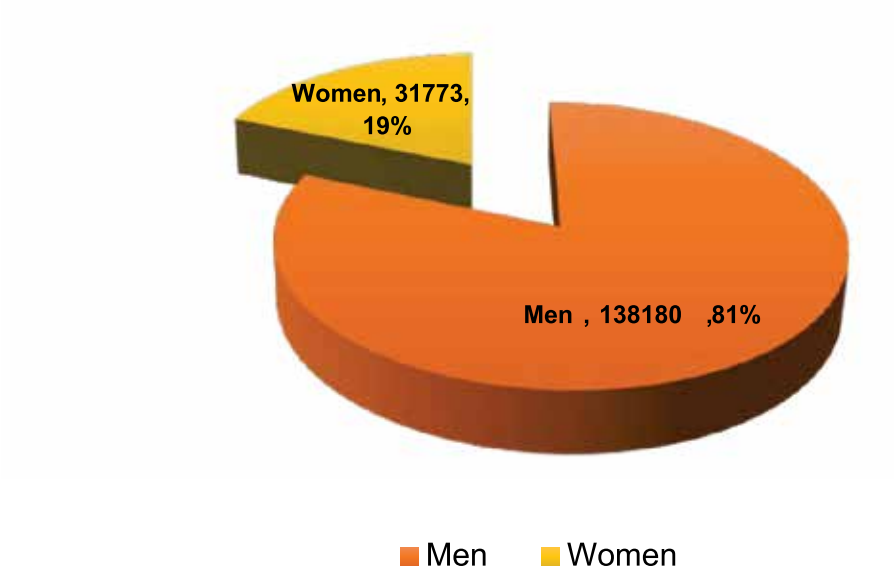

(च) मानव संसाधन विकास

मानव संसाधन प्रबंधन

1. विभाग में अच्छी तरह स्थापित प्रशिक्षण अवसंरचना है। निम्नलिखित प्रशिक्षण संस्थान विभाग की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं:

i. गाजियाबाद में रफी अहमद किदवई राष्ट्रीय डाक अकादमी (आरएकेएनपीए) विभाग का शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान है जिसे उच्चतर प्रबंधकीय संवर्गों के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। यह भारतीय डाक सेवा के समूह 'क' के अधिकारियों और डाक विभाग के समूह 'ख' के अधिकारियों को प्रवेश एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसके अलावा अकादमी द्वारा विदेशी डाक प्रशासनों के प्रबंधकों और केन्द्र सरकार के अन्य विभागों एवं पीएसयू के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाता है।

ii. डाक प्रशिक्षण केन्द्र (पीटीसी): 6 डाक प्रशिक्षण केन्द्र हैं जो दरभंगा, गुवाहाटी, मदुरै, मैसूर, सहारनपुर और वडोदरा में स्थित हैं जो निरीक्षण और प्रचालन संवर्ग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए हैं। इन प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षणार्थियों के लिए कंप्यूटर लैब, क्लासरूम और हॉस्टल की सुविधाएं जैसी आवश्यक आधारभूत सुविधाएं हैं।

iii. क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र (आरटीसी) रू चार क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र हैं जो भुवनेश्वर (ओडिशा), दिल्ली, नासिक (महाराष्ट्र) और हुब्बल्ली (कर्नाटक) में स्थित हैं जो डाक संचालन स्टाफ को प्रशिक्षण देने के लिए स्थापित किए गए हैं।

iv. इसके अलावा, प्रशिक्षणार्थियों को उनके कार्यस्थल से कम से कम दूर भेजने के साथ प्रशिक्षण प्रदान करने का सुनिश्चय करने के लिए फील्ड में स्थित 476 कार्यस्थल प्रशिक्षण केन्द्र (डब्ल्यूटीसी) हैं। कार्यस्थल प्रशिक्षण केन्द्र (डब्ल्यूटीसी) के माध्यम से अन्य प्रशिक्षण भी दिया जाता है जिसमें बहुकार्य स्टाफ (एमटीएस), ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) और डाक सहायक/छंटाई सहायक को कैरियर मध्य/सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है।

2. प्रशिक्षण की गतिविधियां

2.1 राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति 2012 के अनुसरण में और शिक्षण सामग्री एवं पाठ्यक्रमों का विशाल संसाधन उपलब्ध कराने के लिए डाक शिक्षा नामक एक ई–लर्निंग पोर्टल विकसित किया गया है। यह क्लाउड आधारित ई–लर्निंग सिस्टम है जो विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करता है।

2.2 विभाग ने डीओपीटी के परामर्श से आईजीओटी मिशन कर्मयोगी लागू किया है जो राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम (एनपीसीएससीबी) है।

2.3 संचालित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण:

क्र. सं.	गतिविधि	प्रशिक्षित किए गए अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या
1	समूह क और ख के अधिकारियों के लिए प्रबंधन कार्यक्रम	921
2	निरीक्षक एवं सहायक अधीक्षण (डाक) के लिए विकास कार्यक्रम	2437
3	संचालक/पर्यवेक्षी स्टाफ के लिए विकास कार्यक्रम	35691
4	मेल ओवरसीयर्स/पोस्टमैन/एमटीएस के लिए विकास कार्यक्रम	4303
5	ग्रामीण डाक सेवक के लिए विकास कार्यक्रम	38567
6	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण और विशिष्ट प्रशिक्षण	295
	कुल	**82214**

आरएकेएनपीए में कार्यक्रम

अवधि (01.04.2021 से 30.11.2021) के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां की गईं:

1. अकादमी में दिनांक 21.12.2020 को वर्ष 2020 बैच के भारतीय डाक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों का पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू किया गया।

2. पेशेवर क्षमता निर्माण के लिए केन्याई डाक अधिकारियों के लिए ई–आईटीईसी पाठ्यक्रम(अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम):

विदेश मंत्रालय के समन्वय से, अकादमी ने केन्याई डाक अधिकारियों के लिए दिनांक 26.03.2021 से 26.04.2021 तक पेशेवर क्षमता निर्माण के लिए सफलतापूर्वक ऑनलाइन ई–आईटीईसी पाठ्यक्रम आयोजित किया है। केन्या डाक सेवा के कुल 20 अधिकारियों ने पाठ्यक्रम पूरा किया।

3. बैंकिंग और बीमा मॉड्यूल पर परिवीक्षाधीन आईपी और टीएएफएस अधिकारियों के लिए एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम:

अकादमी में दिनांक 05.04.2021 से 09.04.2021 तक परिवीक्षाधीन आईपी और टीएएफएस अधिकारियों के लिए बैंकिंग और बीमा मॉड्यूल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

4. दिनांक 17.05.2021 से 28.05.2021 तक उन्नत विकास कार्यक्रम:

आईआईएम लखनऊ द्वारा दिनांक 17.05.2021 से 28.05.2021 तक भारतीय डाक सेवा में 24 वर्षों से अधिक की सेवा वाले अठारह अधिकारियों के लिए उन्नत विकास कार्यक्रम ऑनलाइन रूप से आयोजित किया गया था। डाक सेवा बोर्ड के सदस्य अर्थात् सदस्य (प्रचालन), सदस्य (बैंकिंग और डीबीटी), सदस्य (तकनीकी), सदस्य (कार्मिक), अतिरिक्त महानिदेशक (समन्वय) और अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार ने भी सत्र के दौरान प्रतिभागियों को संबोधित किया।

सचिव डाक और सदस्य (एचआरडी और योजना) ने समापन सत्र के दौरान संबोधन दिया।

5. दिनांक 07.06.2021 से 18.06.2021 तक प्रबंधन विकास कार्यक्रम:

आईआईएम इंदौर द्वारा ऑनलाइन सत्र के माध्यम से 14 वर्ष से अधिक की सेवा वाले बीस अधिकारियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

सचिव (डाक) और सदस्य (मानव संसाधन विकास एवं योजना) ने समापन सत्र के दौरान संबोधित किया।

दिनांक 07.06.2021 से 18.06.2021 तक प्रबंधन विकास कार्यक्रम

6. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 2021:

डाक निदेशालय द्वारा दिनांक 20.06.2021 को आयोजित योग प्रशिक्षण सत्र में सभी संकाय सदस्यों, कर्मचारियों, समूह ख प्रवेशन प्रशिक्षण के प्रतिभागियों तथा वर्ष 2019 और 2020 बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने भाग लिया।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 के अवसर पर, सभी आरएकेएनपीए कर्मचारियों, उनके परिवार के सदस्यों, संकाय सदस्यों तथा वर्ष 2019 और 2020 बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने अपने घर से ही अग्रणी राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लिया। इसके अतिरिक्त, अकादमी ने पीएसएस समूह ख प्रतिभागियों, परिवीक्षाधीन अधिकारियों और संकाय सदस्यों के लिए एक वर्चुअल योग प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किया।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस – 2021 का आयोजन

7. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के "स्मृति विज्ञान" से प्रभावित होकर राजभाषा विभाग ने राजभाषा हिन्दी के सफल कार्यान्वयन के लिए 12 "प्र" की रूपरेखा और रणनीति तैयार की है। अकादमी राजभाषा हिन्दी के सफल कार्यान्वयन के लिए इन सभी "प्र" को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए प्रयासरत है। अकादमी द्वारा दिनांक 15. 06.2021 को सभी संकाय सदस्य एवं स्टाफ के लिए राजभाषा हिन्दी पर ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन भी किया गया।

हिन्दी (राजभाषा) के प्रचार– प्रसार के लिए अकादमी में नियमित तौर से राजभाषा पर ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही अकादमी के अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम जैसे परिवीक्षाधीन अधिकारियों के मॉड्यूल में, ग्रुप बी अधिकारियों के लिए आयोजित इंडक्शन ट्रेनिंग में

और डेवलोपमेंट प्रोग्राम में राजभाषा पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

अकादमी में अप्रैल से नवम्बर 2021 माह तक कुल 3 ऑनलाइन माध्यम से राजभाषा पर कार्यशाला का आयोजन किया जा चुका है।

राजभाषा पर दो दिवसीय कार्यशाला दिनांक 01.07.2021 से 02.07.2021

8. सांख्यिकी दिवस:

स्वर्गीय प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महलनोबिस की जयंती को यादगार बनाने के लिए सांख्यिकी दिवस मनाया गया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा दिनांक 29.06.2021 को आयोजित इस वर्चुअल कार्यक्रम में अकादमी ने भाग लिया।

9. आपदा प्रबंधन कार्यक्रम:

अकादमी ने आपदा प्रबंधन पर विभिन्न पाठ्यक्रमों के आयोजन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के साथ समन्वय किया है। अकादमी ने दिनांक 28.06.2021 से 30.06.2021 तक एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम आयोजित किया है। उनके परिचय

प्रशिक्षण के दौरान समूह ख प्रतिभागियों के लिए एक ऑनसाइट कार्यशाला भी आयोजित की गई थी। उन्हें गाजियाबाद में एनडीआरएफ बटालियन का दौरा करने और विभिन्न प्रदर्शनों को देखने का अवसर भी दिया गया।

भारतीय डाक सेवाओं के पाठ्यक्रम में भी आपदा प्रबंधन कार्यक्रम को शामिल किया गया है।

10. 2019 बैच के भारतीय डाक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए पेशेवर पाठ्यक्रम।

2019 बैच के भारतीय डाक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने दिनांक 26.07.2021 से 30.07.2021 तक आईआईएम इंदौर द्वारा "नेतृत्व विकास कार्यक्रम" पर एक सप्ताह के ऑनलाइन प्रशिक्षण में भाग लिया।

2019 बैच के लिए विदाई समारोह दिनांक 31.07.2021 को आयोजित किया गया था। सचिव (डाक) और सदस्य (योजना और मानव संसाधन विकास) ने अपनी उपस्थिति से समारोह की शोभा बढ़ाई। इस अवसर पर, भारतीय डाक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों (2019 बैच) द्वारा निर्मित एक स्मृति चिह्न "जज्बात" का प्रकाशन किया गया।

सचिव, डाक और सदस्य (एचआरडी और योजना) द्वारा भारतीय डाक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों (2019 बैच) द्वारा निर्मित स्मृति चिह्न "जज्बात" का प्रकाशन

11. अकादमी द्वारा 75वें "स्वतंत्रता दिवस" के अवसर पर "आजादी का अमृत महोत्सव" के लिए ऑनलाइन अभियान मनाया गया। यह भारत के राष्ट्रगान की प्रस्तुति से संबंधित प्रमुख कार्यक्रमों में से एक थी। अकादमी के संकाय और कर्मचारियों ने राष्ट्रगान गाया और सभी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र सृजन के लिए इसे https://rashtraqaan.in/ पर अपलोड किया।

12. दिनांक 14.09.2021 से 27.09.2021 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस पखवाड़ा में विभिन्न प्रतियोगिताएं करवाई गईं और विजेता प्रतियोगियों को पुरस्कार वितरित किए गए। दिनांक 20.09.2021 को राकनपा के सभी कर्मचारियों के लिए हिंदी पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। राकनपा द्वारा सभी पाठ्यक्रमों में राजभाषा पर एक सत्र आयोजित किया जा रहा है।

13. अकादमी ने दिनांक 24.09.2021 को "आजादी का अमृत महोत्सव" के उपलक्ष्य में "फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0" का आयोजन किया। इस 3 किलोमीटर की दौड़ में सभी संकाय सदस्यों, 2020 बैच के भारतीय डाक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों, पीएसएस समूह ख के प्रतिभागियों और अकादमी के कर्मचारियों सहित कुल 60 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसके लिए सभी प्रतिभागियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से साथ ही अकादमी के लिए भी ई–प्रमाण पत्र तैयार किए गए थे। इस अवसर पर अकादमी के विभिन्न स्थानों पर बैनर लगाए गए।

14. डाक सेवा के समूह क और ख के अधिकारियों के लिए दिनांक 04.10.2021 से 14.10.2021 तक विकास कार्यक्रम:

विकास कार्यक्रम का पहला बैच दिनांक 04.10.2021 से 14.10.2021 तक ऑनलाइन आयोजित किया गया था।

15. सतर्कता जागरूकता सप्ताह:

अकादमी ने दिनांक 26.10.2021 से 01.11.2021 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया। वर्तमान वर्ष के लिए विषय "पीआईडीपीआई (सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और सूचना प्रदाता की सुरक्षा) के तहत शिकायतों के बारे में जागरूकता और अभियान का प्रसार" था। इसका उद्देश्य नागरिकों को भ्रष्टाचार के विरूद्ध आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित करना था।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के संबंध में अकादमी के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिनांक 26.10.2021 को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई। इसी तरह की शपथ ऑनलाइन (ई–अखंडता प्रतिज्ञा) भी ली गई थी और ई–प्रमाण पत्र तैयार किए गए थे।

दिनांक 11.10.2021 से 13.10.2021 तक सतर्कता जागरूकता पर विभिन्न सर्कलों के अधिकारियों के लिए तीन दिवसीय कार्यशाला भी आयोजित की गई। सीबीआई, सीवीसी, सीईपीटी के वरिष्ठ अधिकारियों और विभाग के सीवीओ ने विभिन्न सत्रों को संबोधित किया। ये कार्यक्रम ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रकार के में आयोजित किए गए थे।

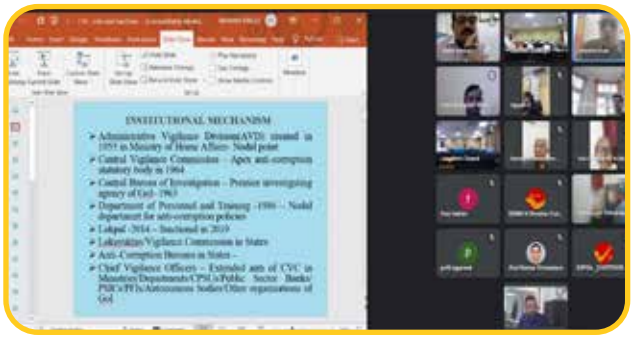

16. राष्ट्रीय एकता दिवस:

स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर अकादमी ने दिनांक 31.10.2021 को "राष्ट्रीय एकता दिवस" की शपथ दिलाई।

17. विशेष स्वच्छता अभियान:

अकादमी में दिनांक 02.10.2021 से 31.10.2021 तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में संकाय सदस्यों, कर्मचारियों, परिवीक्षाधीन अधिकारियों और समूह ख के प्रतिभागियों ने भाग लिया।

अकादमिक भवन में लगा आजादी का अमृत महोत्सव का बैनर

18. आरएकेएनपीए और आईआईपीए के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू):

दिनांक 09.11.2021 को महानिदेशक (आईआईपीए) और निदेशक (आरएकेएनपीए) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

19. प्रशिक्षकों के लिए कौशल उन्नयन कार्यक्रम (08.11.2021 से 12.11.2021)

विभिन्न सर्कलों के आईपीओएस (जेटीएस तथा एसटीएस) और पीएसएस समूह ख स्तर के अधिकारियों के लिए साप्ताहिक कौशल उन्नयन कार्यक्रम 08.11.2021 से 12.11.2021 तक आयोजित किया गया।

(छ) कर्मचारी कल्याण

1.1 डाक सेवा कर्मचारी कल्याण बोर्ड का गठन केन्द्रीय स्तर पर किया गया है, जिसका उद्देश्य है, विभाग के कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित सभी गतिविधियों का आयोजन करना। इन गतिविधियों में खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियां शामिल हैं। संचार मंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं। सर्कल के स्तर पर सर्कल कल्याण बोर्ड बनाए गए हैं। सर्कल मोटे तौर पर भारत के राज्यों के समतुल्य होते हैं।

1.2 इन कल्याणकारी गतिविधियों के लिए बोर्ड, भारत की समेकित निधि से अनुदान प्राप्त करता है। विभाग के कल्याणकारी उपायों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत सर्कलों को फंड आवंटित किया जाता है। कल्याण कोष के तहत सभी विभागीय कर्मचारी और ग्रामीण डाक सेवक शामिल हैं।

1.3 विभागीय कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी उपायों के लिए निम्नलिखित योजनाओं के तहत सहायता प्रदान की जाती है :

1.3.1 मृत्यु के मामले में वित्तीय सहायता

(i) डाक कर्मचारी की मृत्यु के मामले में वित्तीय सहायता।

(ii) आतंकवादी गतिविधि/डकैती/लूट आदि के कारण ड्यूटी के दौरान डाक कर्मचारी की मृत्यु के मामले में वित्तीय सहायता।

(iii) दुर्घटना के कारण ड्यूटी के दौरान डाक कर्मचारी की मृत्यु के मामले में वित्तीय सहायता।

(iv) ड्यूटी पर न होने के दौरान आतंकवादी गतिविधि/डकैती/लूट के कारण डाक कर्मचारी की मृत्यु के मामले में वित्तीय सहायता।

1.3.2 बीमारी/अपंगता के कारण कर्मचारी को वित्तीय सहायता:

(i) लंबी एवं गंभीर बीमारी/बड़ी सर्जरी के मामलों में विभागीय कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता।

(ii) टीबी से पीड़ित नियमित कर्मचारियों को तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिए भी वित्तीय सहायता।

(iii) लंबी बीमारी के कारण असाधारण छुट्टी तथा अर्धवेतन छुट्टी के दौरान वित्तीय सहायता।

(iv) अस्थि दिव्यांग कर्मचारियों के लिए यंत्रीकृत/मोटराइज्ड ट्राइसाइकल की खरीद के लिए वित्तीय सहायता।

1.3.3 शिक्षा के प्रयोजनार्थ कर्मचारियों के प्रतिपालयों के लिए वित्तीय सहायता

(i) डाक कर्मचारियों के बच्चों के लिए शैक्षणिक सहायता अनुदान

(ii) कक्षा 12 में न्यूनतम सकल 60 प्रतिशत अंक के साथ किसी क्षेत्र में ग्रेजुएशन करने वाली बालिका के लिए गैर तकनीकी डिग्री में डाक कर्मचारियों के प्रतिपाल्यों के लिए 2018–19 से 250 रुपए प्रतिमाह की दर से वित्तीय सहायता शुरू की गई है।

(iii) 10वीं और 12वीं की कक्षा में उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि के लिए प्रोत्साहन।

छात्रवृत्ति अनुदान

(i) डाक कर्मचारियों के ऐसे बच्चों के लिए छात्रवृत्ति जो यूपीएससी की परीक्षा में बैठते हैं।

(ii) विभागीय परीक्षा और उच्च शिक्षा के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए छात्रवृत्ति।

(iii) डाक कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति अनुदान और परिवहन प्रभार।

1.3.4 मनोरंजन की गतिविधियों के लिए कर्मचारियों को वित्तीय सहायता

(i) देशाटन के लिए परिवहन प्रभारों पर सब्सिडी।

(ii) हॉलीडे होम्स पर व्यय।

(iii) मनोरंजन क्लबों को सहायता अनुदान।

1.3.5 अन्य विविध अनुदान

(i) केन्द्रीय डाक महिला संगठन (सीपीएलओ) और सर्कलों में इसके अधीनस्थ संगठनों को सहायता अनुदान।

(ii) क्रेच की स्थापना और संचालन के लिए सहायता अनुदान।

(iii) सिलाई केन्द्र की स्थापना एवं संचालन के लिए अनुदान।

(iv) रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के लिए अनुदान।

(v) प्राकृतिक आपदाओं के मामले में वित्तीय सहायता।

1.4 फील्ड सेवा (डाक) परोपकारी कोष : डाक विभाग फील्ड सेवा (डाक) परोपकारी कोष का संचालन करता है जिसे केवल ऐसे कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी उपाय के रूप में शुरू किया गया है जो सेना डाक सेवा (एपीएस) में प्रतिनियुक्ति पर हैं। प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान वे सामान्य मृत्यु, दुश्मन की कार्रवाई के कारण या इनसर्जेंसी ऑपरेशन में मृत्यु के मामले में अनेक रियायतों तथा मृतक एपीएस कार्मिक के स्कूल और कॉलेज जाने वाले सभी बच्चों के लिए एकमुश्त अनुदान के हकदार होते हैं।

1.5 ग्रामीण डाक सेवकों के लिए कल्याणकारी उपाय

1.5.1 ग्रामीण डाक सेवकों के लिए सर्कल कल्याण निधि योजना रू डाक विभाग ने 1 अक्टूबर 2013 से ग्रामीण डाक सेवकों के लिए सर्कल कल्याण निधि योजना शुरू की है।

इस योजना के तहत ऐसे सभी ग्रामीण डाक सेवक शामिल हैं जो ग्रामीण डाक नेटवर्क संभालते हैं।

1.5.2 ग्रामीण डाक सेवकों के लिए सर्कल कल्याण निधि के तीन मुख्य घटक हैं जो इस प्रकार हैं:

(i) विभिन्न श्रेणियों के तहत वित्तीय अनुदान।

(ii) कम ब्याज पर ऋण के रूप में वित्तीय सहायता।

(iii) सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतानः यह राशि ऐसे ग्रामीण डाक सेवकों को प्रदान की जाती है जिन्होंने उपर्युक्त योजनाओं के तहत कोई सहायता न ली हो।

1.5.3 इस योजना के तहत निम्नलिखित शीर्षों मदों के तहत वित्तीय अनुदान दिया जाता है:

(1) इस बात पर ध्यान दिए बगैर कि मृत्यु ड्यूटी के दौरान हुई है या ड्यूटी के समय के बाद हुई है, मृत्यु के बाद तात्कालिक व्यय को पूरा करने के लिए मृतक डाक सेवकों के परिवारों को वित्तीय सहायता।

(2) ड्यूटी पर होने के दौरान आतंकवादी गतिविधि /डकैती के कारण मृत्यु।

(3) ड्यूटी पर न होने के दौरान दंगा–फसाद, डकैतों और आतंकियों द्वारा हमले के कारण ग्रामीण डाक सेवकों की मृत्यु के मामले में वित्तीय सहायता।

(4) ड्यूटी पर होने के दौरान दुर्घटना के कारण ग्रामीण डाक सेवकों की मृत्यु के मामले में वित्तीय सहायता।

(5) ग्रामीण डाक सेवकों की मृत्यु पर दाह संस्कार व्यय (यह ऐसे मामलों में देय है जब मृतक ग्रामीण डाक सेवक के अंतिम संस्कार भाइयों या बहनों या किसी अन्य निकट संबंधी के अभाव में करीबी रिश्तेदारों द्वारा किए जाते हैं)।

(6) कैंसर, ब्रेन हैमरेज, किडनी फेल्योर/ट्रांसप्लांट, हार्ट सर्जरी आदि जैसी रुग्णताओं में बड़े सर्जिकल ऑपरेशन के मामले में वित्तीय सहायता।

(7) ड्यूटी पर होने के दौरान ग्रामीण डाक सेवकों की दुर्घटना के ऐसे मामलों में वित्तीय सहायता

जहां तीन दिन से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है।

(8) टीबी से पीड़ित ग्रामीण डाक सेवकों को पौष्टिक आहार के लिए वित्तीय सहायता।

(9) ग्रामीण डाक सेवकों के बच्चों के लिए शिक्षा योजना के तहत छात्रवृत्ति अनुदान (मौजूदा शर्तों एवं नियमों के अनुसार)।

(9.1) ग्रामीण डाक सेवकों के बच्चों के लिए तकनीकी पाठ्यक्रमों में पीजी के लिए शैक्षणिक योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति अनुदान।

(10) 10वीं और 12वीं की कक्षाओं में उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि के लिए प्रोत्साहन।

(11) ग्रामीण डाक सेवकों के शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति।

(12) आग, बाढ़ आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के मामले में वित्तीय सहायता।

1.5.4 उपर्युक्त वित्तीय सहायता के अलावा निम्नलिखित के लिए निर्दिष्ट सीलिंग के अंदर कम ब्याज दर पर प्रतिदेय ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है :

(i) शाखा डाकघर के संचालन के लिए फ्लश शौचालय की सुविधा के साथ एक कमरे का निर्माण।

(ii) ग्रामीण डाक सेवकों में कंप्यूटर साक्षरता को प्रोत्साहित करने के लिए कंप्यूटर/लैपटॉप की खरीद।

(iii) मोपेड/स्कूटर/मोटर साइकिल की खरीद जिससे बीओ बैग का आदान प्रदान, लेखा कार्यालय का विजिट आदि जैसे कर्तव्यों के निर्वहन में यात्रा करने में भी सहायता मिलेगी।

मध्य प्रदेश सर्कल द्वारा दिनांक 11.4.2021 और 07.07.2021 को क्रमशः शिविरों का आयोजन करके अपने डाक कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों का 100% कोविड टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त किया गया।

1.6 दिव्यांग कर्मचारियों तथा कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों के लिए कल्याणकारी उपाय और सुविधाएं

1.6.1 कर्मचारियों के लिए वित्तीय सहायता : अस्थि दिव्यांग कर्मचारी कल्याण निधि से निम्नलिखित वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं:

(क) 2000 रुपए की सीमा के अधीन यंत्रीकृत ट्राइसाइकिल की खरीद पर खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति।

(ख) सर्कल कल्याण कोष से मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल के लिए 15000 रुपए या लागत के 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, का दावा। इसके अलावा, यदि ये कर्मचारी स्कूटर एडवांस के लिए आवेदन करते हैं तो उनके मामलों पर प्राथमिकता के आधार पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है।

(ग) कृत्रिम अंगों के प्रावधान के लिए कल्याण कोष से कृत्रिम अंग केन्द्र पर आने और जाने के लिए ड्यूटी के स्थान से वास्तविक सेकंड क्लास रेल भाड़े की भी प्रतिपूर्ति की जा सकती है क्योंकि किसी अन्य स्रोत से इस तरह की प्रतिपूर्ति अनुमत **नहीं है।**

1.6.2 बच्चों के लिए छात्रवृत्ति:

नियमित छात्रों के लिए उपलब्ध छात्रवृत्ति अनुदान के अलावा डाक विभाग की छात्रवृत्ति तथा अन्य शैक्षिक योजनाओं के तहत उपलब्ध निधियों में से 3 प्रतिशत छात्रवृत्ति डाक कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों के लिए निर्धारित है। इस योजना के तहत चिह्नित डाक कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चे (आर्थोपेडिक, विजुअल, हियरिंग, स्पीच और मेंटल सहित) वार्षिक छात्रवृत्ति पाने के लिए पात्र हैं।

1.6.3 बच्चों के लिए परिवहन प्रभार:

डाक कर्मचारियों के पहली से बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाले दिव्यांग बच्चों के लिए परिवहन प्रभार और हास्टल/मेस सब्सिडी (परिवहन प्रभार के बदले में) 'क' श्रेणी के शहरों में 300 रुपए प्रतिमाह की दर से और अन्य शहरों में 250 रुपए प्रतिमाह की दर से अनुमत है।

डाक विभाग द्वारा ये कल्याणकारी उपाय भारत सरकार द्वारा पहले से उपलब्ध कराए गए उपायों के अलावा उपलब्ध कराए गए हैं।

पैरा 1.7 विभागीय कर्मचारी कल्याण योजना के तहत संवितरित राशि

क्र. सं.	योजना का नाम	लाभ प्राप्त करने वाले कुल विभागीय कर्मचारी (23 सर्कलों का योग)	प्रदान की गई कुल वित्तीय सहायता (23 सर्क लों का योग) (रुपए में)
1	तत्काल मृत्यु राहत	606	6117000
2	ड्यूटी पर होने के दौरान दुर्घटना के कारण मृत्यु	शून्य	शून्य
3	ड्यूटी पर होने के दौरान डकैतों, आतंकियों द्वारा हमला, दंगा–फसाद आदि के कारण मृत्यु	शून्य	शून्य
4	ड्यूटी पर न होने के दौरान डकैतों, आतंकियों द्वारा हमला, दंगा–फसाद आदि के कारण मृत्यु	शून्य	शून्य

क्र. सं.	योजना का नाम	लाभ प्राप्त करने वाले कुल विभागीय कर्मचारी (23 सर्कलों का योग)	प्रदान की गई कुल वित्तीय सहायता (23 सर्क लों का योग) (रुपए में)
5	कैंसर, ब्रेन हैमरेज, किडनी फेल्योर/ट्रांसप्लांट, हार्ट सर्जरी जैसे असाध्य रोगों में बड़े ऑपरेशन के लिए वित्तीय सहायता	11	200000
6	टीबी से पीड़ित नियमित कर्मचारियों को तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिए भी वित्तीय सहायता	शून्य	शून्य
7	लंबी बीमारी के कारण असाधारण छुट्टी तथा अर्धवेतन छुट्टी के दौरान वित्तीय सहायता	शून्य	शून्य
8	अस्थि दिव्यांग कर्मचारियों के लिए यंत्रीकृत/मोटराइज्ड ट्राइसाइकल की खरीद के लिए वित्तीय सहायता	1	15000
9	10वीं, 12वीं कक्षा में प्रोत्साहन (प्रत्येक संकाय– विज्ञान, मानविकी, वाणिज्य)	25	124235
10	छात्रवृत्ति आईआईटी, एम्स और आईआईएम तकनीकी शिक्षा (i) डिग्री (ii) डिप्लोमा गैर तकनीकी डिग्री फाइन आर्ट्स में बीए/बीएससी/बीकॉम डिग्री आईटीआई सर्टिफिकेट कोर्स	229	1872180
11	विभागीय परीक्षा के लिए उच्च शिक्षा और विभागीय परीक्षा के लिए भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए छात्रवृत्ति (एकमुश्त अनुदान) आईपीओ/आईआरएम/निरीक्षक (एमएमएस)/जेएओ डाक लेखा में कनिष्ठ लेखाकार/छंटाई सहायक उच्च शिक्षा कक्षा 10 से 12 डिग्री/डिप्लोमा/पीजी डिग्री	3	4500
12	दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति एवं परिवहन प्रभार	शून्य	शून्य
13	कर्मचारियों के ऐसे बच्चों के लिए छात्रवृत्ति जो यूपीएससी की परीक्षा में बैठते हैं	शून्य	शून्य
14	प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों के लिए वित्तीय सहायता	शून्य	शून्य
15	डाक कालोनियों में सिलाई केन्द्रों के लिए वित्तीय सहायता	शून्य	शून्य
16.	**कुल**	**875**	**8341915**

पैरा 1.8 ग्रामीण डाक सेवक कल्याण योजनाओं के तहत संवितरित राशि

क्रम सं.	योजना का नाम	लाभार्थी ग्रामीण डाक सेवकों की कुल संख्या	प्रदान की गई कुल वित्तीय सहायता
क.	**वित्तीय अनुदान**		
1.	मृत्यु के उपरांत तात्कालिक खर्चों को पूरा करने के लिए मृतक जीडीएस के परिवारों को वित्तीय सहायता चाहे मृत्यु ड्यूटी के दौरान हुई हो/ड्यूटी पर न होने के दौरान हुई हो।	1219	12132000
2.	ड्यूटी के दौरान आतंकवादी घटना/डकैती के कारण मृत्यु	शून्य	शून्य
3.	ड्यूटी पर न होने के दौरान दंगों, डकैतों और आतंकवादियों के हमले के कारण ग्रामीण डाक सेवकों की मृत्यु के मामले में वित्तीय सहायता।	शून्य	शून्य
4.	ड्यूटी के दौरान दुर्घटना के कारण ग्रामीण डाक सेवकों की मृत्यु के मामले में वित्तीय सहायता	शून्य	शून्य
5.	ग्रामीण डाक सेवकों की मृत्यु पर अंतिम संस्कार संबंधी व्यय (उन मामलों में देय, जहां मृतक ग्रामीण डाक सेवकों का अंतिम संस्कार भाइयों या बहनों या निकट संबंधी किसी अन्य परिजन की अनुपस्थिति में किया जाता है)	17	3,00,173
6.	कैंसर, मस्तिष्क रक्तस्राव, गुर्दे की खराबी/प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा जैसी बीमारियों में मुख्य सर्जिकल ऑपरेशनों के मामले में वित्तीय सहायता।	134	21,47,947
7.	ड्यूटी के दौरान जीडीएस की दुर्घटना के मामले में तीन दिन से अधिक अस्तपताल में रहने पर वित्तीय सहायता	1 1	1,15,000
8.	क्षयरोग से पीड़ित ग्रामीण डाक सेवकों को पौष्टिक आहार के लिए वित्तीय सहायता (छः महीनों के अधिकतम काल में केवल एक बार देय, जो छः वर्ष से अधिक समय से कार्यरत व उस जीडीएस को जो कि छः साहल से अधिक सेवा में है व जिसने सरकारी चिकित्सालय से उपचार करवाया हो।	शून्य	शून्य
9.	ग्रामीण डाक सेवकों के बच्चों को शैक्षिक योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति प्रदान करना (मौजूदा नियम और शर्तों के अनुसार)।	15	41,180
	आईआईटी, एम्स और आईआईएम		
	तकनीकी शिक्षा		

क्रम सं.	योजना का नाम	लाभार्थी ग्रामीण डाक सेवकों की कुल संख्या	प्रदान की गई कुल वित्तीय सहायता
	(i) डिग्री		
	(ii) डिप्लोमा		
	गैर–तकनीकी डिग्री		
	ललित कला में बीए/बीएससी/बी.कॉम/डिग्री		
	आईटीआई प्रमाणन पाठ्यक्रम		
10	10वीं और 12वीं कक्षा के लिए उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि के लिए प्रोत्साहन।	25	22100
1 1	ग्रामीण डाक सेवकों के दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति (अधिकतम 8 वर्षों के लिए और मौजूदा नियमों और शर्तों के अनुसार)	शून्य	शून्य
12	प्राकृतिक आपदाओं जैसे अग्नि, बाढ़ आदि के मामलों में वित्तीय सहायता।	3	15000
13	कोविड 19 के मामलों में वित्तीय सहायता	87	21,60,041
14	**कुल**	**1511**	**16933441**
ख	**प्रतिसंदेय ऋण**		
(i)	शाखा डाकघर के आवास हेतु फ्लश शौचालय की सुविधा के साथ एक कमरे के निर्माण हेतु।	3	150000
(ii)	ग्रामीण डाक सेवकों में कम्प्यूटर साक्षरता को प्रोत्साहित करने हेतु कम्प्यूटर/लैपटॉप की खरीद हेतु।	21	420000
(iii)	मोपेड/स्कूटर/मोटर साइकिल की खरीद के लिए, जो शाखा डाकघर के थैलों की अदला–बदली, लेखा कार्यालय का दौरा आदि जैसे कर्तव्य का निर्वहन करते समय यात्रा की सुविधा प्रदान करेगा।	21	420000
	कुल	**45**	**990000**
ग.	**सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त भुगतान**		
(i)	पैरा 16.1 के अनुसार भुगतान (1000/– रूपये से 11000/– रूपये तक की भिन्न–भिन्न राशि) **लाभार्थी ग्रामीण डाक सेवकों की संख्या**	**1166**	**1244500**
	कुल योग	**2722**	**19,167,941**

(ज) महिला सशक्तिकरण

महाराष्ट्र सर्कल की एक महिला डाक कर्मचारी, श्रद्धा पेडनेकर, जोगेश्वरी पूर्व, पश्चिमोत्तर डिवीजन में डाक वस्तुओं का संवितरण करती हुई

सुकन्या समृद्धि खाते की लाभार्थी एक बालिका

1. महिला और बाल बजट संबंधी मुद्दे

भारत सरकार राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर अपनी विभिन्न प्रतिबद्धताओं के जरिए महिला सशक्तीकरण और लैंगिक समानता के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। नोडल मंत्रालय के रूप में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं के सरोकारों पर विशेष ध्यान देने के लिए महिला बजटिंग को एक सशक्त माध्यम के रूप में अपनाया है ताकि विकास का लाभ महिलाओं और पुरुषों तक समान रूप से पहुंच सके। महिलाओं से संबंधित बजट का उद्देश्य लैंगिक परिप्रेक्ष्य से महिलाओं की चिन्ताओं से कारगर ढंग से निपटने तथा इनसे संबंधित योजनाओं तथा नीतियों की निगरानी करना है। इसी प्रकार बच्चों से संबंधित बजट का उद्देश्य उनकी जरूरतों के अनुसार बजट सुनिश्चित करना है। चूंकि बच्चों की आवाज को लगातार अनसुना किया जाता रहा है, इसलिए उनकी जरूरतों के लिए प्राथमिकताएं तय करना और तद्नुसार बजट का निर्धारण करना खास महत्व रखता है। दिनांक 24 दिसंबर, 2004 के आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, के डी.ओ.एफ.सं. 1(29)–बी(एसी)/2004 के अनुदेशों के अनुसार प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा एक जेंडर बजट सेल (जीबीसी) की स्थापना की जानी है, जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के दिनांक 23 अगस्त, 2018 के पत्र संख्या जीबी–15/4/2018–जेंडर बजटिंग में निहित दिशानिर्देशों के अनुसार महिला और बाल बजट प्रकोष्ठ के रूप में पुनर्गठित किया गया है।

महिलाओं से संबंधित चिंताओं के लिए विभाग ने बजट अनुमान 2021–22 में 0.15 करोड़ का प्रावधान किया है। विभाग ने "स्वच्छ भारत" मिशन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सर्कलों में कार्यालयों/

डाकघरों में शिशुसदन (क्रेच)/टिफिन रूम खोलने और शौचालय की सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई है।

महिला कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी उपाय–

1. डाक विभाग ने विशेष रूप से अपनी महिला कर्मचारियों के लाभार्थ कल्याणकारी उपाय भी शुरू किए हैं। निम्नलिखित महिला विशिष्ट कार्यक्रम लागू किए गए हैं:

(i) शिशुसदन (क्रेच) शुरू करने के लिए केंद्रीय डाक महिला संगठन (सीपीएलओ) और सर्कलों में उसके अधीनस्थ संगठन को 60,000 रुपये की दर से सहायता अनुदान स्वीकार्य है। शिशुसदन (क्रेच) की स्थापना के बाद प्रत्येक 3 वर्ष के अंत में 20,000 की दर से अनावर्ती वित्तीय सहायता स्वीकार्य है और सर्कल कल्याण कोष से प्रत्येक शिशुसदन (क्रेच) के लिए अधिकतम 38000 रुपये प्रति माह के अध्यधीन प्रति बच्चा प्रति माह 1500 रुपये की दर से आवर्ती अनुदान उपलब्ध कराया गया। आवर्ती अनुदान में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 10% की वृद्धि की जाती है और निकटतम दसमलव राशि तक राउंड ऑफ किया जाता है।

(ii) सिलाई केंद्रों को खोलने के लिए 5000 रुपये की दर से अनावर्ती अनुदान स्वीकार्य है और सिलाई केंद्रों के अंशकालिक सिलाई अनुदेशक के वेतन के रूप में 750 प्रति माह की दर से वित्तीय सहायता स्वीकार्य है।

3. यौन उत्पीड़न की रोकथाम और निवारण

कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न को रोकने और निवारण के लिए डाक निदेशालय में एसएजी स्तर के एक अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जिसमें तीन अन्य सदस्य भी शामिल हैं। दिनांक 31 मार्च, 2021 तक की स्थिति के अनुसार, यौन उत्पीड़न संबंधी मामलों के संबंध में वार्षिक विवरणी निम्नानुसार है:

30 जून, 2021 तक की स्थिति के अनुसार यौन उत्पीड़न संबंधी मामलों के संबंध में वार्षिक विवरणी

तालिका 25

क्र.सं.	विषय	मामलों की संख्या
1	वर्ष में प्राप्त यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों की संख्या	**69**
2	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	**43**
3	90 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या	**56**
4	वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न के विरूद्ध जागरूकता कार्यक्रमों के संबंध में आयोजित कार्यशालाओं की संख्या	**66**
5	कार्रवाई की प्रकृति	ऐसे मामलों में, जहां यौन उत्पीड़न का आरोप सिद्ध हो जाता है, की गई कार्रवाई की प्रकृति/दंड की प्रकृति महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 और अधिनियम के तहत बनाए गए नियम के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) द्वारा की गई सिफारिशों पर निर्भर करती है।

(झ) खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां

2.1 सचिव, डाक विभाग, भारत सरकार की अध्यक्षता में केंद्रीय स्तर पर एक डाक खेल बोर्ड है, जो विभाग की सभी खेल संबंधी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इससे निचले स्तर पर, 23 डाक सर्कलों में से प्रत्येक में सर्कल स्तरीय खेल बोर्ड भी होता है, जिसके अध्यक्ष संबंधित सीपीएमजी होते हैं।

2.2 डाक खेल बोर्ड का उद्देश्य विभाग में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना है। डाक खेल बोर्ड को केंद्रीय कल्याण कोष से बजटीय आबंटन प्राप्त होता है। वर्ष 2020–2021 के दौरान, कोविड–19 महामारी के प्रकोप के परिणामस्वरूप भारत में खेल टूर्नामेंटों के आयोजन में बाधा उत्पन्न हुई, तथापि, डाक विभाग महामारी की शुरुआत के बाद खेल कार्यक्रमों का आयोजन करने वाले अग्रणी सरकारी विभागों में से एक था। 4 अखिल भारतीय डाक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इन 4 खेल प्रतियोगिताओं के मुख्य विवरण निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	प्रतियोगिता	मेजबान सर्कल	अवधि	विजेता	उप–विजेता
1.	टेबल टेनिस	तेलंगाना	19 से 23 जनवरी, 2021	पश्चिम बंगाल (पुरुष टीम) पश्चिम बंगाल (महिला टीम)	असम (पुरुष टीम) गुजरात (महिला टीम)
2.	कैरम	उत्तर प्रदेश	9 से 13 फरवरी, 2021	तमिलनाडु (पुरुष टीम) महाराष्ट्र (महिला टीम)	असम (पुरुष टीम) तेलंगाना (महिला टीम)
3.	शतरंज	उड़ीसा	15 से 20 फरवरी, 2021	उड़ीसा	तमिलनाडु
4.	बैडमिंटन	हिमाचल प्रदेश	22 से 26 फरवरी, 2021	हरियाणा (पुरुष टीम) पश्चिम बंगाल (महिला टीम)	दिल्ली (पुरुष टीम) असम (महिला टीम)

2.3 चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, टेबल टेनिस और कुश्ती का अखिल भारतीय डाक टूर्नामेंट क्रमशः पश्चिम बंगाल और दिल्ली में आयोजित किया गया था, नीचे दी गई समय–सारणी के अनुसार 12 अखिल भारतीय डाक टूर्नामेंट आयोजित किए जाने हैं। उक्त टूर्नामेंट के दौरान, गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों और युवा मामले एवं खेल मंत्रालय की एसओपी का पालन किया जा रहा है:

क्रम सं.	प्रतियोगिता	सर्कल का नाम	संभावित अवधि
(i)	टेबल टेनिस	पश्चिम बंगाल	17 से 21 नवंबर, 2021
(ii)	कुश्ती	दिल्ली	22 से 25 नवंबर, 2021
(iii)	हॉकी	मध्य प्रदेश	अंतिम रूप दिया जाना
(iv)	वालीबाल	कर्नाटक	6 से 9 जनवरी, 2022
(v)	शतरंज	असम	30 जनवरी से 5 फरवरी, 2022

क्रम सं.	प्रतियोगिता	सर्कल का नाम	संभावित अवधि
(vi)	बास्केटबाल	उड़ीसा	फरवरी, 2022
(vii)	कबड्डी	गुजरात	22 से 25 फरवरी, 2022
(viii)	एथलेटिक और साइकिलिंग	उत्तर प्रदेश	फरवरी, 2022
(ix)	कैरम	तमिलनाडु	फरवरी, 2022
(x)	बैडमिंटन	हरियाणा	फरवरी/मार्च, 2022
(xi)	क्रिकेट	अंतिम रूप दिया जाना	अंतिम रूप दिया जाना
(xii)	फुटबॉल	अंतिम रूप दिया जाना	अंतिम रूप दिया जाना
(xiii)	डब्ल्यूएल/पीएल/बीपी	तेलंगाना	अंतिम रूप दिया जाना
(xiv)	सांस्कृतिक बैठक	अंतिम रूप दिया जाना	अंतिम रूप दिया जाना

3. डाक खेल नियंत्रण बोर्ड, डाक विभाग में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य के लिए डाक टूर्नामेंट के अलावा, डाक विभाग ने विभिन्न खेल महासंघों नामतः भारतीय बैडमिंटन संघ, भारतीय टेबल टेनिस संघ, पावरलिफ्टिंग इंडिया, अखिल भारतीय शतरंज संघ से संबद्धता की है तथा बीसीसीआई और भारतीय वॉलीबॉल संघ से संबद्धता की प्रक्रिया में है। हम संघों द्वारा आयोजित टूर्नामेंट में नियमित आधार पर राष्ट्रीय टीमों को नामांकित करते हैं। इसके अलावा, डाक विभाग, अंतर–मंत्रालयी टूर्नामेंट और अखिल भारतीय सिविल सेवा टूर्नामेंट में भी भाग लेता है। हम अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए भी खिलाड़ियों को नामांकित करते हैं।

लखनऊ (उत्तर प्रदेश सर्कल) में आयोजित शतरंज प्रतियोगिता की झलकियां

(ञ) कर्मचारी संबंध

1. वर्ष 2021–22 के दौरान, विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक संस्था सहित सभी संघों और सेवा संस्थाओं के साथ सौहार्दपूर्ण और सार्थक संबंध बनाए रखे। भागीदारी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए सेवा संघों के साथ आवधिक बैठकों की प्रणाली को पुनः शुरू किया गया। निम्न विवरण के अनुसार चरणबद्ध तरीके से आवधिक बैठकों का आयोजन किया गया:

क्रम सं.	संघ	बैठक की तारीख
1.	राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ	18.11.2021
2.	राष्ट्रीय डाक संगठन संघ	24.11.2021
3.	मान्यता प्राप्त गैर–संघीय संस्था	02.12.2021
4.	भारतीय डाक कर्मचारी संघ	09.12.2021

2. इन बैठकों का आयोजन श्री आलोक शर्मा, डाक सेवा महानिदेशक (डीजीपीएस) की अध्यक्षता में किया गया और तीनों महासंघों के महासचिवों नामतः श्री आर एन पाराशर (राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ), श्री. बी शिव कुमार, (राष्ट्रीय डाक संगठन संघ) और श्री संतोष कुमार सिंह, (भारतीय डाक कर्मचारी संघ) ने इनमें भाग लिया। इन संघों से संबद्ध सेवा संस्थाओं के महासचिव भी बैठकों में शामिल हुए। सभी मान्यता प्राप्त गैर–संघीय सेवा/जीडीएस संस्थाओं के साथ एक अलग बैठक आयोजित की गई। इन बैठकों के दौरान, सेवा मामले से संबंधित विभिन्न मुद्दों का समाधान किया गया। अधिकांश मामलों में बैठक के दौरान ही कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को संतुष्ट कर निर्णय लिया गया।

3. श्री विनीत पाण्डेय, सचिव (डाक) ने भी कर्मचारी पक्ष की ओर से भाग लेने वाले सदस्यों को संबोधित किया और उनसे सभी मुद्दों के लिए एक साथ मिलकर कार्य करने और समाधान खोजने के महत्व का आग्रह किया।

टेबल टेनिस टूर्नामेंट, पश्चिम बंगाल सर्कल

(ट) विधिक मामले

दिनांक 31.12.2021 तक की स्थिति के अनुसार, विभिन्न न्यायालयों में विभाग से संबंधित लम्बित मामलों की संख्या 19442 है।

2. दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार विभिन्न न्यायालयों में लंबित न्यायालयी मामलों की संख्या निम्नानुसार है:

(i)	उच्चतम न्यायालय:	157
(ii)	उच्च न्यायालय:	3823
(iii)	जिला एवं सत्र न्यायालय:	1383
(iv)	न्यायाधिकरण:	9785
(v)	अन्य:	4294

समय–समय पर, सक्षम प्राधिकारियों से अनुमति लेकर न्यायिक निर्णयों का कार्यान्वयन, विभिन्न न्यायालयों के मामलों की मॉनीटरिंग, विभाग/सरकार के प्रावधानों/निर्देशों का उल्लेख करते हुए समय पर प्रति–शपथपत्र दाखिल करते हुए न्यायिक मामलों के समुचित निपटान हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। सर्कलों को यह सलाह दी गई है कि ऐसे मामलों में अपील न करें जिनका खर्च लागत से कम है, उन मामलों को छोड़कर जहां निर्णयों में सरकार के नियमों/विनियमों का उल्लंघन हुआ हो।

2. कोर्ट की अवमानना के मामले को कम करने के निर्देश जारी किए गए हैं । कोर्ट की अवमानना से बचने के लिए सर्किलों को सलाह दी गई है कि वे न्यायालय के निर्णय को समयबद्ध तरीके से लागू करें। न्यालायी मामलों की गहन निगरानी सुनिश्चित करने और मामले की शीघ्र सुनवाई के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने पर जोर दिया गया है ।

3. सर्कलों से कानूनी व्यय पर अंकुश लगाने पर ध्यान केंद्रित करने का भी अनुरोध किया गया है जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान पर्याप्त वृद्धि हुई है ।

4. न्यायालयी मामलों की सुदृढ़ और गहन निगरानी के लिए, कर्नाटक डाक सर्किल की सहायता से एक आईटी उपकरण विकसित किया जा रहा है ।

5. विभाग के सर्किलों/अनुभागों/प्रभागों को विधिक सूचना प्रबंधन और वितरण व्यवस्था (एलआईएमबीएस) पोर्टल में न्यायालयी मामले के संबंध में सटीक डाटा अपलोड करने और नियमित आधार पर इसे अद्यतन करने के निर्देश भी जारी किए गए थे। एलआईएमबीएस पोर्टल में अपवाद मामले जो दिनांक 30.11.2021 की स्थिति के अनुसार 180 थे, बढ़कर 28.01.2022 की स्थिति के अनुसार 185 हो गए हैं। सर्किल/अनुभागों/प्रभागों को सीएनआर (कोर्ट नंबर रिकॉर्ड) को अपडेट करने के लिए भी निर्देश जारी किए गए थे और इसके परिणामस्वरूप वर्तमान में उच्च न्यायालयों के 3390 मामलों और जिला न्यायालयों के 1247 मामलों में सीएनआर को अपडेट कर दिया गया है।

(ठ) सतर्कता प्रशासन

डाक विभाग में सचिव (डाक) की अध्यक्षता में एक पूर्ण सतर्कता प्रणाली मौजूद है और विभाग के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) अर्थात् वरिष्ठ उप महानिदेशक (सतर्कता) द्वारा इन्हें सहायता प्रदान की जाती है। मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ), सतर्कता से संबंधित सभी मामलों में सचिव (डाक) के सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं और डाक विभाग एवं केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं।

सर्किल/क्षेत्रीय और प्रभागीय स्तर पर सतर्कता संबंधी कार्यों का निर्वहन सर्किलों/क्षेत्रों/प्रभागों के प्रमुखों अर्थात् क्रमशः मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, पोस्टमास्टर जनरल और प्रभागीय प्रमुखों द्वारा किया जाता है।

2. सतर्कता विंग निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है:

- सतर्कता संबंधी शिकायतों का अन्वेषण/जांच।
- अन्वेषण रिपोर्टों की जांच और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई।
- सतर्कता मामलों पर सीवीसी, यूपीएससी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय।
- की जांच/अन्वेषण में सीबीआई/लोकपाल/पुलिस और अन्य एजेंसियों के साथ सहकार्य/समन्वयन करना।
- सतर्कता संबंधी मामलों पर सीवीसी से सलाह लेना।
- 'क' और 'ख' के अधिकारियों के संबंध में भ्रष्टाचार के मामलों में अभियोजन स्वीकृति प्रक्रिया।
- सतर्कता मामलों में शामिल कर्मचारियों के विरूद्ध निलंबन और अन्य विभागीय कार्रवाई से संबंधित मुद्दे।
- समूह 'क' और 'ख' के अधिकारियों के संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही ।
- समूह 'क' और 'ख' के अधिकारियों के संबंध में अनुशासनात्मक मामलों में अपील, समीक्षा और पुनरीक्षण याचिकाओं पर कार्रवाई करना।
- विभिन्न प्रयोजनों के लिए अधिकारियों के लिए सतर्कता मंजूरी जारी करना।
- सहमत सूची, संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों (ओडीआई) की सूची तैयार करना और उसका रखरखाव करना और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई।
- लेखापरीक्षा रिपोर्टों का आवधिक/औचक निरीक्षण/समीक्षा और संवीक्षा करना।
- पारदर्शिता सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार और कदाचार की संभावना को कम करने के लिए प्रणालीगत/प्रक्रियात्मक सुधारों का सुझाव देना।
- संवेदनशील/असंवेदनशील पदों की पहचान ।
- समूह 'क' के अधिकारियों के संबंध में 'वार्षिक अचल परिसंपत्ति विवरणी' और 'संपत्ति के अधिग्रहण/बिक्री की सूचना' की जांच।
- प्रोबिटी पोर्टल पर प्रासंगिक डाटा अपडेट करना।
- सतर्कता मामलों पर प्रशिक्षण/कार्यशालाओं का आयोजन।
- 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' का आयोजन।

3. सांविधिक/संवैधानिक निकायों के साथ परामर्श

- केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के साथ परामर्शः सीवीसी, सतर्कता मामलों का सर्वोच्च संस्थान है, जो सतर्कता संबंधी मामलों के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों/पीएसयू आदि पर अधिकार क्षेत्र रखता है। सतर्कता संबंधी मामलों में समूह 'क' के अधिकारियों के विरूद्ध सीवीसी के परामर्श से कार्रवाई शुरू की जाती है। डाक विभाग का सतर्कता विंग ऐसे मामलों में सीवीसी के साथ समन्वय करता है।

- **संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के साथ परामर्श** : ऐसे मामलों, जिनमें अनुशासनिक प्राधिकारी, भारत के माननीय राष्ट्रपति हैं या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 9 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है, में यूपीएससी के साथ परामर्श की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, जिन मामलों में अपीलीय प्राधिकारी, भारत के माननीय राष्ट्रपति हैं और समीक्षा संबंधी ऐसे मामलों में जहां दंड में संशोधन प्रस्तावित है, उनमें भी यूपीएससी से परामर्श करना आवश्यक है। इस अवधि के दौरान, 16 मामलों को परामर्श के लिए यूपीएससी को भेजा गया था।
- **कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के साथ परामर्श** : ऐसे अनुशासनात्मक मामलों में जिनमें अनुशासनिक प्राधिकारी (डीए) औरयूपीएससी/सीवीसी के बीच असहमति बनती है, में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से परामर्श की आवश्यकता होती है। उन मामलों में भी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से परामर्श किया जाता है जिनमें संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी)/केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), अनुशासनिक प्राधिकारी (डीए) को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से परामर्श करने की सलाह देते हैं । इस अवधि के दौरान, एक मामले को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेजा गया था।

4. शिकायतें

राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री कार्यालय/सीवीसी/सीबीआई/संसद सदस्य/आम जनता आदि जैसे विभिन्न स्रोतों से सतर्कता शिकायतें प्राप्त होती हैं। इन शिकायतों की संवीक्षा की जाती है और दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों की पहचान करने और प्रणालीगत सुधार, यदि आवश्यक हो, के सुझावों के साथ जिम्मेदारी तय करने के लिए जांच की जाती है। इस अवधि के दौरान, डाक निदेशालय के सतर्कता विंग द्वारा 650 शिकायतों पर कार्रवाई की गई।

5. अनुशासनिक मामले

दिनांक 01.04.2021 से 30.11.2021 तक निपटाए गए और लंबित अनुशासनात्मक मामलों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है: –

तालिका 26

अनुशासनिक मामले

समूह	सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 का नियम 14		सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 का नियम 16		सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 का नियम 9		जीडीएस (आचरण और नियुक्ति) नियम, 2020 का नियम 10	
	निपटाए गए	लंबित	निपटाए गए	लंबित	निपटाए गए	लंबित	निपटाए गए	लंबित
समूह 'क'	8	13	4	0	6	4	0	0
पीएस समूह 'ख'	14	15	1 1	1 1	18	52	0	0
समूह 'ख'	33	82	147	92	2	42	0	0
समूह 'ग'	403	1258	2329	711	57	376	0	0
एमटीएस	28	36	56	7	0	12	0	0
जीडीएस	0	1	1	0	0	0	1226	1788

वर्ष 01.01.2022 से 31.03.2022 (अनंतिम डाटा) तक निपटाए गए और लंबित अनुशासनात्मक मामलों का सारांश बाद में प्रस्तुत किया जाएगा।

6. सतर्कता मंजूरी (वीसी)

यह सतर्कता विंग की एक महत्वपूर्ण गतिविधि है क्योंकि पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, समीक्षा, आमेलन, पासपोर्ट प्राप्त करने, विदेश यात्रा और अन्य संगठनों एवं विभागों आदि में प्रतिनियुक्ति के समय सतर्कता मंजूरी की आवश्यकता होती है। इस अवधि के

दौरान विभिन्न प्रयोजनों के लिए 1075 अधिकारियों/कर्मचारियों को सतर्कता मंजूरी जारी की गई थी।

7. स्वतंत्र बाह्य निगरानीकर्ता (आईईएम)

सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, समानता और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए, सीवीसी ने सत्यनिष्ठा संधि (आईपी) की अवधारणा को अपनाने और लागू करने की सिफारिश की है। श्रीमती सुषमा विश्वनाथ दाबक, आईए एंड एएस(सेवानिवृत्त), पूर्व–महानिदेशक लेखा परीक्षा और श्री ओम प्रकाश (सेवानिवृत्त), पूर्व–डीजीपी, उत्तर प्रदेश को क्रमशः दिनांक 12.01.2021 और 22.10.2021 के डाक विभाग के पत्र संख्या 77–12/2013–जीए के तहत, तीन वर्ष की अवधि के लिए सभी डाक सर्किलों सहित डाक विभाग द्वारा जारी आरएफपी/निविदाओं में सत्यनिष्ठा समझौते के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए स्वतंत्र बाह्य निगरानीकर्ता (आईईएम) के रूप में नियुक्त किया गया है।

8. सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2021 का आयोजन

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशों के अनुसार, दिनांक 26 अक्टूबर, 2021 से 2 नवंबर, 2021 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह (बीएडब्ल्यू), 2021 मनाया गया । सप्ताह के लिए विषय "स्वतंत्र भारत / 75 सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता" था, जिसकी शुरुआत सत्यनिष्ठा शपथग्रहण समारोह के साथ की गई। शपथ दिलाने का कार्य डाक सेवा महानिदेशक द्वारा किया गया। भ्रष्टाचार के विरूद्ध लड़ाई में सामूहिक रूप से भाग लेने के लिए डाक विभाग के कर्मचारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए निबंध और वाद–विवाद जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2021 के दौरान सीवीसी के निर्देशानुसार पीआईडीपीआई (पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मर) के तहत शिकायतकर्ता की पहचान का प्रकटीकरण न करने संबंधी निर्देशों का व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया।

देशभर की विभिन्न क्षेत्रीय यूनिटों में भी सतर्कता जागरूकता सप्ताह – 2021 मनाया गया और विभिन्न संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। देश के कोने–कोने में सतर्कता जागरूकता फैलाने के लिए सर्कलों के माध्यम से बड़ी संख्या में आउटरीच गतिविधियों को शुरू करने का प्रयास किया गया था। समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन डाक भवन में किया गया। डाक सेवा महानिदेशक ने सप्ताह के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह और नकद पुरस्कार प्रदान किए। सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2021 का आयोजन करते समय, कोविड–19 प्रोटोकॉल का पूरी सख्ती से पालन किया गया।

(ट) धनशोधन रोधी (एएमएल)/आतंकवाद के लिए वित्तपोषण (सीएफटी) का विरोध संबंधी अनुपालन संरचना

पृष्ठभूमि :

धन–शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002, 1 जुलाई, 2005 से लागू हुआ है। इस अधिनियम में धन–शोधनरोधी को "अपराधजन्य धन को छिपाने, रखने, लेने अथवा इसका उपयोग करने तथा इसको बेदाग संपत्ति होने का दावा करने सहित इससे संबंधित कोई भी प्रक्रिया अथवा क्रियाकलाप के रूप में परिभाषित किया गया है।" इस अधिनियम में धन–शोधनरोधी संशोधन अधिनियम, 2009 के माध्यम से दिनांक 1 जून, 2009 को संशोधन किया गया। इस संशोधन से डाक विभाग को इस अधिनियम के दायरे में लाया गया, जिसमें भारत सरकार में डाक विभाग को धारा 2(1)(1) के अंतर्गत "वित्तीय संस्था" के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

निदेशालय स्तर पर, उप महानिदेशक, (डीडीजी पीसीओ/पीएमएलए), डाक विभाग के प्रधान अनुपालन अधिकारी हैं और वे डाक विभाग में सभी अनुपालन संबंधी कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। सदस्य (योजना एवं मानव संसाधन विकास) को डाक विभाग का "नामित निदेशक" नियुक्त किया गया है। सर्कल स्तर पर, 23 नोडल अधिकारी हैं, जो सर्कल अनुपालन अधिकारी हैं।

डाक विभाग ने लघु बचत योजनाओं के लिए विस्तृत दिशानिर्देशों के साथ एंटी–मनी लॉन्ड्रिंग/आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (एएमएल/सीएफटी) मानदंडों के अनुपालन के लिए एक मास्टर सर्कुलर परिचालित किया है।

डाक विभाग ने विस्तृत दिशा–निर्देशों के साथ लघु बचत योजनाओं हेतु धन–शोधनरोधी/आतंकवाद वित्तपोषण विरोधी (एएमएल/सीएफटी) मानदंडों के अनुपालनार्थ एक मास्टर परिपत्र परिचालित किया है।

सर्कल स्तर पर अनुपालन अधिकारी नकदी लेन–देन रिपोर्ट (सीटीआर), संदिग्ध लेन–देन रिपोर्ट (एसटीआर) और नकली मुद्रा रिपोर्ट (सीसीआर) उच्चतर स्तर के अधिकारी को डाटा देने के लिए सृजित किए गए डाटा की पुष्टि करने के लिए उत्तरदायी है और साथ ही धन–शोधन रोधी (एएमएल), नो योर कस्टमर (केवाईसी) और सर्कल के लिए एएमएल निरीक्षण के प्रशिक्षण को भी देखेगा।

वर्तमान में चल रही पहलें:

1. सीटीआर जमा करने की प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है।
2. वित्तीय कार्रवाई कार्य बल द्वारा पारस्परिक मूल्यांकन प्रस्तुत करना।
3. एफआईयू–भारत और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा भेजे गए अलर्ट की निगरानी।
4. संबंधित सर्कल अनुपालन अधिकारियों द्वारा एसएएस–एएमएल अलर्ट की निगरानी और बंद करना,
5. **वेस्टर्न यूनियन के लेनदेन की मॉनिटरिंग** : पीएमएलए के प्रावधानों के अनुसार, वेस्टर्न यूनियन के +2000 से अधिक की राशि के लेन–देन की किसी भी संदिग्ध गतिविधि के लिए ट्रांसविजन सॉफ्टवेयर की मदद से निगरानी की जा रही है।
6. **प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के माध्यम से एएमएल/सीएफटी दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन का सुदृढ़ीकरण** : पीएमएलए प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए आरएकेएनपीए और संबंधित सर्किलों के डब्ल्यूसीटीसी में भी नियमित प्रशिक्षण और कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।
7. **निरीक्षण के माध्यम से अनुपालन मापना** : प्रत्येक सर्कल में अनुपालना को मापने के लिए डाकघरों की स्थिति का, पूर्ण रूप से अनुपालन करने वाले डाकघर, आंशिक रूप से अनुपालन करने वाले डाकघर, अनुपालना न करने वाले डाकघर के रूप में निरीक्षण किया जाता है।

III. **नई पहलें:**

क) एसएएस–एएमएल के 5.1 संस्करण को 7.1 संस्करण में उन्नयन करने की प्रक्रिया।

ख) नए रिपोर्टिंग प्रारूप (फिननेट 2.0) को लागू करने की प्रक्रिया

IV **उपलब्धियां:**

एफआईयू–भारत को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को ऑफलाइन के स्थान पर ऑनलाइन किया गया।

V. **प्रशिक्षण/निरीक्षण**

1. कर्मचारियों द्वारा प्रभावी एएमएल/सीएफटी निगरानी के लिए वर्ष 2021–22 (जनवरी 2021–दिसम्बर, 2021) के लिए 30,127 अधिकारियों को एएमएल/सीएफटी पर प्रशिक्षण दिया गया है।

2. वर्ष 2021–22 (जनवरी 2021–दिसम्बर, 2021) में, देश भर में एएमएल अनुपालन के संदर्भ में 20,605 डाकघरों का निरीक्षण किया गया।

अत्तिंगल प्रधान कार्यालय, तिरूवनंतपुरम नॉर्थ डाक डिवीजन में विश्व मितव्ययिता दिवस पर गतिविधियां

(ड) जन शिकायतें और सूचना का अधिकार

i) **पृष्ठभूमि**:– विभाग में डाक सेवाओं से संबंधित लोक शिकायतों के निवारण के लिए सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। गुणवत्तापूर्ण सेवा सुनिश्चित करने तथा लोक शिकायतों का शीघ्र निवारण करने के लिए एक निगरानी तंत्र भी मौजूद है। विभागीय शिकायत निवारण तंत्र (सीआरएम) एक नागरिकोन्मुखी पहल है, जिसके द्वारा सरकार नागरिकों को सुलभ रूप में गुणवत्तापूर्ण आधारित जन सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होती है। यह शिकायत संभावित क्षेत्रों की पहचान करने में व उनका निवारण करने में सहायता प्रदान करती है। इस प्रकार, यह सरकारी कार्यों में पारदर्शिता को भी बढ़ावा देती है।

ii) **वर्तमान में चल रही पहल**: –

क) **केंद्रीकृत जन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस)**: शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए, अंतिम स्तर के कार्यालयों को शिकायतों के सहज अग्रेषण द्वारा शाखा डाकघरों के स्तर तक के 1.5 लाख से अधिक डाकघरों की मैपिंग करते हुए केंद्रीकृत जन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) में सुधार किया गया था। डाक विभाग प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सहयोग से सीपीजीआरएएमएस में सुधार करने वाला पहला विभाग था। यह संस्करण न केवल समाधान में लगने वाले समय की बचत करता है बल्कि अनावश्यक स्तरों को दरकिनार कर मानवीय हस्तक्षेप को भी कम करता है। जनवरी, 2021 में सीपीजीआरएएमएस पर शिकायतकर्ताओं को समाधान के विरूद्ध अपील के उपाय का विकल्प प्रदान किया गया था।

ख) **एसएपी आधारित ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) प्लेटफॉर्म**: विभाग ने दिनांक 30.12.2019 को एसएपी आधारित प्लेटफॉर्म शुरू किया है और कम्प्यूटरीकृत ग्राहक सेवा केंद्रों के स्थान पर उन्नत एसएपी आधारित प्लेटफॉर्म को अपनाया है। यह प्लेटफॉर्म इंडिया पोस्ट कॉल सेंटर (आईपीसीसी) के साथ भी एकीकृत है। कॉल सेंटर में शिकायतों को दर्ज करने के उद्देश्य से डाटा स्वतः दर्ज हो जाता है। विभाग ने अपनी आउटरीच 26072 अंक से बढ़ाकर 30798 कर दी है।

ग) **इंडिया पोस्ट कॉल सेंटर (आईपीसीसी)**: विभाग ने वाराणसी में दिनांक 01.06.2018 को इंडिया पोस्ट कॉल सेंटर (आईपीसीसी) की शुरूआत की। आईपीसीसी में ग्राहकों के लिए इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआरएस) की सुविधा 24'7'365 आधार पर उपलब्ध है। वर्तमान में, आईपीसीसी ग्राहकों के भौगोलिक स्थानों के साथ मैप की गई ग्यारह भाषाओं में कार्यशील है। आईपीसीसी की स्थापना के बाद से अब तक 1.57 करोड़ कॉलों का प्रत्युत्तर दिया जा चुका है। डाक जीवन बीमाध्ग्रामीण डाक जीवन बीमा और वित्तीय सेवा कार्यकलापों को आईपीसीसी में एकीकृत किया गया है जो आईपीसीसी को नागरिकों को नागरिकोन्मुखी जानकारी प्रसारित करने में सक्षम बनाता है।

घ) **सोशल मीडिया प्रकोष्ठ**: सोशल मीडिया प्रकोष्ठ एक स्वतंत्र इकाई है और डाक विभाग के ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट से संबंधित है। सोशल मीडिया टीम का सुदृढ़ीकरण किया गया है और इसके कार्य के घंटे दिन के 8 घंटे से बढ़ाकर 16 घंटे प्रतिदिन कर दिए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप, प्रथम प्रत्युत्तर में लगने वाला समग्र औसत समय 4 घंटे से कम होकर 2 घंटे हो गया।

ङ) **नागरिक चार्टर:** सेवा मानक, शिकायत निवारण तंत्र और सेवा वितरण क्षमताएं, इन तीनों घटकों शामिल करते हुए एक अद्यतन नागरिक चार्टर तैयार किया गया है और उसे सार्वजनिक किया गया है। इसमें विजन, मिशन, संगठन के बारे में परिचय, नागरिक चार्टर का उद्देश्य, ग्राहकों के लिए डाक सेवाएं और सुविधाएं, डाक उत्पाद और सेवाएं, वितरण मानक और ग्राहक की अपेक्षाएं, शिकायत निवारण तंत्र शामिल हैं। जून, 2021 में एक अद्यतन नागरिक चार्टर जारी किया गया और भारतीय डाक की वेबसाइट पर डाला गया।

च) **डाकघरों में गतिशील पंक्ति प्रबंधन प्रणाली (डायनेमिक क्यू मैनेजमेंट सिस्टम – डीक्यूएमएस) का कार्यान्वयन:** गतिशील पंक्ति प्रबंधन प्रणाली (डीक्यूएमएस) में वायर आधारित कॉलिंग टर्मिनल है जो काउंटरों पर उपलब्ध है और एक स्टैंड–अलोन सॉफ्टवेयर से संचालित होता है। प्रवेश द्वार पर थर्मल प्रिंटर वाला एक डिस्पेंसर उपलब्ध है। डीक्यूएमएस को छह या छह से अधिक कार्यशील काउंटर वाले 340 प्रधान डाकघरों में संस्थापित किया गया है। इससे जनता के लिए प्रतीक्षा समय को कम करने, प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि करने, कर्मचारियों और ग्राहकों को सुविधाजनक स्तर प्रदान करने और ग्राहक प्रवाह की निगरानी करने में मदद मिली है।

छ) **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का कार्यान्वयन:** कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा ऑनलाइन आरटीआई आवेदनों/अपीलों के निपटान के लिए आरटीआई ऑनलाइन वेब पोर्टल विकसित किया गया था। डाक विभाग इस पोर्टल को क्षेत्रीय कार्यालय स्तर तक कार्यान्वित करने वाला पहला केंद्रीय लोक प्राधिकरण है। दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 तक पूरे देश में 1258 केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) और 178 प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों (एफएए) के ऑनलाइन अकाउंट बनाए गए हैं जो आरटीआई आवेदनों और अपीलों का निपटान कर रहे हैं।

iii) **नई पहलें:** –

क) **सीपीजीआरएएमएस पोर्टल:** महामारी के परिप्रेक्ष्य में जनता की डाक संबंधी आवश्यकताओं के संबंध में शिकायतों का निराकरण करने और उनकी निगरानी करने के लिए सीपीजीआरएएमएस पर 'कोविड–19' शिकायतों के लिए एक अलग श्रेणी बनाई गई थी। इस श्रेणी के सृजन के बाद अर्थात् 30.03.2020 से 3 दिनों की निर्धारित समय सीमा के भीतर 2278 शिकायतों का निवारण किया गया है।

ख) **इंडिया पोस्ट कॉल सेंटर (आईपीसीसी):** लॉकडाउन की अवधि के दौरान, आईपीसीसी ने नागरिकों के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस प्रदान किया। इसने लॉकडाउन के दौरान नागरिकों को डाक सेवाओं की उपलब्धता के संबंध में जानकारी प्रदान करने और उनके प्रश्नों के समाधान की सुविधा प्रदान करने की प्रक्रिया को सुगम बनाया। महामारी की अवधि के दौरान, आईपीसीसी ने 82.5 लाख से अधिक फोन का उत्तर दिया।

ग) **सोशल मीडिया:** भारतीय डाक के सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म ने इस महामारी में नागरिकों को दवाओं की बुकिंग और वितरण तथा डाकघरों में वित्तीय लेनदेन की व्यवस्था संबंधी चिंताओं से दूर करके तत्काल राहत प्रदान की और इससे बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा। महामारी के दौरान, 4.46 लाख शिकायतों का समाधान किया गया।

घ) **विलंबन को कम करने के लिए 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2021 तक विशेष अभियान:** भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के

साथ–साथ, डाक विभाग ने भी विलंबन को कम करने के लिए 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2021 तक विशेष अभियान में भाग लिया। विशेष अभियान के दौरान, विभाग ने जन शिकायतों, संसद सदस्यों, राज्य सरकारों के संदर्भों और संसदीय आश्वासनों का उल्लेखनीय निपटान सुनिश्चित किया गया। इसके अलावा, अभिलेख प्रबंधन, फाइलों की छंटाई और सरकारी कार्यालयों की समग्र साफ–सफाई के लिए सभी प्रयास किए गए। स्वच्छता अभियान में, नियमित साफ–सफाई की तुलना में एक स्पष्ट अंतर देखा गया। इस अभियान के दौरान, आंतरिक और बाह्य स्थलों की निरंतर साफ–सफाई की गई। इस स्वच्छता अभियान में, कुल 810 स्थलों को कवर किया गया। मुख्यालय अर्थात् डाक भवन के साथ–साथ डाक सर्किलों में निपटान के लिए स्क्रैप की पहचान की गई थी। अधिकारियों की निरंतर निगरानी और उत्साह के परिणामस्वरूप 1.05 करोड़ रुपये के स्क्रैप का निस्तारण हुआ।

2 अक्टूबर, 2021 से 31 अक्टूबर, 2021 तक आयोजित विशेष अभियान के दौरान डाक विभाग द्वारा किए गए प्रयासों को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 26.12.2021 को "मन की बात" के अपने राष्ट्रव्यापी संबोधन के दौरान उल्लेख किया गया और सराहना की गई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि:–

"पुरानी और लंबित सामग्री का निस्तारण करने के लिए मंत्रालयों और विभागों में विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। इस अभियान को दौरान कुछ रूचिकर घटनाएं हुई हैं। जब डाक विभाग में यह स्वच्छता अभियान शुरू किया गया था, वहां जंकयार्ड को पूरी तरह से खाली कर दिया गया। अब इस जंकयार्ड ने एक कोर्टयार्ड और कैफेटेरिया का रूप ले लिया है। एक अन्य जंकयार्ड को दोपहिया वाहनों के लिए पार्किंग स्थल के रूप में परिवर्तित किया गया है।"

iv) उपलब्धियां: –

क) माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिनांक 26.12.2021 को "मन की बात" के अपने राष्ट्रव्यापी संबोधन में विशेष अभियान के दौरान विभाग द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की।

ख) अंतिम स्तर के कार्यालयों में शिकायत के बेहतर नेविगेशन के लिए शाखा डाकघरों के स्तर तक के सभी डाकघरों (1.55 लाख) को मैप करके सीपीजीआरएएमएस में सुधार किया गया था।

ग) जनवरी 2021 में सीपीजीआरएएमएस पर शिकायतकर्ताओं को समाधान के विरूद्ध अपील के उपाय का विकल्प प्रदान किया गया था।

घ) दिनांक 30.03.2020 को सीपीजीआरएएमएस पर "कोविड–19" की एक विशेष श्रेणी का गठन किया गया था और इस श्रेणी में प्राप्त सभी शिकायतों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निवारण किया गया है।

ङ) एसएपी आधारित ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) प्लेटफॉर्म पर विभाग की पहुंच 26072 से बढ़ाकर 30798 हो गई है।

च) डाक जीवन बीमा/ग्रामीण डाक जीवन बीमा और वित्तीय सेवाओं के कार्यों को आईपीसीसी में एकीकृत किया गया है जो आईपीसीसी को नागरिकों को नागरिक–केंद्रित जानकारी प्रसारित करने में सक्षम बनाता है।

छ) डाक विभाग ने 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2021 तक प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान में लोक शिकायतों, संसद सदस्यों, राज्य सरकारों के संदर्भों और संसद आश्वासनों के निपटान में सफलतापूर्वक भाग लिया है।

v) सांख्यिकीय तालिकाएं और ग्राफ

तालिका 27

क) केंद्रीकृत जन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस): –

क्रम सं.	वर्ष	अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतें	अवधि के दौरान आगे लाई गई शिकायतों सहित निपटाई गई शिकायतें	निपटान का %	निपटान में लगने वाला औसत समय (दिन)
1.	01.04.2021 से 31.12.2021	40835	39935	98	16

ख) इंडिया पोस्ट कॉल सेंटर (आईपीसीसी): –

क्रम सं.	अवधि	प्राप्त कॉलें	अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतें	अवधि के दौरान निपटाई गई शिकायतें	निपटान का %
1.	01.04.2021 से 31.12.2021	43,02,743	87721	85527	97.5

ग) सोशल मीडिया : –

क्रम सं.	अवधि	प्राप्त शिकायतें	निपटाई गई शिकायतें	निपटान का %
1.	01.04.2021 से 31.12.2021	2,15,277	2,13,508	99.17

घ) सूचना का अधिकार:

i) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त और निपटाए गए आरटीआई अनुरोध (01.04.2021 से 31.12.2021):

	अन्य लोक प्राधिकरणों से प्राप्त आवेदन (क)	प्राप्त हुए कुल अनुरोध	निपटाए गए कुल आरटीआई अनुरोध (ऑनलाइन+ कागजी)
कागज के रूप में प्राप्त आरटीआई अनुरोध	38632	71768	67745
ऑनलाइन रूप में प्राप्त आरटीआई अनुरोध	33136		

ii) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त और निपटाई गई प्रथम अपीलें (01.04.2021 से 31.12.2021):

	सीधे प्राप्त हुए आवेदन+ अथ शेष	प्राप्त हुई कुल प्रथम अपीलें (ऑनलाइन+ कागजी)	कुल प्रथम अपीलों का निपटारा किया गया (ऑनलाइन+ कागजी)
कागज के रूप में प्राप्त प्रथम अपीलें	4753	7348	6678
ऑनलाइन रूप में प्राप्त प्रथम अपीलें	2595		

विशेष अभियान के दौरान कार्य की निगरानी के लिए माननीय संचार राज्य मंत्री जी का दौरा

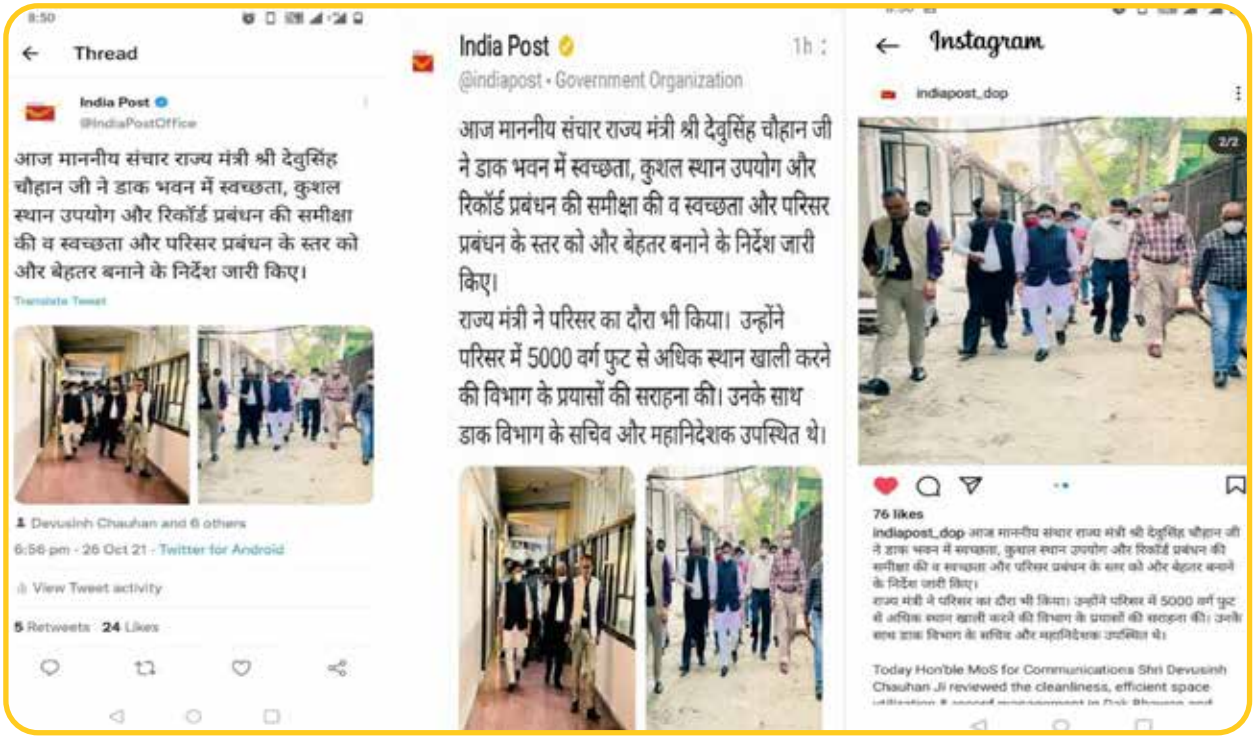

बैकयार्ड – डाक भवन

विशेष अभियान के दौरान स्वच्छता के लिए चिन्हित स्थल

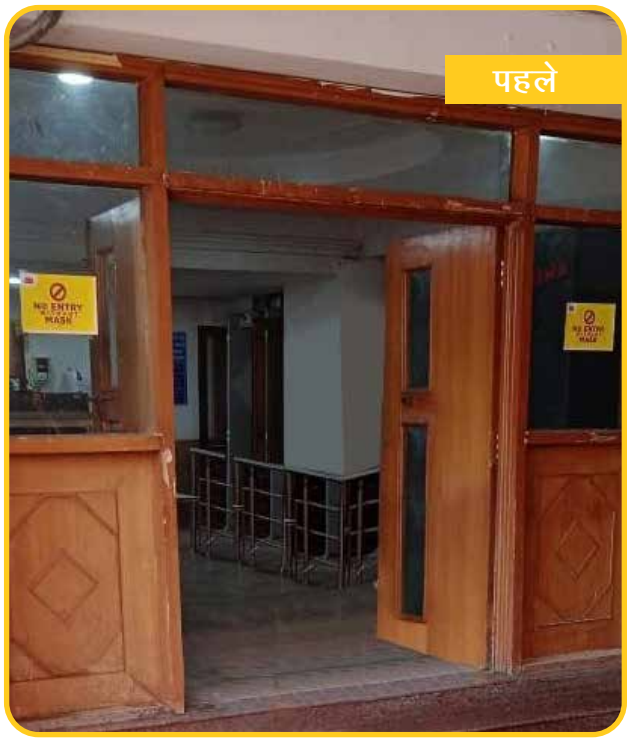

विशेष अभियान के दौरान डाक भवन, नई दिल्ली के प्रवेश कक्ष का नवीनीकरण कार्य

विशेष अभियान के दौरान डाक भवन, नई दिल्ली के बैकयार्ड क्षेत्र में स्वच्छता कार्य

तालिका 28

2020–21 के दौरान प्राप्त, निपटाई और लंबित जन शिकायतें

(संख्या में)

सर्कल का नाम	अथ शेष	प्राप्त शिकायतें	कुल शिकायतें	निपटाई गई शिकायतें	लंबित शिकायतें
आंध्र प्रदेश	2388	13553	15941	15118	823
असम	1166	16851	18017	17662	355
बिहार	2316	46732	49048	47876	1172
छत्तीसगढ़	541	9190	9731	9529	202
दिल्ली	41072	148537	189609	160193	29416
गुजरात	5165	48094	53259	50967	2292
हरियाणा	9138	43902	53040	50653	2387
हिमाचल प्रदेश	136	6606	6742	6524	218
जम्मू और कश्मीर	4992	11768	16760	16293	467
झारखंड	3684	12484	16168	15371	797
कर्नाटक	8418	60034	68452	66577	1875
केरल	4175	33970	38145	36696	1449
मध्य प्रदेश	2097	41662	43759	42662	1097
महाराष्ट्र	10628	130767	141395	137583	3812
उत्तर पूर्वी	1178	7737	8915	8742	173
उड़ीसा	2018	22157	24175	23608	567
पंजाब	15241	50997	66238	65097	1141
राजस्थान	1406	64908	66314	65312	1002
तमिलनाडु	7022	63468	70490	69254	1236
तेलंगाना	5235	49419	54654	53635	1019
उत्तर प्रदेश	17299	111549	128848	123100	5748
उत्तराखंड	1568	14560	16128	15439	689
पश्चिम बंगाल	720	86991	87711	87014	697
सेना डाक सेवा	170	1746	1916	1833	83
कुल	**147773**	**1097682**	**1245455**	**1186738**	**58717**

(ण) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

1. पृष्ठभूमि:

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सहयोग

1. अंतर्राष्ट्रीय संबंध और वैश्विक व्यापार प्रभाग, डाक विभाग के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सहयोग से संबंधित मामलों का समन्वय करता है। इन कार्यों में विश्व डाक संघ (यूपीयू) तथा एशियन प्रशांत डाक संघ (एपीपीयू) एवं ऐसे अन्य संगठनोंके दायरे में आने वाले विभिन्न देशों के नामित डाक प्रचालन संगठनों के साथ बहुपक्षीय कार्य–व्यवहार/ पारस्परिक क्रिया शामिल हैं। आईआर एवं जीबी डिवीजन अन्य नामित डाक प्रचालकों से द्विपक्षीय विचार–विमर्श, नामित एवं निजी डाक प्रचालकों के साथ व्यावसायिक संबंध एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय एवं सहकारिता के माध्यम से राजस्व अर्जन पर केन्द्रित कार्यकलाप देखते हैं।

2. डाकघर, भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में उभरा है, जो व्यक्तियों और संगठनों को वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए सीमा–पार माल, धनराशि और सूचना भेजने में सक्षम बनाता है। डाकघर ने दूर–दराज के गांवों में स्थित निर्यातकों के लिए विश्व भर में अपने उत्पादों का निर्यात करने के अवसर पैदा किए हैं। इसके साथ–साथ, डाकघर विश्वभर में लोगों के आपसी संपर्क का भी माध्यम बना हुआ है।

विश्व डाक संघ (यूपीयू) में भारत

3. भारत, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी, यूपीयू, जिसका मुख्यालय बर्न, स्विट्जरलैंड में है, के शुरुआती सक्रिय सदस्यों में से एक है। यह संघ, विश्वभर में अंतरराष्ट्रीय डाक सेवाओं के कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। यह नवीनतम उत्पादों और सेवाओं का एक सार्वभौमिक नेटवर्क सुनिश्चित करने में मदद करता हैइस प्रकार, यह संगठन एक सलाहकार, मध्यस्थ एवं निकट संपर्क की भूमिका निभाता है और जहां भी आवश्यकता हो तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। इसके साथ–साथ, यूपीयू का उद्देश्य डाक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना तथा अपने विभिन्न निकायों एवं बहुपक्षीय समझौतों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय डाक मामलों के समस्त पहलुओं को नियंत्रित करना भी है। वर्तमान चक्र में, भारत, वियतनाम के साथ डाक संचालन परिषद (पीओसी) की चौथी समिति (डाक वित्तीय सेवा) का सह–अध्यक्ष है।

4. यूपीयू के प्रमुख निकायों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) कांग्रेस; (ii) प्रशासनिक परिषद (सीए); (iii) डाक प्रचालन परिषद (पीओसी); तथा (iv) अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो। डाक विभाग, इस समय पीओसी का सदस्य है। कांग्रेस, यूपीयू का शीर्षस्थ निकाय है और इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। हर चार वर्ष में इसकी बैठक आयोजित की जाती है जिसमें प्रत्येक वर्ष के यूपीयू के कार्यकलापों की रूप रेखा तैयार की जाती है। कांग्रेस का कार्य, सदस्य देशों की विभिन्न समितियों के माध्यम से किया जाता है। इन समितियों का गठन चुनाव के माध्यम से किया जाता है। ये समितियां विभिन्न प्रस्तावों पर विचार करती हैं और अपनी रिपोर्टें पूर्ण बैठक में प्रस्तुत करती हैं, जहां सदस्य देश इन पर अपना मतदान करते हैं।

सचिव (डाक) के नेतृत्व में एक भारतीय शिष्टमंडल ने अगस्त, 2021 में कोटे डी आइवर के आबिदजान में हाइब्रिड मोड (शारीरिक और ऑनलाइन) में आयोजित 27वीं विश्व डाक संघ (यूपीयू) कांग्रेस में भाग लिया।

5. भारत ने कांग्रेस में प्रशासन परिषद (सीए) और डाक प्रचालन परिषद (पीओसी) की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ा। ये दोनों परिषदें अगले चार वर्षों के लिए अपनाई गई यूपीयू कार्यनीति को लागू करने

के लिए कांग्रेस के बीच अपनी समितियों के माध्यम से संघ के कार्यों में निरंतरता प्रदान करती हैं। इस चुनाव में उपस्थिति और मतदान करने वाले 156 देशों में, भारत ने प्रशासन परिषद का चुनाव 134 मतों से जीता और डाक प्रचालन परिषद का चुनाव 106 मतों से जीता। प्रशासन परिषद के चुनाव में भारत को सबसे अधिक मत, दक्षिणी एशिया और ओशिनिया क्षेत्र से मिले जो संघ में तीसरे स्थान पर भी था। इन परिषदों की सदस्यता, भारत को इन परिषदों की कार्यवाही में भाग लेने और अपने हितों के लिए उपयुक्त नीतियों के प्रचार का अवसर प्रदान करेगी।

एशिया प्रशांत डाक संघ (एपीपीयू)

6. एशिया प्रशांत डाक संघ (एपीपीयू), विश्व डाक संघ से संबद्ध एक निर्बंधित संघ है। 32 देश इसके सदस्य हैं। इसका उद्देश्य, क्षेत्र में डाक के आदान–प्रदान को सुलभ बनाना तथा सदस्य देशों के बीच डाक सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग की भावना को बढ़ाना है। एकीकृत प्रदाय श्रृंखला श्रेणी के सह–अध्यक्ष एवं एशिया प्रशांत डाक कॉलेज की प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य के रूप में भारतीय डाक, एपीपीयू के मामलों में अग्रणी भूमिका निभाता है।

7. अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में भागीदारी

- भारत के नौ सदस्यीय शिष्टमंडल ने आबिदजान, कोटे डी आइवर में 9 से 27 अगस्त, 2021 के दौरान हाइब्रिड तरीके से आयोजित 27वीं यूपीयू कांग्रेस में भाग (शारीरिक और ऑनलाइन) लिया।
- 18 से 26 नवंबर, 2021 तक बर्न, स्विट्जरलैंड में सीए, पीओसी और ईएमएस महासभा की बैठक में दो सदस्यीय शिष्टमंडल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया।
- यूपीयू वर्ल्ड लीडर्स फोरम में भाग लेने के लिए 12 से 14 अक्टूबर , 2021 के दौरान दो सदस्यीय शिष्टमंडल ने वियना, ऑस्ट्रिया का दौरा किया।
- 13 से 15 अक्टूबर, 2021 के दौरान बर्न, स्विट्जरलैंड में आयोजित क्यूएसएफ बोर्ड की बैठक में एक सदस्यीय शिष्टमंडल ने भाग लिया ।
- भारतीय शिष्टमंडल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 21 जून से 20 जुलाई, 2021 के दौरान आयोजित एशियाई प्रशांत डाक संघ (एपीपीयू) की कार्यकारी परिषद की बैठकों में भाग लिया ।
- 5 जुलाई 2021 को एशिया प्रशांत डाक सहकारी (एपीपी सहकारी) महासभा के दौरान ऑनलाइन चुनाव हुए थे। भारतीय डाक ने चुनाव जीता और अब यह एपीपी सहकारी प्रबंधन बोर्ड का एक निर्वाचित सदस्य है। यह भारतीय डाक को एक निर्वाचित बोर्ड सदस्य के रूप में एशिया प्रशांत डाक के नीतिगत निर्णय लेने में शामिल होने का अवसर प्रदान करेगा।

8. द्विपक्षीय बैठकें

(i) माननीय संचार राज्य मंत्री श्री देवुसिंह चौहान ने दिनांक 17 दिसंबर, 2021 को अपने वियतनामी समकक्ष महामहिम गुयेन मान हंग, सूचना और संचार मंत्री, वियतनाम और उनके शिष्टमंडल के साथ बैठकें कीं। डाक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच एक "लेटर ऑफ इंटेंट" पर हस्ताक्षर किए गए। 'लेटर ऑफ इंटेंट', मानव संसाधन विकास में परियोजनाओं को लागू करने और दोनों देशों के डाक नामित ऑपरेटरों और सेवा प्रदाताओं के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए डाक के क्षेत्र में सहयोग को सुविधाजनक बनाने, सूचना और अनुभव के आदान–प्रदान, सहयोग को बढ़ावा देने के लिए

दोनों देशों के संयुक्त उद्देश्यों को मान्यता देता है।

(ii) दोनों पक्षों द्वारा अभिचिह्नित पारस्परिक हित के विभिन्न मुद्दों पर द्विपक्षीय चर्चा के बाद 10 नवंबर, 2021 को भारतीय डाक और भूटान डाक के बीच एक ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में आपसी सहयोग के कई पहलुओं जैसे वित्तीय सेवाएं, प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता, डाटा साझाकरण करार, ई–कॉमर्स और ट्रांजिट सेवाओं पर चर्चा की गई और सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए टीमों का गठन किया गया।

(iii) डाक सेवा वार्ता का दूसरा दौर नवंबर, 2021 में जापान के साथ आयोजित किया गया था। डाक सेवाओं से संबंधित विभिन्न तकनीकी पहलुओं जैसे गतिशील शेड्यूलिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेल/पार्सल प्रोसेसिंग आदि में स्वचालन आदि पर एक साथ कार्य करने की संभावनाओं पर विचार–विमर्श किया गया। दोनों डाक विभाग भविष्य के लिए सहयोगी परियोजनाओं की दिशा में कार्य कर रहे हैं।

2. उपलब्धि:

(क) डाक सेवा डाटा साझाकरण करार

डाक विभाग ने अग्रिम डाटा साझाकरण के माध्यम से डाक सेवा डाटा के इलेक्ट्रॉनिक आदान–प्रदान के लिए बहुपक्षीय डाटा साझाकरण करार को स्वीकार करके 120 से अधिक डाक ऑपरेटरों के साथ, अंतरराष्ट्रीय डाक वस्तुओं के गंतव्य पर भौतिक आगमन से पहले अंतरराष्ट्रीय डाक वस्तुओं के इलेक्ट्रॉनिक डाटा का आदान–प्रदान शुरू कर दिया है। इस करार ने विकसित वैश्विक डाक ढांचे के अनुरूप डाक वस्तुओं की त्वरित सीमा शुल्क मंजूरी को सक्षम बनाया है। इससे विश्वसनीयता, दृश्यता और सुरक्षा के मामले में डाक सेवाओं के प्रदर्शन में भी सुधार होगा।

समझौते के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक एडवांस डाटा (ईएडी) का आदान–प्रदान भारत से विश्व के विभिन्न हिस्सों में निर्यात पर जोर देने के साथ आपसी व्यापार को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रमुख माध्यम होगा।

(ख) यूएसपीएस के साथ प्राइम यूएसपीएस ट्रैक्ड सर्विस करार

डाक विभाग ने यूएसपीएस के साथ अक्टूबर 2021 में प्राइम यूएसपीएस ट्रैक्ड सर्विस करार को अंतिम रूप दिया है। यह भारत और यूएसए के बीच ट्रैक किए गए पैकेट उत्पादों के आदान–प्रदान को सक्षम करेगा। इस करार के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका में आईटीपीएस सेवा के विस्तार से संयुक्त राज्य अमेरिका को ई–कॉमर्स वस्तुओं के निर्यात की सुविधा के साथ–साथ आने वाले ट्रैफिक में वृद्धि की उम्मीद है।

3. महत्वपूर्ण सर्किल / क्षेत्रीय / स्थानीय पहल:

पत्र–लेखन प्रतियोगिता, 2021

प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाली वैश्विक डाक संघ पत्र लेखन प्रतियोगिता इन कई वर्षों में एक वैश्विक पद्धति बन चुकी है। एक प्रतियोगिता बच्चों तथा युवाओं में साहित्यिक कौशल को प्रोत्साहन देने का उत्कृष्ट माध्यम है। यह उनके लेखन, अक्षर योजन से जुड़े कौशल, गुणों को न केवल विकसित करता है अपितु अपने विचारों को स्पष्ट रूप से रखने की क्षमता को भी बढ़ाता है। प्रतियोगिता के माध्यम से उनके अंदर इस बात की भी जागरुकता उत्पन्न होती है कि विश्व में डाक सेवाएं कितनी महत्वपूर्ण

भूमिका निभाती हैं। भारत में इस प्रतियोगिता की मेजबानी डाक विभाग करता है।

सूरत, गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र का उद्घाटनः

3 नवंबर 2021 को माननीय संचार राज्य मंत्री श्री देवुसिंह चौहान, माननीय रेल और वस्त्र राज्य मंत्री सुश्री दर्शना जरदोश और माननीय संसद सदस्य, श्री सी.आर. पटेल की उपस्थिति में सूरत, गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया गया था। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र दक्षिण गुजरात क्षेत्र से डाक चौनल के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देने की सुविधा प्रदान करेगा।

माननीय राज्य मंत्री श्री देवु सिंह चौहान सूरत, गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर

त) विपणन और सोशल मीडिया

1. विपणन प्रभाग ने, अपनी परिवर्तनशील भूमिका के तहत, डाक उत्पादों तथा सेवाओं की दृश्यता तथा जागरुकता को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। चालू वित्तीय वर्ष में विभाग अपने उत्पादों तथा सेवाओं, जिसमें प्रिंट मीडिया रेडियो, टीवी, डिजिटल सिनेमा, होर्डिंग इत्यादि पर विज्ञापन रिलीज करनेकी मार्केटिंग हेतु विभिन्न क्रियाकलाप/कैम्पेन चला रहा है। सोशल मीडिया हैंडल्स का उपयोग इसके उत्पादों तथा सेवाओं के विपणन हेतु किया जा रहा है।

2. इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के कुछेक विभागों में से एक डाक विभाग भी अपना सोशल मीडिया एकाउंट बनाने वाला विभाग है। इससे विभाग अपने उपभोक्ताओं से सीधे संपर्क साधने में सक्षम हुआ है। अब तक डाक विभाग के फेसबुक पर 308.8 हजार से अधिक तथा ट्विटर पर 323.8 हजार से अधिक, इंस्टाग्राम पर 10 हजार से अधिक और कू पर 204.9 हजार से अधिक फॉलोअर्स हो गए हैं। यू–ट्यूब पर डाक विभाग और विभाग की विभिन्न योजनाओं से संबंधित वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। विभाग द्वारा की जाने वाली गतिविधियों पर लगातार अपडेट किया जा रहा है और विभागीय उत्पादों का प्रचार दैनिक आधार पर किया जा रहा है।

3. डाक विभाग का अपना वेब पोर्टल (https://www.indiapost.gov.in) भी है जिसमें विभाग के क्रियाकलापों, उत्पादों एवं सेवाओं की व्यापक जागरुकता तथा दृश्यता उत्पन्न करने हेतु जानकारी नियमित रूप से अपलोड और अपडेट की जाती है।

4. डाक विभाग के सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से नागरिकों को सरकार की पहलों, विभाग द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं और की जाने वाली गतिविधियों के बारे में अपडेट किया जा रहा है।

5. भारत सरकार की पहल के तहत, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने डाकघरों के माध्यम से "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना" पीएम–जीकेएवाई खाद्यान्न के प्रचार और प्रसार के लिए क्रिएटिव साझा किया। यह विशेष योजना शुरू में 2 महीने (मई और जून) के लिए उपलब्ध थी जिसे नवंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया था। पीएम–जीकेएवाई के संबंध में क्रिएटिव को देश भर के 16,211 विभागीय डाकघरों में प्रदर्शित किया गया था।

6. भारत सरकार की पहल के तहत, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने निम्नलिखित के संबंध में क्रिएटिव साझा किए:

क. पांच–आयामी कार्यनीतियों अर्थात् जांच, ट्रेसिंग, उपचार, कोविड उपयुक्त व्यवहार और टीकाकरण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ 'दवाई भी, कड़ाई भी' पर नए सिरे से जोर देने के साथ दिनांक 8 अप्रैल, 2021 को सभी सर्किलों में जन आंदोलन अभियान, 2021 साझा किया गया था।

ख. जून, 2021 माह में "सभी के लिए मुफ्त वैक्सीन" अभियान।

ग. भारत की "100 करोड़ टीकाकरण" की उपलब्धि।

घ. देश भर के 62,162 डाकघरों और 561 मेल मोटर वैन पर पोस्टर प्रदर्शित किए गए, जिन्हें विभाग के सोशल मीडिया हैंडल पर भी साझा किया गया।

7. संस्कृति मंत्रालय द्वारा समन्वित किए जा रहे **आजादी का अमृत महोत्सव** मनाने के लिए ऑनलाइन अभियान में, भारत के राष्ट्रीय गान (राष्ट्रगान) के प्रतिपादन से संबंधित एक प्रमुख कार्यक्रम https://rashtragaan.in/ लिंक के माध्यम से किया गया था जिसे विभाग के सभी

निदेशालयों/सर्कलों/अनुभागों और प्रभागों को भी साझा किया गया था। ऑनलाइन अभियान में कुल 2,11,608 विभागीय कर्मचारियों ने भाग लिया।

8. स्वतंत्रता दिवस 2021 के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के स्मरणोत्सव में डाक विभाग के सोशल मीडिया हैंडल पर एक ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। विभाग के चार सोशल मीडिया हैंडल से चार विजेताओं का चयन किया गया था, जिनकी घोषणा 15 अगस्त, 2021 को की गई और उन्हें आकर्षक वस्तुओं के बैग (गुडी बैग) के साथ सम्मानित किया गया।

9. विधिक सहायता के संवैधानिक अधिकार और मुफ्त विधिक सहायता सेवाओं की उपलब्धता के बारे में जानकारी के प्रसार के संबंध में, नालसा ने भारत भर के सभी डाकघरों के माध्यम से राष्ट्रव्यापी जागरूकता के लिए डाक विभाग के साथ एक सहयोगी परियोजना निष्पादित की है। नालसा की सूचना का यह प्रसार डाक विभाग के सामाजिक दायित्व के रूप में निःशुल्क किया जा रहा है।

10. 11 अक्टूबर, से 17 अक्टूबर, 2021 को भारतीय डाक – आजादी का अमृत महोत्सव प्रतिष्ठित सप्ताह के रूप में मनाया गया, जिसके दौरान विभिन्न गतिविधियों, कार्यक्रमों, वेबिनार का आयोजन किया गया और पीआईबी और माईगॉव के सहयोग से सोशल मीडिया पर प्रचार भी किया गया। प्रतिष्ठित सप्ताह के दौरान ट्विटर पर कुल 953183, इंस्टाग्राम पर 70528 और फेसबुक पर 295962 पहुंच थी। ट्विटर पर कुल 28094, इंस्टाग्राम पर 12168 और फेसबुक पर 16219 लोग जुड़े। प्रतिष्ठित सप्ताह का संक्षिप्त विवरण में नीचे दिया गया है:

क) आकर्षक गतिविधियों के रूप में, माईगॉव के सहयोग से दर्शकों के लिए एक सप्ताह की अवधि की गतिविधि का आयोजन किया गया था, जिसमें दर्शकों को माईगॉव प्लेटफॉर्म पर अपने संरक्षित पत्रों/पोस्टकार्डों के स्नैप/फोटो के साथ–साथ इसके बारे में संक्षिप्त मार्मिक कहानी साझा करने के लिए कहा गया था। इसके अतिरिक्त, डाक टिकट संग्रह दिवस पर दर्शकों से अनुरोध किया गया कि वे इसके पीछे की कहानी के साथ एकत्र किए गए अपने पहले डाक टिकट को साझा करें। संरक्षित पत्रों/पोस्टकार्डों के संबंध में 710 प्रतिभागी थे और एकत्र किए गए पहले टिकट के संबंध में प्रतिभागियों की संख्या 136 थी।

ख) विभाग के यू–ट्यूब हैंडल पर **"भारतीय डाक ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन की दिशा में कैसे योगदान दे रहा है", "डाक जीवन बीमा–जीवन बीमा और खुशी का आश्वासन" और "एमएसएमई, लघु व्यवसाय, कारीगरों के लिए भारतीय डाक", "आत्मनिर्भर भारत के लॉजिस्टिक भागीदार"** जैसे विषयों पर वेबिनारों का लाइव प्रसारण किया गया जिन्हें कुल 871 बार देखा गया।

ग) जमीनी गतिविधियों के संबंध में, देश भर में सुकन्या समृद्धि योजना, पीएलआई/आरपीएलआई पर विशेष ध्यान देने वाले विभिन्न वित्तीय समावेशन मेलों का आयोजन किया गया। मेलों की कवरेज विभाग के सोशल मीडिया हैंडल पर की गई। 2363 वित्तीय समावेशन मेलों में 2.10 लाख से अधिक सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए और देश भर में आयोजित 7995 पीएलआई/आरपीएलआई मेलों में 1.10 लाख से अधिक लोगों का जीवन बीमा किया गया।

घ) भारत@75 पर जागरूकता लाने और विशेष कवर के लिए अखिल भारतीय आधार पर लगभग 10,358 मेलों में संस्कृति मंत्रालय के परामर्श से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा यथाउपलब्ध, भारत@75 (आजादी का अमृत महोत्सव) पर वृत्तचित्र का प्रदर्शन किया गया, जिसे विभाग के सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से भी प्रदर्शित किया गया था।

ङ) 14 अक्टूबर को 'व्यावसायिक विकास दिवस' पर, देश भर में 1641 शिविरों/मेलों में कुल 1.16 लाख आधार संव्यवहार (नामांकन/अपडेशन) किए गए और इसे विभाग के सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से भी साझा किया गया।

च) डाक टिकट दिवस के अवसर पर, संस्कृति मंत्रालय के परामर्श से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के गुमनाम नायकों पर 103 विशेष लिफाफे जारी किए गए और इन्हें विभाग के सोशल मीडिया हैंडल पर भी साझा किया गया।

डाक विभाग के विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल

(थ) राजभाषा

केंद्र सरकार की राजभाषा नीति के अनुसरण में डाक विभाग सरकारी पत्राचार तथा सभी स्तरों पर दिन–प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्यों में हिन्दी का इष्टतम प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।

2. हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से डाक विभाग के राजभाषा अनुभाग ने सभी अनुभागों, सर्किल मुख्यालयों तथा अन्य संबंधित कार्यालयों को राजभाषा अधिनियमों, राजभाषा नियमों तथा अनुदेशों से अवगत कराया है और इनका अनुपालन सुनिश्चित किया है। समीक्षाधीन वर्ष के लिए जारी अपने वार्षिक कार्यक्रम 2021–22 में राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु राजभाषा अनुभाग ने विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार भी किया है।

3. राजभाषा अनुभाग द्वारा डाक विभाग के विभिन्न अनुभागों से प्राप्त सभी दस्तावेजों का अनुवाद, टंकण एवं विधीक्षा कार्य किया जाता है। इन दस्तावेजों में संसदीय प्रश्न, कार्यालय ज्ञापन, आदेश, अधिसूचनाएं, लेखा–परीक्षा पैरा, मंत्रिमंडल नोट, आर.टी.आई. आवेदनों के उत्तर, फिलैटली संबंधी कार्य, भर्ती नियम, माननीय मंत्री जी के संभाषण, पत्र एवं अन्य दस्तावेज शामिल हैं। यह सभी कार्य तात्कालिक आधार पर किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, यह अनुभाग राजभाषा विभाग के अन्य नियमों के साथ–साथ राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3), राजभाषा नियम 1976 (यथा संशोधित 1987) के नियम–5, नियम–6, नियम–10(4) तथा नियम–12 इत्यादि का पूर्णरूप से अनुपालन सुनिश्चित करता है।

4. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2020–21 में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार एक कार्य योजना के तहत डाक विभाग के अनुभागों तथा अधीनस्थ कार्यालयों का राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया जा रहा है। इन निरीक्षणों के दौरान, अनुभागों/अधीनस्थ कार्यालयों को राजभाषा विभाग के विभिन्न नियमों इत्यादि से अवगत कराया जाता है।

5. वित्तीय वर्ष 2021–22 (31.12.2021 तक) के दौरान संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप–समिति द्वारा डाक विभाग के 08 अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण किया गयाय इन निरीक्षणों में प्रयुक्त प्रश्नावली की डाक विभाग मुख्यालय द्वारा समीक्षा की गई। इन निरीक्षणों के सफल संचालन के लिए उप–महानिदेशक (ईएमएम/राजभाषा) ने इन निरीक्षणों में डाक विभाग मुख्यालय का प्रतिनिधित्व किया है।

6. इस वर्ष 13 से 27 सितंबर, 2021 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। इस पखवाड़े के दौरान कुल 07 हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त, राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान विभिन्न विषयों पर गुणवत्तापूर्ण हिन्दी पुस्तकें खरीदे जाने का प्रस्ताव है।

7. वर्ष के दौरान सभी तिमाहियों में हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। पिछली तिमाही में दिनांक 10.12.2021 को हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में कुल 20 कर्मचारियों ने भाग लिया। डाक विभाग के कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की प्रभावी निगरानी के लिए मुख्यालय तथा अधीनस्थ डाक सर्कल कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां कार्य कर रही हैं।

8. डाक निदेशालय, नई दिल्ली में नियमित आधार पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति(ओएलआईसी) की बैठकें आयोजित की जाती हैं। पिछली तिमाही में दिनांक 17.12.2021 को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई थी। डाक विभाग देश के विभिन्न भागों में स्थित अपने कार्यालयों की राजभाषा संबंधी तिमाही रिपोर्टों की नियमित रूप से समीक्षा करता है।

(द) लेखापरीक्षा टिप्पणियां और लेखापरीक्षा रिपोर्ट पैरा

तालिका 29

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा टिप्पणियां

वर्ष 2021 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 3, केंद्र सरकार

(संचार मंत्रालय)

डाक विभाग

आज की तारीख के अनुसार, डाक विभाग में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के छह (6) पैरा लंबित हैं।

1. संविदा/करार के बिना अनियत कामगारों की अनियमित नियुक्तिः–

डाक विभाग ने सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर), जनशक्ति की आउटसोर्सिंग के संबंध में समय–समय पर डाक विभाग द्वारा जारी आदेशों और निर्देशों का उल्लंघन करते हुए, वैध संविदा/करार किए बिना, मेल सॉर्टिंग, मेल की डिलीवरी, मेल/पार्सल की लोडिंग और अनलोडिंग एवं बैक ऑफिस कार्य आदि जैसे विभिन्न कार्यों के लिए अनियत कामगारों को दैनिक मजदूरी पर सीधे कार्य पर रखा/नियुक्त किया। 18 डाक सर्कलों में आउटसोर्स किए गए जनशक्ति पर किया गया अनियमित व्यय 95.94 करोड़ रूपये था।

(वर्ष 2021 की रिपोर्ट संख्या 3 का पैरा संख्या 3.1)

2. समझौता–ज्ञापन का निष्पादन न किए जाने के कारण 12.22 करोड़ रुपये का नुकसान और 15.33 करोड़ रुपये की देनदारी

डाक निदेशालय ने मार्च, 2017 में सर्किलों को निर्देश जारी किया कि वे संबंधित राज्य सरकारों के साथ एक विशेष गठबंधन या समझौता ज्ञापन निष्पादित करें ताकि मनरेगा मजदूरी के संवितरण में प्रदान की जाने वाली मूल्य वर्धित सेवाओं के लिए उनसे सेवा शुल्क का दावा किया जा सके। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना डाक सर्कल इन निर्देशों का पालन करने में विफल रहे और राज्य सरकारों के साथ ऐसा कोई गठबंधन/समझौता–ज्ञापन नहीं किया। इससे 27.55 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ क्योंकि वे गठबंधन/समझौता–ज्ञापन के अभाव में राज्य सरकारों से व्यय प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं कर सके।

(वर्ष 2021 की रिपोर्ट संख्या 3 का पैरा संख्या 3.2)

3. भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर की वसूली न होनाः–

डाक विभाग के तहत सात डाक सर्कल भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर (बीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूसी) अधिनियम, 1996 के तहत, ठेकेदारों के बिल से 1.93 करोड़ रूपये की राशि के भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर (बीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूसी) की वसूली करने में विफल रहे। इसके परिणामस्वरूप इस राशि का उपकर संबंधित राज्य भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड को प्रेषित नहीं किया जा सका।

(वर्ष 2021 की रिपोर्ट संख्या 3 का पैरा संख्या 3.3)

4. डाक विभाग द्वारा नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत पेंशन अंशदान का अनियमित प्रतिधारणः–

वर्ष 2011–18 की अवधि के दौरान, डाक विभाग ने एनपीएस के तहत 19.16 करोड़ रूपए की राशि के पेंशन अंशदान के कर्मचारी और नियोक्ता, दोनों के हिस्से को अनियमित रूप से प्रतिधारित किया है। जिसके परिणामस्वरूप इन अंशदानों को न्यासी बैंकों में निवेश न कर पाने के कारण संबंधित कर्मचारियों को 1.88 करोड़ रुपये की मौद्रिक हानि हुई।

(वर्ष 2021 की रिपोर्ट संख्या 3 का पैरा संख्या 3.4)

5. रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीनों की खरीद पर निष्फल व्ययः–

डाक विभाग (जुलाई 2010 और अगस्त 2011) ने इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीनों के स्थान पर विभागीय उपयोग के लिए रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन (आरएमएफएम) शुरू करने और खरीदने का निर्णय लिया। तदनुसार, आठ डाक सर्कलों में 2.51 करोड़ रुपये की लागत से 159 आरएमएफएम खरीदे गए, जिनमें से 1.47 करोड़ रुपये के 104 आरएमएफएम अनुकूलता, क्षमता और रखरखाव के मुद्दों के कारण अप्रयुक्त पड़े थे, जिससे व्यय निष्फल हो गया।

(वर्ष 2021 की रिपोर्ट संख्या 3 का पैरा संख्या 3.5)

6. त्रुटिपूर्ण टैरिफ वर्गीकरण के अनुप्रयोग के कारण ऊर्जा प्रभारों पर अधिक व्ययः–

महाराष्ट्र डाक सर्कल ने विद्युत प्राधिकरणों द्वारा बिल किए गए ऊर्जा प्रभारों पर टैरिफ की त्रुटिपूर्ण श्रेणी को स्वीकार करके 58.41 लाख रुपये का परिहार्य अतिरिक्त व्यय किया।

(वर्ष 2021 की रिपोर्ट संख्या 3 का पैरा संख्या 3.6)

तालिका 30

लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लंबित पैरा

दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार डाक विभाग में लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लंबित पैरा और उनके निपटान की स्थिति का विवरण

क्रम सं.	रिपोर्ट की संख्या और वर्ष	उन पैरा/पीए रिपोर्ट की संख्या जिन पर लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षण के बाद एटीएन को पीएसी को प्रस्तुत किया गया है (निगरानी कक्ष को)	उन पैरा/पीए रिपोर्ट का विवरण जिन पर एटीएन लंबित हैं		
			एक बार भी मंत्रालय द्वारा लेखापरीक्षा को नहीं भेजे गए एटीएन की संख्या	भेजे गए किंतु टिप्पणियों के साथ वापस किए गए एटीएन की संख्या और लेखापरीक्षा, मंत्रालय द्वारा इन्हें पुनः प्रस्तुत करने की प्रतीक्षा कर रही है	उन एटीएन की संख्या जिन्हें लेखापरीक्षा द्वारा अंतिम रूप से पुनरीक्षित किया गया, किंतु मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है
1	वर्ष 2021 की रिपोर्ट संख्या 3	शून्य	6	शून्य	शून्य
	कुल	शून्य	6	शून्य	शून्य

31.12.2021 की स्थिति के अनुसार डाक विभाग में लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लंबित पैरा और उनके निपटान का विवरण

31.12.2021 की स्थिति के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कुल लंबित लेखापरीक्षा पैरा = 6

महानिदेशक लेखापरीक्षा (डाक एवं तार) के पास पुनरीक्षा हेतु नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कुल लंबित लेखापरीक्षा पैरा = 6

(ध) डाक लेखा और वित्त विंग

विभाग के कार्यकरण में लेखा और वित्त अनुभाग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। डाक लेखा और वित्त (पीएएफ) विंग ने विचार–मंथन, तकनीकी ज्ञान और कौशल उन्नयन के लिए विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन किया, तथा सर्कल भुगतान और लेखा कार्यालयों के सामने आने वाले मुद्दों का एक संपूर्ण अवलोकन किया और अनुवर्ती कार्रवाई भी की।

1. भुगतान एवं लेखा कार्यालय (पीएओ), दिल्ली में दिनांक 28.09.2021 से 29.09.2021 तक रोस्टर प्रबंधन और भर्ती प्रबंधन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। डाक विभाग में समूह 'ग' और समूह 'ख' अधिकारियों/कर्मचारियों के संवर्ग समीक्षा प्रस्तावों को आगे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को प्रस्तुत करने के लिए सभी भुगतान एवं लेखा कार्यालयों में एक पोस्ट वर्कशॉप गतिविधि तैयार की गई थी।

2. दिनांक 23.11.2021 से 25.11.2021 तक नागपुर में डाक विभाग में संशोधित आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र पर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें आईए एंड एडी, पीएफआरडीए और एनएसडीएल के अधिकारियों को आमंत्रित करके एनपीएस, एनपीएस–लाइट, एनपीएस–सभी नागरिक मॉडल और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा के अन्य मुद्दों के साथ–साथ संशोधित आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र और प्रणाली लेखापरीक्षा से संबंधित मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया था।

3. 01.12.2021 से 03.12.2021 तक बेंगलुरु में एटीएम लेखांकन और समाधान, ग्रिड मंजूरी, निलंबित खातों में राशि, आईपीपीबी समाधान, सीबीएस–पीएलआई एकीकरण विषयों पर लेखा कार्यशाला का आयोजन किया गया।

4. विधिक मामलों में तकनीकी विशेषज्ञता और कौशल उन्नयन प्रदान करने के लिए भुगतान एवं लेखा कार्यालय, लखनऊ में दिनांक 22.12.2021 से 24.12.2021 तक लिम्बस वर्कशॉप आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला में प्रभाग/सर्कल कार्यालयों और भुगतान एवं लेखा कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त, न्यायालयी मामला प्रबंधन, क्षेत्रीय कार्यालयों से मुख्यालय तक डाटा का प्रवाह, याचिकाओं को समय पर दायर करना, पैरा वार टिप्पणियों की पुनरीक्षा पर भी चर्चा की गई।

सचिव (डाक) द्वारा संशोधित डाक लेखा नियमावली (पीएएम) खंड I का लोकार्पण – दूसरा संस्करण अगस्त, 2021

डाक प्रचालन में वर्षों के दौरान किए गए विभिन्न बदलावों, विशेष रूप से विभिन्न चरणों में स्वचालन और समय के साथ विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को जोड़ना, को ध्यान में रखते हुए, डाक लेखा नियमावली खंड I, 1986 – प्रथम संस्करण को वर्ष 2021 में संशोधित किया गया और पीएएम का दूसरा संस्करण अगस्त, 2021 में सचिव (डाक) द्वारा जारी किया गया था। इस मैनुअल में डाक खातों के व्यापक प्रक्रियात्मक पहलू शामिल हैं।

(न) नए डाक प्रभाग की स्थापना

(i) राजस्थान सर्कल के पश्चिमी (जोधपुर) क्षेत्र में मौजूदा जोधपुर डाक प्रभाग के विभाजन द्वारा दिनांक 28.04.2021 को एक नए डाक प्रभाग, जैसलमेर डाक प्रभाग का सृजन किया गया।

(ii) मध्य प्रदेश सर्कल में छतरपुर, रीवा और शहडोल प्रभाग नामक 3 डाक प्रभागों के विभाजन और पुनर्गठन द्वारा दिनांक 28.04.2021 को एक नए डाक प्रभाग, सतना डाक प्रभाग का सृजन किया गया।

(iii) झारखंड सर्कल में मौजूदा संथाल परगना प्रभाग, दुमका के विभाजन द्वारा दिनांक 18.10.2021 को एक नए डाक प्रभाग, अर्थात् बी. देवघर डाक प्रभाग का सृजन किया गया।

पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में विकासात्मक गतिविधियां

अध्याय–VIII

पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में विकासात्मक गतिविधियां

पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में विकासात्मक गतिविधियां

1. भारतीय डाक ने पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम में विकास के लिए कई विशेष पहलें शुरू की हैं।

2. डाक विभाग, जिसके ऊपर सम्पूर्ण देश की सेवा करने का दायित्व है, फिर चाहे सर्विस डिलीवरी आर्थिक रूप से व्यवहार्य है अथवा नहीं। इसके साथ–साथ भारत सरकार के नीतिगत दिशा–निर्देशों के अनुरूप पूर्वोत्तर क्षेत्र के विशेष विकास हेतु केन्द्रीय चुनिंदा स्कीमों का आबंटन भी निर्धारित करता है।

3. पूर्वोत्तर क्षेत्र में डाक नेटवर्क की प्रशासनिक संरचना निम्नानुसार है :

(क) असम सर्कल जिसका मुख्यालय गुवाहाटी में है, जिसमें असम राज्य शामिल है और इसके 4007 डाकघर हैं। असम सर्कल में औसतन प्रत्येक डाकघर 19.58 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल और 8652 व्यक्तियों की आबादी वाले क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करता है।

(ख) पूर्वोत्तर सर्कल का मुख्यालय शिलांग में है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्य शामिल हैं। इसमें 2919 डाकघर हैं और प्रत्येक डाकघर औसतन 60.52 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल और 5,247 व्यक्तियों की आबादी वाले क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करता है।

(ग) सिक्किम राज्य, पश्चिम बंगाल डाक सर्कल का एक हिस्सा है। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र का भी हिस्सा है। इसमें 209 डाकघर हैं। सिक्किम में प्रत्येक डाकघर औसत 33.97 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल और 2919 व्यक्तियों की आबादी वाले क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करता है।

4. अंतर्राष्ट्रीय मेल

'पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के वाणिज्यिक एकीकरण को मुख्यधारा के वाणिज्य में सक्षम बनाने के लिए, पूर्वोत्तर राज्यों में गुवाहाटी में उप–विदेशी डाकघर (एसएफपीओ) और शिलांग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र (आईबीसी) स्थापित किए जा रहे हैं। इससे पूर्वोत्तर राज्यों से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय मेलों के लिए लाभ मिलेगा। यह निर्यात को भी बढ़ावा देगा और क्षेत्र में सामाजिक–आर्थिक विकास लाएगा। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, एसएफपीओ गुवाहाटी के लिए 2.26 करोड रुपये और आईबीसी शिलांग के लिए 40 लाख रुपये आबंटित किए गए हैं।"

5. दिनांक 01.04.2021 से 30.11.2021 की अवधि के दौरान, पूर्वोत्तर क्षेत्र में शुरू की गई प्रमुख विकासात्मक गतिविधियों का राज्य–वार विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 31

उत्तर पूर्व में प्रमुख विकास गतिविधियां		
क्रम सं.	राज्य का नाम	प्रमुख विकासात्मक गतिविधियों का विवरण (01.04.2021 से 30.11.2021)
1.	असम	(क) 10 कम्प्यूटरीकृत पंजीकरण केंद्रों (सीआरसी), 10 अपंजीकृत मेल हब और 02 बिजनेस प्रोसेसिंग सेंटर (बीपीसी) में अवसंरचनात्मक उन्नयन किया गया है। (ख) 02 नेशनल सॉर्टिंग हब (स्पीड पोस्ट), 04 इंट्रा सर्कल हब (स्पीड पोस्ट) और 03 बुक नाउ पे लेटर (बीएनपीएल) कार्यालयों में अवसंरचनात्मक उन्नयन किया गया है। (ग) पोस्टमैन मोबाइल एप्लिकेशन (पीएमए) के उपयोग के लिए 583 नए मोबाइल फोन की आपूर्ति की गई है। (घ) 845 लेटर बॉक्स को लेटरबॉक्स के ई– क्लीयरेंस के तहत कवर किया गया है।
2.	अरूणाचल प्रदेश	(क) 01 नेशनल सॉर्टिंग हब (स्पीड पोस्ट) में अवसंरचनात्मक उन्नयन किया गया है। (ख) 09 लेटर बॉक्स को लेटरबॉक्स के ई– क्लीयरेंस के तहत कवर किया गया है।
3.	मणिपुर	(क) 01 नेशनल सॉर्टिंग हब (स्पीड पोस्ट) में अवसंरचनात्मक उन्नयन किया गया है। (ख) 53 लेटर बॉक्स को लेटरबॉक्स के ई– क्लीयरेंस के तहत कवर किया गया है।
4.	मेघालय	(क) 01 नेशनल सॉर्टिंग हब (स्पीड पोस्ट) में अवसंरचनात्मक उन्नयन किया गया है। (ख) 30 लेटर बॉक्स को लेटरबॉक्स के ई–क्लीयरेंस के तहत कवर किया गया है।
5.	मिजोरम	01 नेशनल सॉर्टिंग हब (स्पीड पोस्ट) में अवसंरचनात्मक उन्नयन किया गया है।
6.	नागालैंड	(क) 01 नेशनल सॉर्टिंग हब (स्पीड पोस्ट) में अवसंरचनात्मक उन्नयन किया गया है। (ख) 08 लेटरबॉक्स को लेटरबॉक्स के ई–क्लीयरेंस के तहत कवर किया गया है।
7.	त्रिपुरा	(क) 01 नेशनल सॉर्टिंग हब (स्पीड पोस्ट) में अवसंरचनात्मक उन्नयन किया गया है। (ख) 14 लेटर बॉक्स को लेटरबॉक्स की ई– क्लीयरेंस के तहत कवर किया गया है।

* ग्राहकों की मांगों को पूरा करने के लिए, डाक विभाग द्वारा वास्तविक समय के आधार पर डाक लेखों की डिलीवरी स्थिति को अद्यतन करने के लिए पोस्टमैन मोबाइल एप्लिकेशन (पीएमए) का उपयोग किया जा रहा है। पोस्टमैन मोबाइल एप्लिकेशन के लिए उपयोग पूर्वोत्तर सर्कल में 556 नए मोबाइल फोनों की आपूर्ति की गई हैं।

** आंतरिक रूप से विकसित सॉफ्टवेयर 'नन्यथा', जो लेटर बॉक्स की क्लीयरेंस की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी को सक्षम बनाता है, के माध्यम से लेटर बॉक्स की इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस (ई–क्लीयरेंस) की जा रही है।

स्पीड पोस्ट से सृजित राजस्व (01.04.2021 से 31.10.2021)

पूर्वोत्तर सर्कल – 5.31 करोड़ रूपये

असम सर्किल – 5.47 करोड़ रूपए

6. शिकायतों का निवारण : विभाग में अपनी सेवाओं के लिए जनता की शिकायतों से निपटने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली है। सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और जन शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए एक निगरानी तंत्र मौजूद है। विभाग का शिकायत निवारण तंत्र (जीआरएम) एक नागरिक केंद्रित पहल है जो सरकार को नागरिकों को बिना किसी परेशानी के गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाती है। यह शिकायत–प्रवण क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है और उपचारात्मक उपाय करने के लिए अवसर प्रदान करता है। इसलिए यह सरकारी कामकाज में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में, डाक सेवाओं के उपयोगकर्ताओं के लिए शिकायतों की सुनवाई और समाधान प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं:–

क्रम सं.	प्लेटफॉर्म	प्राप्त हुई शिकायतें (01.04.2021 – 31.12.2021)	निपटाई गई शिकायतें (01.04.2021 – 31.12.2021)	निपटान दर
1.	केंद्रीकृत जन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस)	4844	4793	98.9%
2.	इंडिया पोस्ट कॉल सेंटर (आईपीसीसी)	1901	1962	98%
3.	सोशल मीडिया (ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम)	12632	12529	99.2%

7. तकनीकी समावेशन: पूर्वोत्तर क्षेत्र के डाकघरों में नेटवर्क उपलब्धता को 990 डाकघरों (अप्रैल 2020) से बढ़ाकर दिसंबर, 2021 में 1048 कर दिया गया है ताकि पूर्वोत्तर क्षेत्र के डाकघरों में स्थिर कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा, तकनीकी रूप से गैर–व्यवहार्य स्थानों को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए इन तकनीकी रूप से गैर–व्यवहार्य स्थानों को अप्रैल 2021 के 76 से घटाकर दिसंबर 2021 में 18 कर दिया गया है।

8. डाक टिकट संवर्धन और विपणन: पूर्वोत्तर सर्कल, असम सर्कल और सिक्किम (पश्चिम बंगाल सर्कल के तहत) को डाक टिकट संवर्धन के लिए 20 लाख रुपये आबंटित किए गए हैं और डाक टिकट प्रचालनों के लिए पूर्वोत्तर सर्कल, असम सर्कल और सिक्किम (पश्चिम बंगाल सर्कल के तहत) को 28 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।

1. पूर्वोत्तर सर्कल ने कला और संस्कृति विभाग, मेघालय सरकार के सहयोग से 09.08.2021 से 15.08.21 तक वर्चुअल प्रदर्शनी (www.indiaat75ne.com) का आयोजन किया। ।

2. सिक्किम सर्कल में दिनांक 29.11.21 से 30.11.21 तक विश्वगुरु भारत विषय पर जिला स्तरीय वर्चुअल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

3. अगरतला में दिनांक 10.01.22 से 12.01.2022 तक वर्चुअल डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

9. डाक उत्पादों की विपणन पहलें:

i. सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेड एफएम में रेडियो के माध्यम से भारतीय डाक उत्पादों के रेडियो जिंगल्स के माध्यम से विज्ञापन जारी करना।

ii. आजादी महोत्सव के पोस्टर छपवाना और डाकघरों में प्रदर्शित करना।

iii. 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' पीएमजीकेएवाई खाद्यान्न के प्रचार और प्रसार के लिए 456 विभागीय डाकघरों के माध्यम से विज्ञापन।

iv. भारत सरकार की पहल के तहत, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अभियान के लिए क्रिएटिव साझा किए जिन्हें पूर्वोत्तर में 2705 डाकघरों

में प्रदर्शित किया गया। जिन अभियानों को सोशल मीडिया हैंडल पर भी कवर किया गया, उनका ब्यौरा इस प्रकार है:

क. पांच–आयामी कार्यनीतियों अर्थात् जांच, ट्रेसिंग, उपचार, कोविड उपयुक्त व्यवहार और टीकाकरण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ 'दवाई भी, कड़ाई भी' पर नए सिरे से जोर देने के साथ दिनांक 8 अप्रैल, 2021 को सभी सर्किलों में जन आंदोलन अभियान, 2021 पर पोस्टर साझा किया गया था।

ख. जून, 2021 माह में भारत सरकार की पहल – "सभी के लिए मुफ्त वैक्सीन" अभियान पर पोस्टर प्रदर्शित किए गए।

ग. डाकघरों में भारत की ₹100 करोड़ टीकाकरण की उपलब्धि का प्रदर्शन किया गया।

तालिका 32

पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में प्रशिक्षण						
राज्य का नाम	**पर्यवेक्षी संवर्ग का प्रशिक्षण**	**फ्रंटलाइन स्टाफ (पीए) का प्रशिक्षण**	**प्रचालन स्टाफ (एसए) का प्रशिक्षण**	**पोस्टमैन/ मेल ओवर सियर/ एमटीएस का प्रशिक्षण**	**ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) का प्रशिक्षण**	**कुल**
कुल	214	1098	100	171	1493	3076
अरूणांचल प्रदेश	17	126	0	8	11	162
मणिपुर	56	121	0	3	59	239
मेघालय	14	128	1	17	170	330
मिजोरम	11	32	1	12	30	86
नगालैण्ड	10	92	0	3	56	161
त्रिपुरा	25	167	4	23	179	398
सिक्किम	11	30	0	11	27	79
कुल	**358**	**1794**	**106**	**248**	**2025**	**4531**

डाक प्रशिक्षण केंद्र, गुवाहाटी के कुछ छायाचित्र संलग्न हैं।

डाक प्रशिक्षण केंद्र (पीटीसी) गुवाहाटी

रंगपहाड़ प्रयोगशाला (सीट क्षमता 30, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, एसी, वाई–फाई, लैन, साउंड सिस्टम आदि की सुविधा के साथ)

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड

अध्याय–IX

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड

1. पृष्ठभूमि

(i) वित्तीय समावेशन के स्पष्ट अधिदेश के साथ, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) ने पिछले तीन वर्षों में बैंक के विजन कथन– भारत में आम आदमी के लिए सबसे सुलभ, किफायती और भरोसेमंद बैंक के निर्माण करना–पर खरा उतरने के लिए एक लंबा सफर तय किया है। आईपीपीबी, डाक विभाग के सुदृढ़ और विशाल वितरण भौतिक नेटवर्क के साथ, आशयित लक्षित क्षेत्रों तक पहुंचने और औपचारिक बैंकिंग को आम लोगों के दरवाजे तक पहुंचाने के लिए तालमेल बनाने की कोशिश कर रहा है।

(ii) माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिनांक 1 सितंबर, 2018 को बैंक का शुभारंभ किया था और तब से 136,000 से अधिक डाकघरों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम बनाया गया है, जिनमें से 110,000 ग्रामीण भारत में हैं, जिससे बैंकिंग ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना में लगभग 2.5 गुना वृद्धि हुई है। लगभग 1.9 लाख डाक सेवकों और ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) को केवल डाक सेवा प्रदाताओं से मोबाइल बैंकरों में परिवर्तित करने के लिए सही प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी और उपकरण प्रदान किए गए हैं, जो आईपीपीबी और अन्य बैंकों के ग्राहकों, जिन्हें अपने बैंकों तक पहुंचने में कठिनाई होती है, को डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में पूरी तरह सक्षम हैं। बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए डाकघरों की सक्षमता ने 'ग्रामीण बैंकिंग सेवा बिंदु की औसत दूरी' को 5–6 किलोमीटर (ग्रामीण बैंक शाखा अवसंरचना) से कम करके 2.5 किमी (डाकघर से औसत दूरी) तक कर दिया है। लगभग दैनिक आधार पर प्रत्येक गांव तक पहुंचने के लिए लास्ट माइल डोरस्टेप बैंकिंग सेवा प्रदाताओं (पोस्टमैन और जीडीएस) की विशाल क्षमता ने बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचने की दूरी को कम करके '0 किलोमीटर' तक कर दिया है, इस प्रकार वास्तव में आपका बैंक, आपके द्वार के सार को कैप्चर किया जा रहा है।

वित्तीय रूप से समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र

- लगभग 50% खाताधारक महिलाएं हैं।
- 98% खाते ग्राहक के डोरस्टेप पर खोले गए।
- महिलाओं द्वारा धारित 68% से अधिक खातों में डीबीटी किया जाता है।
- 90% ग्राहक ग्रामीण क्षेत्रों के हैं।
- 24.01 लाख रुपे डेबिट कार्ड जारी किए गए।
- 8.38 लाख डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जारी किए गए।
- पीएमजेजेबीवाई के माध्यम से 1.81 लाख ग्राहकों का बीमा

*30 नवंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार ।

(iii) अगस्त, 2019 में आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) सेवा के शुभारंभ के साथ, आईपीपीबी, वर्तमान में किसी भी बैंक ग्राहक को इंटरऑपरेबल डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए देश के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म में से एक है। यह वास्तव में, ग्रामीण जनता के लिए, विशेष रूप से कोविड महामारी लॉकडाउन स्थितियों के दौरान, नकद उपलब्धता को सक्षम करने और सरकारी सामाजिक लाभ योजनाओं की संवितरण के लिए एक वरदान साबित हुआ था।

स्थापना से लेकर दिनांक 31 मार्च, 2021 तक आईपीपीबी ने अद्वितीय समाधानों की एक श्रृंखला पेश की है जो न केवल ग्राहकों के विभिन्न वर्गों की जरूरतों और आवश्यकताओं को पूरा करती है बल्कि एक सहायक बैंकिंग मॉडल को सक्षम करके अंतिम मील तक डिजिटलीकरण को अपनाने में सुकरता प्रदान करती है।

इनमें से कुछ सेवाएं निम्नानुसार हैं:

आईपीपीबी के ग्राहक / मर्चेंट	किसी अन्य बैंक के ग्राहक	डाकघर के ग्राहक	जी2सी सेवाएं
बचत / चालू खाता धनराशि अंतरण वर्चुअल **डेबिट कार्ड** बिल भुगतान व्यापारियों के लिए **आधार भुगतान सेवा** **जीवन बीमा** – सावधि और वार्षिकी **सामान्य बीमा** – वाहन और स्वास्थ्य म्यूचुअल फंड्स	किसी भी खाते से नकद निकासी – **एईपीएस** किसी भी खाते में नकद जमा – **डीएमटी** बिलों, बीमा प्रीमियमों, **ऋण ईएमआई** के सापेक्ष नकद भुगतान **ग्राहकों / मर्चेंटों** के लिए किसी भी बैंक खाते से लेनदेन करने के लिए डाकपे यूपीआई ऐप	आईपीपीबी खाते के साथ लिंकेज के माध्यम से पीओएसए खाते के लिए **इंटरऑपरेबिलिटी** आरडी, एसएसवाई और पीपीएफ जैसी राष्ट्रीय बचत योजनाओं के लिए **डिजिटल भुगतान** डाकघर काउंटरों पर डिजिटल भुगतान	**प्रत्यक्ष लाभ अंतरण** – सामाजिक लाभ नामांकन और संवितरण पेंशनभोगियों के लिए **डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र** बीमा – पीएमजेजेबीवाई

2. वित्त वर्ष 2020–21 में आरंभ किए गए उत्पाद और सेवाएं

(i) नकदी प्रबंधन समाधान– आईपीपीबी और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल लिमिटेड की सहायक कंपनी महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एमआरएचएफएल) ने नकदी प्रबंधन समाधान के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की। इस गठबंधन के हिस्से के रूप में, आईपीपीबी अपने एक्सेस पॉइंट्स और डाक सेवा प्रदाताओं के माध्यम से एमआरएचएफएल को नकदी प्रबंधन और संग्रह सेवाएं प्रदान कर रहा है। नकदी प्रबंधन सेवा के साथ, एमआरएचएफएल के ग्राहक अपनी मासिक या त्रैमासिक ऋण किस्तों को 136,000 से अधिक डाकघरों में चुकाने में सक्षम होंगे।

(ii) आधार के लिए मोबाइल अपडेट सेवा – जुलाई 2021 में, आईपीपीबी ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के

रजिस्ट्रार के रूप में आधार में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए एक अनूठी और अभिनव सेवा शुरू की। अब कोई निवासी आधार धारक अपने घर के दरवाजे पर पोस्टमैन द्वारा आधार में अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवा सकता है।

(iii) गैर–जीवन बीमा उत्पादों का रोलआउट – टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के साथ गठबंधन के माध्यम से, आईपीपीबी देशभर के अपने ग्राहकों के लिए गैर–जीवन बीमा उत्पादों जैसे दो एवं चार पहिया बीमा और स्वास्थ्य बीमा की पेशकश कर रहा है। उत्पादों के दायरे में, गैर–बैंकिंग और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में ग्राहकों की बीमा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्य अभिनव दर्जे के उत्पादों में मेडिक्लेम और व्यक्तिगत दुर्घटना भी शामिल है।

3. रणनीतिक गठबंधन

(i) गृह ऋण के लिए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के साथ आईपीपीबी की साझेदारी–आईपीपीबी और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने आईपीपीबी के ग्राहकों को एलआईसीएचएफएल के गृह ऋण प्रदान करने के लिए सितंबर में एक साझेदारी की घोषणा की। 650 शाखाओं के अपने मजबूत और व्यापक नेटवर्क तथा 136,000 से अधिक बैंकिंग एक्सेस पॉइंट्स के माध्यम से, आईपीपीबी एलआईसीएचएफएल के गृह ऋण को अपने ग्राहकों के लिए पूरे भारत में सुलभ कराएगा।

(ii) गृह ऋण के लिए आईपीपीबी और एचडीएफसी का गठनबंधन– अक्टूबर में, आईपीपीबी और एचडीएफसी लिमिटेड ने आईपीपीबी के 4.7 करोड़ से अधिक ग्राहकों को गृह ऋण प्रदान करने के लिए एक रणनीतिक गठबंधन किया। इस गठबंधन का उद्देश्य ग्राहकों, विशेष रूप से बिना बैंक वाले और अल्पसुविधाप्राप्त क्षेत्रों जिनमें से कई में वित्त की बहुत कम या कोई पहुंच नहीं है, को एचडीएफसी लिमिटेड के गृह ऋण की सुविधा प्रदान करना है ताकि वे अपने घर के सपने को पूरा कर सकें।

(iii) सावधि और वार्षिकी बीमा उत्पादों के लिए बजाज आलियांज के साथ आईपीपीबी, डाक विभाग का इंक गठबंधन – आईपीपीबी, डाक विभाग और बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी (बीएएलआईसी) ने बैंक के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से ग्राहकों को सावधि और वार्षिकी उत्पादों की पेशकश के लिए गठबंधन किया है।

4. प्रमुख व्यवसाय विशेषताऐं

	31.12.2021 तक की स्थिति के अनुसार
ग्राहकों की कुल संख्या	4.93 करोड
वित्तीय लेनदेन की कुल संख्या	66.84 करोड़
वित्तीय लेनदेन का कुल मूल्य	₹1,41,977 करोड़
एईपीएस लेनदेन की संख्या	6.82 करोड़
एईपीएस लेनदेन का मूल्य	₹18,608.79 करोड़
डीबीटी लेनदेन की संख्या	4.76 करोड़
डीबीटी लेनदेन का मूल्य	₹5,106.52 करोड़
मोबाइल ऐप डाउनलोड की संख्या	1.15 करोड़
वीडीसी की संख्या	24.01 लाख

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड

अध्याय – X

आज़ादी का अमृत महोत्सव

आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत सरकार की एक पहल है जो प्रगतिशील भारत के 75 वर्ष और इसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने और स्मरण के लिए है। यह महोत्सव भारत के लोगों को समर्पित है, जिन्होंने न केवल भारत को इसकी विकासवादी यात्रा में इतना आगे आने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि अपने भीतर प्रधानमंत्री मोदी के भारत 2.0, जो आत्मनिर्भर भारत की भावना से प्रेरित है, को सक्रिय करने के वजन को सक्षम करने की शक्ति और क्षमता भी धारित की है, जो आत्मनिर्भर भारत की भावना से प्रेरित है।

आजादी का अमृत महोत्सव भारत की सामाजिक–सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक पहचान के बारे में प्रगतिशील सभी चीजों का एक सामूहिक प्रदर्शन है। 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' की आधिकारिक यात्रा 12 मार्च, 2021 को शुरू हुई, जिसने हमारी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के लिए 75 सप्ताह के काउंटडाउन की शुरूआत की और 15 अगस्त, 2023 को एक वर्ष के बाद समाप्त होगी। संस्कृति मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव के समारोह के लिए नोडल मंत्रालय है।

"आजादी का अमृत महोत्सव" के तहत डाक विभाग, संचार मंत्रालय द्वारा आयोजित कालानुक्रमिक कार्यक्रम/गतिविधियाँ इस प्रकार हैं:

- स्वतंत्र और लचीला भारत की भावना को सलाम करने के लिए 12.03.2021 को अहमदाबाद और दांडी में दांडी मार्च पर एक विशेष सचित्र कैंसिलेशन जारी किया गया था। गुजरात के सभी प्रधान डाकघरों ने इस विशेष सचित्र कैंसिलेशन के साथ अपने मेल चस्पाकर भाग लिया। दांडी डाकघर में गांधी जी के जीवन दर्शन पर विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। विशेष सचित्र कैंसिलेशन की एक प्रति श्री कार्तिकेय साराभाई, ट्रस्टी गांधी आश्रम, अहमदाबाद को भेंट की गई।
- 23 मार्च, 2021 को माननीय संचार राज्य मंत्री द्वारा "महात्मा गांधी की प्रथम ओडिशा यात्रा के 100 वर्ष'' के अवसर पर वर्चुअल रूप से एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था ।
- पंजाब में 13.04.2021 को जलियांवाला बाग के शहीदों पर विशेष कवर जारी किया गया।
- 07.08.2021 को 'अनसंग हीरोज ऑफ इंडिया' विषय के तहत मा. चमन लाल पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था।
- 30.08.2021 को 'विचार, उपलब्धियां और संकल्प' विषय के तहत केंद्रीकृत चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस), जिसके माध्यम से 1.57 लाख डाकघरों के पीओएसबी चेक उसी दिन केंद्रीकृत तरीके से क्लीयर किए जाएंगे, लागू किया गया था। इसके अतिरिक्त, सिस्टम त्रुटि मुक्त होगा और निर्बाध चेक क्लीयरेंस और बेहतर ग्राहक अनुभव की सुविधा प्रदान करेगा।
- 'आत्मनिर्भर भारत' विषय के तहत भारत के जीआई टैग किए गए उत्पादों पर 200 से अधिक विशेष कवर जारी किए गए। विशेष कवर को डाक टिकट संग्रहकर्ताओं और आम लोगों द्वारा व्यापक रूप से सराहा गया है। इन कवरों ने भारत के स्थानीय शिल्प और उत्पादों का व्यापक प्रचार सुनिश्चित किया और इनसे

स्थानीय कारीगरों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आर्थिक कल्याण को बढ़ावा मिलेगा।

- 02.10.2021 को 'अनसंग हीरोज ऑफ इंडिया' विषय के तहत सोलापुर के शहीदों पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था।
- 06.10.2021 को 'विश्व गुरु भारत' विषय के तहत पुणे के डेक्कन कॉलेज पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था।
- दिल्ली सर्किल ने नेताजी की 125वीं जयंती के अवसर पर 22–27 जनवरी, 2022 के बीच वर्चुअल मोड में डाक टिकटों के माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आईएनए पर डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन किया है।

11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर, 2021 तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह का आयोजन :–

डाक विभाग, 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाता है। इस वर्ष, "आजादी का अमृत महोत्सव" के हिस्से के रूप में, डाक विभाग ने 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर , 2021 तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया। विभाग ने वित्तीय जागरूकता पैदा करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय समावेशन मेलों का आयोजन करके सप्ताह को चिह्नित किया। 'आज़ादी का अमृत महोत्सव–प्रतिष्ठित सप्ताह' के हिस्से के रूप में अनसंग हीरोज पर विशेष कवर, नुक्कड' नाटकों, पेंटिंग प्रतियोगिताओं और वेबिनार का आयोजन किया गया। आधार नामांकन और अपडेशन में लोगों की मदद करने के लिए दूर–दराज के, आदिवासी क्षेत्रों, अनाथालयों/वृद्धाश्रमों में भी आधार शिविर और मेलों का आयोजन किया गया। इन जमीनी स्तर की गतिविधियों को भारतीय डाक और डाक सर्किलों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी प्रकाशित/प्रचारित और हाइलाइट किया गया था।

राष्ट्रीय डाक सप्ताह की शुरुआत **11 अक्टूबर, 2021 को बैंकिंग दिवस** मनाने के साथ हुई। डाक विभाग ने सुकन्या समृद्धि खातों पर विशेष ध्यान देते हुए देश भर में 2300 से अधिक वित्तीय समावेशन मेलों का आयोजन किया। बैंकिंग दिवस पर 2 लाख सुकन्या समृद्धि खातों के लक्ष्य की तुलना में 2.10 लाख से अधिक सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए।

माननीय संचार मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने 13 अक्टूबर, 2021 को डाक भवन में फिलैटली दिवस के अवसर पर माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में "स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायक" पर विशेष आवरण का विमोचन किया।

विभाग ने डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा पर विशेष ध्यान देने के साथ पूरे भारत में 7451 वित्तीय समावेशन मेलों का आयोजन करके **12 अक्टूबर, 2021 को पीएलआई / आरपीएलआई दिवस** मनाया (अभिचिह्नित गांव बैंकिंग दिवस – 11 अक्टूबर, 2021 के तहत अभिचिह्नित गए गांवों से भिन्न थे)। आरपीएलआई / पीएलआई पॉलिसियों के तहत 1.10 लाख से अधिक लोगों का बीमा किया गया। आरपीएलआई / पीएलआई बिक्री बल (2019–20) को राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मान्यता दी गई। सचिव (डाक) ने पीएलआई / आरपीएलआई दिवस पर डाक जीवन बीमा के लिए ई–पीएलआई का शुभारम्भ किया।

माननीय संचार राज्य मंत्री श्री देवुसिंह चौहान दिनांक 13.10.2021 को फिलैटली दिवस के अवसर पर "स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायक" पर विशेष कवर जारी करते हुए

आंध्र प्रदेश सर्कल के प्रोद्दुटूरु डिवीजन में दिनांक 12.10.2021 को पीएलआई दिवस समारोह

विभाग ने **13 अक्टूबर, 2021 को डाक टिकट दिवस** मनाया। इस अवसर पर, "आजादी का अमृत महोत्सव" के तहत देश भर के डाक सर्किलों द्वारा "अनसंग हीरोज ऑफ अवर फ्रीडम स्ट्रगल" पर कुल 103 विशेष कवर जारी किए गए। ये विशेष कवर उन पैदल सैनिकों को श्रद्धांजलि है, जिन्होंने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और देश के लिए अपनी सुख–सुविधाओं का बलिदान दिया।

विभाग ने **14 अक्टूबर, 2021 को व्यवसाय विकास दिवस** मनाया। इस अवसर पर पूरे भारत में डाक सर्किलों द्वारा मलिन बस्तियों/अनाथालय/सुदूर क्षेत्रों, पहाड़ी/जनजातीय क्षेत्रों आदि पर विशेष ध्यान देने के साथ यूआईडीएआई के परामर्श से 1646 विशेष आधार नामांकन/अपडेशन शिविर आयोजित किए गए। व्यवसाय विकास दिवस पर देश भर में भारतीय डाक द्वारा 1.13 लाख से अधिक आधार नामांकन और अपडेशन किए गए।

विभाग ने **16 अक्टूबर, 2021 को मेल दिवस** मनाया और देश भर में 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' के तहत

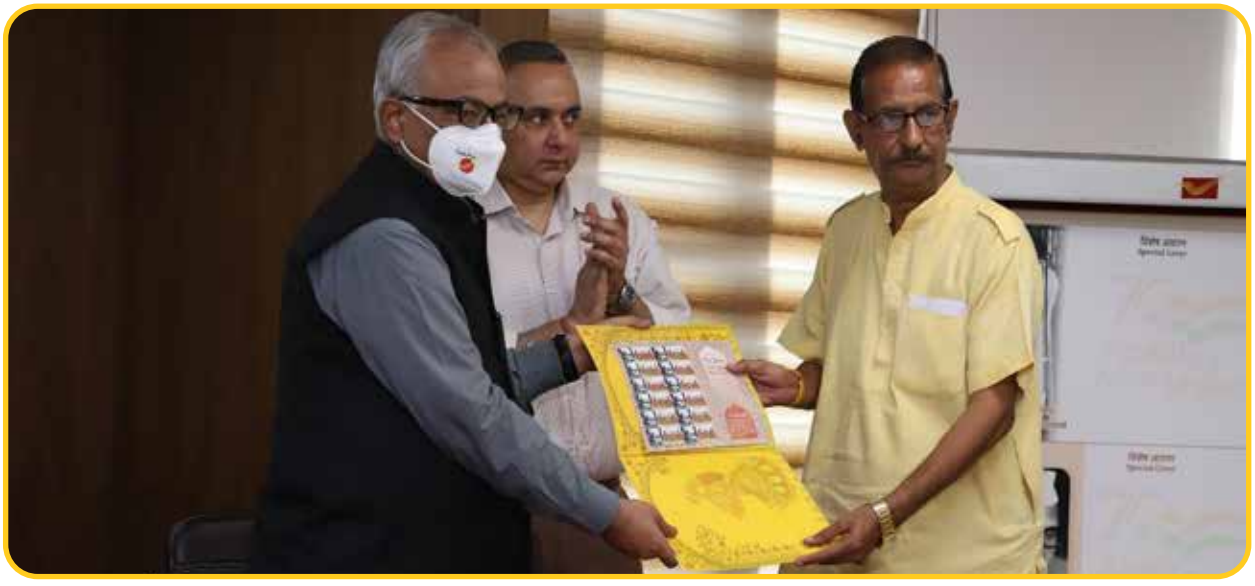

सचिव (डाक) फिलैटली दिवस के अवसर पर दिनांक 13.10.2021 को डाक टिकट जारी करते हुए

मेल और पार्सल सेवा के लिए ग्राहक बैठकों का आयोजन किया।

17 अक्टूबर, 2021 को सर्कल स्तर पर डाक सेवा पुरस्कारों का आयोजन किया गया। मीडिया को "आजादी का अमृत महोत्सव प्रतिष्ठित सप्ताह" के दौरान की गई डाक गतिविधियों की सूची से अवगत कराते हुए सर्किल स्तर पर प्रेस सम्मेलन आयोजित किए गए। मीडिया को कोविड–19 महामारी के दौरान विभाग द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियों के बारे में भी जानकारी दी गई।

उपर्युक्त मेलों में भारत/75 (आज़ादी का अमृत महोत्सव) को दर्शाने वाली पृष्ठभूमि प्रदर्शित की गई। भारत/75 पर वृत्तचित्र (आज़ादी का अमृत महोत्सव), जैसा कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा दिया गया है, भी देश भर में आयोजित इन मेलों में प्रदर्शित किया गया।

माननीय प्रधानमंत्री जी को 75 लाख पोस्ट कार्ड :–

विभाग को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से 'माननीय प्रधान मंत्री को 75 लाख पोस्ट कार्ड' संचालित करने का कार्य सौंपा गया था। अभियान के तहत, यह परिकल्पना की गई थी कि कक्षा IV से XII के 75 लाख छात्र माननीय प्रधानमंत्री जी को हिंदी/अंग्रेजी/किसी भी अनुसूचित भाषा में दो विषयों – 'स्वतंत्रता संग्राम के अनसंग हीरोज' और '2047 में भारत के लिए मेरा विजन' में से किसी एक पर एक पोस्ट कार्ड लिखेंगे।

यह अभियान 01 दिसंबर , 2021 से 31 दिसंबर, 2021 तक भारत के साथ–साथ विदेशों में स्थित भारतीय स्कूलों में शुरू किया गया था। देश भर में लगभग 10,000 डाक अधिकारी और कर्मचारी पोस्ट कार्ड बेचने, स्कूलों को अपने संबंधित स्कूलों में पोस्ट कार्ड लेखन सत्र आयोजित करने के लिए, स्कूल प्राधिकारियों द्वारा पोस्ट कार्ड का मूल्यांकन कराने के लिए और सीबीएसई और माईगॉव (MyGov) पोर्टल पर प्रति स्कूल 10 सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों को अपलोड कराने, भौतिक कार्ड एकत्र करके उन्हें विशेष बैग में दिल्ली भेजने के लिए जुटाए गए थे।

अभियान को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली और 13 देशों के 30,000 छात्रों सहित 1.09 करोड़ छात्रों ने कार्यक्रम में भाग लिया। पोस्टकार्ड में से 75 सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों का चयन किया गया है। विभाग इस प्रतिष्ठित अभियान पर एक लघु फिल्म बनाने पर भी कार्य कर रहा है और हमारी योजना इसे गिनीज रिकॉर्ड के रूप में पंजीकृत कराने की है।

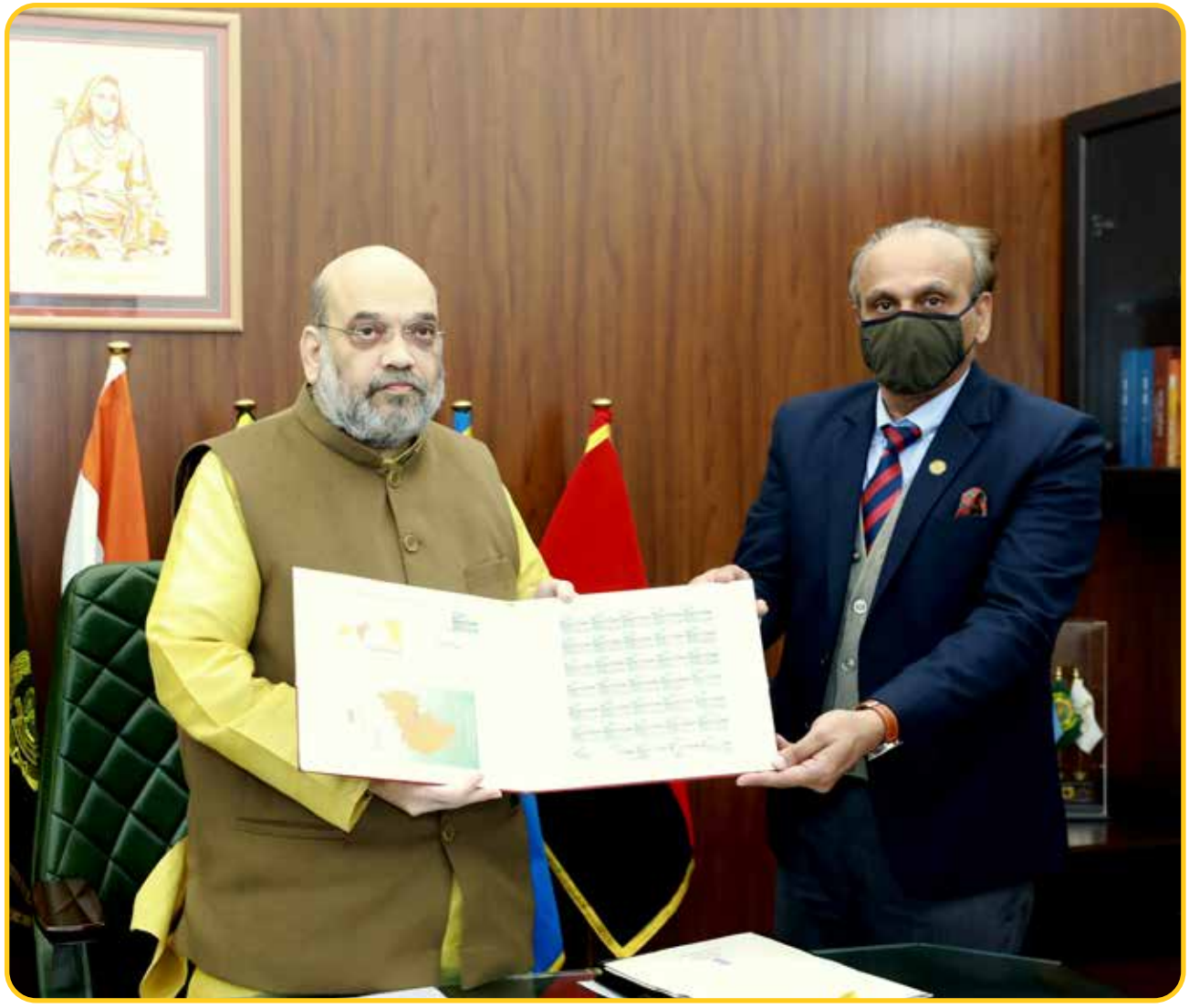

माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह त्रिपुरा के गठन के 50 वर्ष पुरे होने पर डाक टिकट जारी करते हुए

भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू दिनांक 07.08.2021 को "मा. चमन लाल" स्मारक डाक टिकट जारी करते हुए